चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 1

सोमवार, 24 जुलाई, 2006
2 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 21 Feb 2008

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 24 जुलाई, 2006/2 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)—(xi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xiii)
मंत्रिपरिषद्	(xv)—(xvii)
राष्ट्रगान	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–4
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	5
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	5–6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	12–50
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 101	51–282
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	283
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	284–286
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	287–288
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	287–288

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ़)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरुनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफज़ाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदिकेसवुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मंडला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्मास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस.के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बांगलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई उत्तर-मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबेर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोडे)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इडुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

तुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लो, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बौब्बिली)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी. (सांगली)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिव (दौसा)

पाल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रांसिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखवीर सिंह (फरीदकोट)

''बाबा'', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए.वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरुवनन्तपुरम)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्ड, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकरन, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरुपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरुण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करुणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

संगमा, श्री पी.ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच.टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चन्द्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह; राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृषनगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव हु. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरुचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमजा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; 4. अंतरिक्ष विभाग; तथा 5. विदेश मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
प्रो. सैफुद्दीन सोज़	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री

श्री प्रियरंजन दासमुंशी	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री आस्कर फर्नांडिस	बिना विभाग के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री चन्द्रशेखर साहू	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 24 जुलाई, 2006/2 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों श्री प्रवीण सिंह सोलंकी, श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी और श्री राजा पी.सी. देव भंज के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी ने 1962 से 1977 तक तीसरी से पांचवीं लोक सभा में गुजरात के कैरा और आणन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह एक कुशल सांसद के रूप में विभिन्न संसदीय और सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

एक सक्रिय समाज सेवक के रूप में श्री सोलंकी ने पद दलित लोगों की शिक्षा, कृषि और जीवन स्तर के सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अथक कार्य किया। उन्होंने बाल विवाह रोकने और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भी अत्यंत प्रयास किया। वह राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य होने के अतिरिक्त 1967 के आम चुनाव हेतु गुजरात की परिसीमन समिति के भी सदस्य रहे।

खेलों में अत्यधिक रुचि होने के कारण श्री सोलंकी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी परिश्रम किया। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की थीं। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में श्री सोलंकी ने 1967 में आस्ट्रेलिया की यात्रा की। श्री प्रवीण सिंह सोलंकी का निधन 24 अप्रैल, 2006 को गुजरात के आणन्द 71 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी ने 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा में आंध्र प्रदेश के चित्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व वह 1966 से 1970 तक आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। श्री रेड्डी तमिलनाडु राज्य विधायिका (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 के तहत गठित सलाहकार समिति के सदस्य थे।

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री रेड्डी ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कारावास भोगा। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री रेड्डी पद-दलित लोगों के कल्याण और ग्रामीण लोगों के उत्थान कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। उन्होंने 1964 से 1966 की अवधि में बंगारूपोलयम की पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा जिला परिषद के सदस्य एवं उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

पेशे से कृषक, श्री रेड्डी ने कृषि और उद्योग की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में विशेष रुचि ली। वह 1974 से 1977 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य रहे। श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी का निधन 14 जून, 2006 को चेन्नई, तमिलनाडु में 83 वर्ष की आयु में हुआ।

राजा पी.सी. देवभंज ने 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा में उड़ीसा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व राजा भंज 1960 में उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे।

एक कुशल सांसद के रूप में राजा भंज 1962 से 1967 तक केन्द्रीय मानव विज्ञान सलाहकार बोर्ड और 1964-65 तथा 1966-67 के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक पूर्व शासक के रूप में राजा भंज रायपुर के राजकुमार कालेज की सामान्य परिषद के सदस्य थे। एक सुविख्यात समाज सेवक के रूप में वह उड़ीसा और राज्य के बाहर स्थित अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, युवा संगठनों और धर्मार्थ संस्थानों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

राजा भंज एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उड़िया में भगवान जगन्नाथ को समर्पित कई कविताएं और छंद लिखे।

राजा भंज एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह विशाखापत्तनम के रामकृष्ण मिशन की प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विशाखापत्तनम स्थित दसपल्ला पहाड़ियों और साथ ही चेन्नई में भी भगवान जगन्नाथ को समर्पित मन्दिरों के निर्माण में भी सहायता प्रदान की। उन्होंने विशाखापत्तनम के उत्कल सांस्कृतिक समाज के मुख्य संरक्षक के रूप में भी काम किया।

राजा भंज का निधन 19 जून, 2006 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में अल्प अवधि की बीमारी के पश्चात् 74 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

माननीय सदस्यों, जैसाकि आप सभी को ज्ञात होगा, 27 मई, 2006 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप में रिएक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता के भूकम्प के पश्चात् रिएक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता के एक भूकम्प के परिणामस्वरूप भारी विनाश हुआ। इंडोनेशिया में 17 जुलाई, 2006 को सुनामी का प्रकोप हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 500 जानें गयीं।

यह सभा इंडोनेशिया की जनता के प्रति गहरी संवेदना और शोक व्यक्त करती है, जिन्होंने भूकम्प और सुनामी में अपने प्रियजनों को खो दिया। हम सभी घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

मुम्बई की उपनगरीय रेल गाड़ियों में 11 जुलाई, 2006 को हुए सात बम विस्फोटों में 184 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गयीं और 840 व्यक्ति घायल हुए। उसी दिन श्रीनगर में पांच ग्रेनेड हमलों में 9 अन्य निर्दोष व्यक्तियों मुख्यत: पर्यटकों की जानें गयीं और 33 व्यक्ति घायल हुए।

यह सभा आतंकवादियों के इन घिनौने और कायरतापूर्ण कृत्यों की घोर निन्दा करती है। देश की प्रगति और जीवन की गति को रोकने और देश की जनता को बांटने के उनके नापाक इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा के सभी पक्ष इन हत्याओं के बाद हमारी जनता द्वारा दिखाई गई हिम्मत, विवेक और देश भक्ति की भावना की सराहना करने में मेरा साथ देंगे।

सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और घायल हुए व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उनके शीघ्र स्वरूप होने की कामना करती है। इस अवसर पर इस घिनौने अपराधों के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। हम सभी अदम्य साहस और शक्ति के साथ एकजुट होकर इस विभीषिका का मुकाबला करने और आतंकवाद के इस कहर को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हों।

इन दुखद घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, बैरूत पर इज्राइली हमले में अनेक लोग मारे गये *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुम्बई बम ब्लास्ट में भी लोग मारे गए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर चर्चा करूंगा। मुझे कुछ टिप्पणियां करनी हैं, कृपया मुझे वक्तव्य देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं आपसे एक संकल्प पारित करने का आग्रह करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष बहुत कम बोलता है और जब वह बोलता है, तो सदस्यों को उसकी बात सुननी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप विशेषाधिकार का ही हनन कर रहे हैं; मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह विशेषाधिकार का हनन ही है। मैंने मुम्बई बम धमाकों का उल्लेख किया है। आप किसकी बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चौधरी जी, अध्यक्षपीठ की अवहेलना करना प्रक्रिया का हिस्सा बनता जा रहा है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आप सभी का लोक सभा के मानसून सत्र में स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे और अध्यक्षपीठ पर आसीन मेरे सभी सहयोगियों को सभा की कार्यवाही का संचालन करने में आपका पूरा सहयोग और सहायता मिलेगी। यह सभा हमारे देश का सर्वोच्च सार्वजनिक मंच है और हम सभी को इससे जुड़े होने का सम्मान प्राप्त है।

माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम, मैं अपनी और आपकी ओर से प्रिंस को मौत के मुंह से निकाले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण इस बालक को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने एवं विशेष रूप से हमारे शस्त्र बलों, महाराष्ट्र अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बालक के बचाव कार्य हेतु किये गये उत्कृष्ट सफलतापूर्वक प्रयासों के लिए बधाई देने में मेरा साथ देंगे। सेना ने अपनी सर्वोच्च गरिमा का परिचय दिया है। हम सभी को अपनी सेना पर गर्व है। संसद सशस्त्र बलों तथा महाराष्ट्र अग्निशमन विभाग के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती है एवं उनका अभिनंदन करती है।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं इस बात से अवगत हूं कि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आप इस सत्र के दौरान सभा में चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही सरकार को भी अनेक विधायी एवं अन्य कार्यों को निपटाना है। मेरा और अध्यक्षपीठ को सुशोभित करने वाले मेरे सभी सहयोगियों का हमेशा यह प्रयास रहा है कि नियमों और उपलब्ध समय के अनुसार सभी माननीय सदस्यों को सभी सुविधाएं और अवसर प्रदान किये जाएं।

मैं पुन: इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अध्यक्षपीठ की न तो कभी ऐसी मंशा रही और न है कि इस सभा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा या वाद-विवाद में अवरोध लगाया जाए। इस बात का गर्व करना उचित ही है कि हम सब इस महान् देश की जनता के प्रतिनिधि है। जनता की अपनी अपेक्षाएं, अपने सपने और अपनी आकांक्षाएं हैं और इस संबंध में यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन पर चर्चा करें और समाधान निकालें।

यह सभा न केवल सर्वोच्च बल्कि एकमात्र ऐसा मंच है जिसे भारतीय संविधान में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की उत्तरदायिता सुनिश्चित करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है और हम उस प्राधिकार का प्रयोग एक जिम्मेदारी की भावना एवं जनता की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से करते हैं।

मेरी समझ से सुविचारित एवं सुगठित वाद-विवाद और चर्चा का न तो कोई विकल्प है और न हो सकता है। मेरा कहना यह है कि हम सभी को अपनी जनता के हित के लिए उपलब्ध समय के प्रत्येक मिनट का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आप सभी का सहयोग और सहायता चाहता हूं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अध्यक्षपीठ का भी इस सहायता और सहयोग के प्रति सकारात्मक रुख रहेगा।

हम सब लोक सभा चैनल के माध्यम से इस माननीय सदन और देश की जनता के बीच का अंतर यदि कोई है—को पाटने की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे है। यह चैनल लोक सभा सचिवालय की एक इकाई के रूप में काम करेगा और यह आपकी पूर्ण भागीदारी और सक्रिय सहयोग से ही सफल हो पाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: आपकी सहायता और सहयोग की कामना करता हूं। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न काल होगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमने क्वैश्चन आवर सस्पैंड करने के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में ठीक ग्यारह बजे सारे शहरों, कस्बों, मोहल्लों, गलियों और गांवों में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हम इसे प्रश्न काल के बाद नहीं ले सकते?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, महोदय यह महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

लाखों जगहों पर लोग महंगाई के खिलाफ घंटानाद कर रहे हैं, तालियां बजायी जा रही हैं। इस बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए नगाड़े बजाये जा रहे हैं और इस बात के लिए आह्वान किया जा रहा है कि यह सरकार पूरी तरह महंगाई पर काबू पाने में असमर्थ रही है, महंगाई रोक नहीं पायी है। इन्होने बार-बार वायदा करने के बाद भी महंगाई को रोका नहीं। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी ने भी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि महंगाई रोकने की कोशिश की जाए परन्तु महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इन सभी मामलों पर चर्चा किये जाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमें अपनी आवाज को इसीलिए बुलन्द करना है और उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलानी थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है? आप सीनियर मैम्बर हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है, आप लोग सीनियर मैम्बर्स हैं।

[अनुवाद]

आपको अन्य लोगों के लिए मानक स्थापित करने चाहिएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप स्पीकर को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। मैं उन्हें स्वीकृत करने के लिए तैयार हूं। मैं इन्हें लूंगा। यहां तक कि मैं अभी यहीं आपको यह अवसर देने के लिए तैयार हूं। आप अपना स्थगन प्रस्ताव रखें। यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं उन्हें स्वीकृति देने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आम आदमी महंगाई से मरे जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैंने मूल्य वृद्धि के संबंध में सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दूंगा। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप प्रश्न काल होने देंगे। मुझे बड़ा खेद है। आप अपने आश्वासन से पीछे हट रहे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सही तरीका नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि आपने मूल्य वृद्धि पर चर्चा की जो मांग की है वह होनी चाहिए। लेकिन यह इसी दिन नहीं हो सकती। मैंने आपके इन सब मुद्दों पर विचार किया है। फिर भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। मैं इसमें एक पक्ष कैसे बन सकता हूं? आपने यह आश्वासन दिया था कि प्रश्न काल होने दिया जाएगा और मैंने एक आश्वासन दिया था जिसे मैं निभाऊंगा लेकिन आप अपने आश्वासन से पीछे हट रहे हैं। मुझे इसके लिए खेद है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): ये लोग दो तरह की बातें करते हैं, बाहर कुछ बात करते हैं और हाउस में कुछ और बात करते हैं। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.19 बजे

(इस समय, श्री राकेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं मूल्य वृद्धि के संबंध में चर्चा की अनुमति दूंगा। मैं पहले ही यह कह चुका हूं। आप इससे सहमत हैं। हम एक ही विषय पर एक ही दिन में दो बार चर्चा नहीं कर सकते। मैं इससे अधिक और क्या कर सकता हूं? अध्यक्षपीठ की ओर से इससे अधिक और क्या किया जा सकता है? मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए आपकी मांग पर विचार कर चुका हूं। मुझे बताइये कि अध्यक्षपीठ की ओर से और अधिक क्या किया जा सकता है। आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं मध्याह्न 12 बजे इसे लूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्यों नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि यही नियम है तो मैं इस नियम का पालन करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मुम्बई में दो सौ से ज्यादा लोग विस्फोटों में मारे गये हैं, वहां आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सभा में यह क्या चल रहा है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह संसद में क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप चर्चा कराने पर सहमत हैं और इसके बावजूद वे सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर चलना चाहिए। *...(व्यवधान)* सर, यह हाउस रूल्स के मुताबिक चलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हम नहीं चाहते कि संसद में इस प्रकार का व्यवधान हो और सभा का कार्य इस प्रकार बाधित हो, इसलिए, हम आज स्थगन प्रस्ताव की मांग से सहमत नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं एक बात कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल यादव जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाइए। यह हमारा हाउस नहीं है, आप लोगों का हाउस है, देश का हाउस है, जनता का हाउस है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग सुनते नहीं हैं। आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नेताओं से यह जानना चाहता हूं कि वे संसद को कायम रखना चाहते हैं कि नहीं। यह प्रश्न विपक्ष के नेता से है। क्या आप चाहते हैं कि यह संसद कायम रहे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं कि मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपना वादा निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वे चर्चा करने से डरते हैं। हम ऐसी धमकी और बाधाओं से नहीं डरेंगे। वे जो चाहें उन्हें करने दे और देश को यह देखने दें कि वे क्या कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यह नहीं चाहते कि यह सभा चले? मैं यह जानना चाहूंगा। यदि आप सभा को चलाना नहीं चाहते तो मैं इसे स्थगित कर दूंगा। हम कल बैठेंगे। क्या आप सभा को नहीं चलाना चाहते? यदि आप यह चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही चले तो उसका यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है। मैं इस दिन के लिए सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं परामर्श नहीं लेता। मुझे ऐसा एक कारण बताइए जिसके लिए मैं सभा स्थगित कर दूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता इस बात से सहमत थे कि प्रश्न काल होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

[अनुवाद]

मुझे ऐसा एक अच्छा सा कारण बताइए जिसके लिए मैं सभा स्थगित कर दूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आज दिन भर के लिए सभा को स्थगित करने जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे आज के लिए स्थगित कर दूंगा। मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा को चलाने के लिए तैयार नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा को चलाना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीन द्वारा सतलुज नदी पर बांध का निर्माण

***1. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने सतलुज नदी पर एक बांध का निर्माण किया है जैसाकि दिनांक 30 जून, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बांध से भारत में पानी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और आपदा आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में चीन सरकार के साथ उचित माध्यम से इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ङ) सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 30 जून, 2006 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में झादा काउन्टी में स्थानीय लोगों की बिजली की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लांगक्विनजांग्बू (सतलज नदी) पर एक लघु जल विद्युत केन्द्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार ने सीमा पार जाने वाली नदियों के उचित और तर्कसंगत विकास तथा उपयोग के मूल सिद्धांत का हमेशा पालन किया है और विकास तथा उपयोग की इस प्रक्रिया के दौरान चीन की सरकार ने निचली पहुंचों पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरा ध्यान दिया है। इस संबंध में सूचना/आंकड़ों के आधार पर भारत में जल की स्थिति पर इस बैराज के प्रभाव के संबंध में आकलन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय भेषज नीति

*2. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय भेषज नीति के मसौदे की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त नीति पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भेषज कंपनियों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह नई नीति आम आदमी के लिए कितनी लाभकारी होगी और इससे आवश्यक दवाओं की कीमतों को कम करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(च) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप की घोषणा नहीं की है। तथापि, राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 पर मंत्रिमंडल के लिए एक नोट का प्रारूप विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है और उनके उत्तरों की अभी प्रतीक्षा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (स्वास्थ्य विभाग द्वारा), पेटेंट कार्यालय की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा), अनुसंधान एवं विकास पर बल-प्रक्रिया विकास, औषध की खोज, औषध विकास एवं नैदानिक परीक्षण, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर) जैसे और अधिक संस्थानों के माध्यम से औषध विज्ञानों के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, औषधों पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, सरकार द्वारा औषध के बल्क खरीद की प्रणाली को सरल एवं सुचारू बनाना (तमिलनाडु व दिल्ली सरकार की प्रणाली की तरह), जेनरिक औषधों का संवर्द्धन (सरकारी अस्पतालों द्वारा खरीद में), फार्मा सीपीएसईज का सुदृढ़ीकरण, गरीबों खासकर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की औषधों तक पहुंच का प्रावधान करने के लिए योजनाएं, अच्छी विनिर्माण परम्पराओं के लिए अनुसूची एम (औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 की) के कार्यान्वयन हेतु ब्याज सब्सिडी योजनाएं, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अंतर्गत पुराने बकायों के निपटारे के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का पुनर्गठन, आवश्यक औषधों की राष्ट्रीय सूची 2003 के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट औषधों का मूल्य निर्धारण।

विभिन्न विभागों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, नीति के प्रारूप को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। नीति को अंतिम रूप दिये जाने के बारे में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित नीति में ऐसी कई अन्य विशेषताएं हैं, जिनका उद्देश्य जन साधारण को लाभ पहुंचाना है। प्रस्तावित नीति के प्रारूप में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा में कटौती

*3. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीडीएस के अंतर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा में भी कमी किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कोटा को यथावत बनाए रखने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता गरीब परिवारों पर लक्षित रहे तथा विपथन को रोका जाए, सरकार ने निर्णय लिया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आवंटन को युक्ति संगत बनाया जाए और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की जाए।

(घ) और (ङ) सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए इन निर्णयों का क्रियान्वयन स्थगित करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

किसानों हेतु पुनर्वास पैकेज

*4. **डा. बाबू राव मिडियम:**
डा. के.एस. मनोज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ विदर्भ क्षेत्र का दौरा किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों के परिवारों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे किसानों के परिवारों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य आत्महत्या प्रवण राज्यों में भी इसी प्रकार के पैकेज की घोषणा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसकी घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) प्रधानमंत्री जी के साथ कृषि मंत्री जी ने विदर्भ क्षेत्र में किसानों की विपत्ति को देखने के लिए 30 जून और 1 जुलाई, 2006 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का प्रथमतया दौरा किया। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरे के दौरान विदर्भ क्षेत्र के छह जिलों अर्थात वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलधाना और वाशीम के किसानों की विपत्ति को कम करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की।

इस पैकेज का लक्ष्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की सुधरी हुई आपूर्ति, कृषि के लिए फसल केन्द्रित दृष्टिकोण, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि समर्थन सेवाओं, उन्नत विपणन सुविधाओं के जरिये स्थायी और व्यवहार्य कृषि और आजीविका समर्थन प्रणाली स्थापित करना तथा बागवानी, पशुधन, दुग्ध उत्पादन और मात्स्यिकी आदि के जरिए आय के सहायक अवसर सृजित करना है। यह पैकेज तीन वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता को समाप्त करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50 लाख रुपये की दर से अनुग्रह सहायता विदर्भ क्षेत्र में छह जिलों के जिलाधीशों के माध्यम से की जाएगी।

* किसानों को ऋण राहत: विदर्भ के छह जिलों में 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार लगभग 1296 करोड़ रुपये की अतिदेय ऋण धनराशि को पुन: संरचित/पुन: निर्धारित किया जाएगा।

* ब्याज माफी: छह जिलों हेतु कृषि ऋणों पर अतिदेय ब्याज, जो 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार लगभग 712 करोड़ रुपये है, माफ किया जाएगा।

* ऋण प्रवाह: 2006-07 हेतु 1275 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रवाह बैंकिंग क्षेत्र के जरिये इन छह जिलों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

* सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं: इन छह जिलों में सभी वृहत, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके तीन वर्षों की अवधि में 2177 करोड़ रुपये की लागत पर 1.59 लाख है. भूमि को सुनिश्चित सुविधाओं के अधीन लाया जाएगा।

* बीज प्रतिस्थापन: इन छह जिलों में 50% राजसहायता से एक व्यापक बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

* निम्नलिखित घटकों को कवर करते हुए पनधारा विकास:

- अगले तीन वर्षों में छह जिलों में प्रति जिले प्रतिवर्ष 500 रोक बांधों (चैक डैम्स) का निर्माण।

- प्रति जिला 15 हजार (1500) है. भूमि का सुधार, इसके लिए 1000 है. क्षेत्र की प्रति पनधारा के लिए 60 लाख रुपये की अनुदान सहायता जिसके लिए 54 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया जाएगा।

- छोटे और सीमांत किसानों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभानुभोगियों को लाभ देने के लिए सिंचाई क्षमता के त्वरित विकास हेतु प्रत्येक जिले में 1000 किसानों को कवर करते हुए वर्षा जल संचयन निर्माण।

* बागवानी विकास: विदर्भ क्षेत्र में शेष एक जिला अर्थात बुलधाना को वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन कवर किया जाएगा।

* लघु सिंचाई: प्रतिवर्ष 26 करोड़ रुपये के निवेश से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के अधीन 17800 है. क्षेत्र कवर करने के लिए लघु सिंचाई स्कीम का कार्यान्वयन तेज किया जाएगा।

* विस्तार सेवाएं: किसान सशक्तिकरण हेतु छह जिलों में प्रभावी और कुशल विस्तार सेवा तंत्र की स्थापना की जाएगी।

* सहायक आय: पशुधन और मछली पालन से संबंधित घटक में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- 50% राजसहायता (शेष बैंक ऋण) से प्रति जिले दूध देने वाले 1000 अधिक पशुओं को शामिल करना।

- पशुपालन लागत का 50% देने के लिए प्रत्येक जिले में 500 बछियों को शामिल करना।

- पशुओं को खिलाने के लिए 25% राजसहायता से चारा ब्लाकों की आपूर्ति।

- 50% राजसहायता (शेष बैंक ऋण से) चारा ब्लाक बनाने वाले चार यूनिटों की स्थापना।

- सभी पशुओं हेतु पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा का प्रावधान।

- प्रजनन योग्य 70% पशुओं हेतु वृहत ए.आई. कार्यक्रम और एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन शुरू करना।

- 10 दुग्ध शीतक संयंत्रों की स्थापना।

- 40% पूंजी और आदान लागत प्रदान करके प्रत्येक जिले में 100 है. क्षेत्र में मछली पालन शुरू करना, शेष धनराशि बैंक ऋण के जरिये दी जाएगी।

- पशुधन/मछली पालन/चारा बैंक के पैकेज में 135 करोड़ रुपये की सहायता शामिल होगी।

* क्रियान्वयन तंत्र: जिला स्तरीय समिति और पंचायती राज संस्थाओं के जरिये क्रियान्वयन किया जाएगा। पैकेज के वितरण और समयबद्ध ढंग से संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उपयुक्त संस्थागत संरचनाएं और विशेष प्रयोजनार्थ सहकारी समितियों/समुदाय आधारित संगठनों का सृजन किया जाएगा। समन्वयन और पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय पैकेज के क्रियान्वयन का मानिटरन करेगा।

(घ) से (च) सरकार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र हेतु घोषित पैकेज की तर्ज पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों के अभिज्ञात जिलों हेतु पुनर्वास पैकेज तैयार कर रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पुनर्गठन

***5. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रालय के अंतर्गत किसी प्रभाग अथवा विभाग के पुनर्गठन, विलय या उसे समाप्त करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म प्रभाग, फोटो प्रभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग निदेशालय को बंद करने, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म समारोह निदेशालय को फिल्म उद्योग को सौंपने; और बालचित्र समिति, भारत को गैर सरकारी संगठनों को सौंपने; राष्ट्रीय फिल्म विकास

निगम और ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड का विनिवेश करने और अन्य एककों की भूमिका को कम करने/युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है।

चूंकि मंत्रालय ने व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं इसलिए इस मामले को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया था जिसने दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को आयोजित इसकी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि:

"सूचना और प्रसारण मंत्रालय व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र ही एक रोड मैप का प्रस्ताव रखेंगे। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाटक प्रभाग को बंद किया जाएगा तथा फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग एवं फिल्म प्रभाग के आकार को काफी हद तक कम किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स आफ इंडिया लिमिटेड के विनिवेश को आस्थगित किया जा सकता है।"

इस मामले को सचिवों की समिति के समक्ष पुन: प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

सुपारी की कीमतों में गिरावट

*6. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद सुपारी की कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से सुपारी की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के अनुसार चयनित मंडियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान और इसके बाद सुपारी के वार्षिक/मासिक औसत मूल्य निम्नलिखित है:

(रु./क्विंटल)

वर्ष	कोझिकोड (सूखी सुपारी)	मंगलोर (नई सुपारी)
2003-04	4732	6172
2004-05	4509	5751
2005-06	5470	5843
अप्रैल 2006	6975	8359
मई 2006	6100	7572
जून 2006	5933	7162

(ख) से (घ) सुपारी को मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) में शामिल किया गया है जिसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारें, यदि वे इसके कार्यान्वयन में 50% हानि वहन करने का वचन देती हैं, के विशेष अनुरोध पर आधारित है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान सुपारी की खरीद के लिए एमआईएस के कार्यान्वयन हेतु किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अवक्रमित वन भूमि

*7. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में वन भूमि का कुल कितना क्षेत्र अवक्रमित है;

(ख) किन राज्यों में सबसे अधिक अवक्रमित वन भूमि है;

(ग) ऐसी भूमि को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ङ) क्या अवक्रमित वन भूमि को फिर से हरित बनाने के लिए निजी एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) यद्यपि, देश में वर्गीकरण के रूप में अवक्रमित वन भूमि का पृथक रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है फिर

भी, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 (एसएफआर-2003) के अनुसार देश का खुला वन क्षेत्र और झाड़-युक्त वन क्षेत्र क्रमशः 287,769 वर्ग कि.मी. और 40,269 वर्ग कि.मी. अर्थात् कुल मिलाकर 328,038 वर्ग कि.मी. है जिसे अवक्रमित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार राज्यवार खुला वन क्षेत्र और झाड़ युक्त वन क्षेत्र को जो मिलकर अवक्रमित वन क्षेत्र कहलाता है, संलग्न विवरण में दी गई सारणी में दर्शाया गया है। पहले तीन राज्य जिनमें अधिकतम खुला और झाड़-युक्त वन क्षेत्र है, वे हैं-मध्य प्रदेश (36,964 वर्ग कि.मी.), आंध्र प्रदेश (29,788 वर्ग कि.मी.) और उड़ीसा (25,542 वर्ग कि.मी.)।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अवक्रमित वनों और आस-पास की भूमियों को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के विकेन्द्रीकृत द्विस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 23,750 संयुक्तवन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 9,240 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का उपचार करने के लिए 715 एफडीए परियोजनाएं चलाई गई हैं। पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों में वन विकास अभिकरणों को 689.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ङ) और (च) भू-स्वामित्व वाले अभिकरण, स्थानीय ग्राम समुदाय और प्रायोजक, जो सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की कम्पनी, फर्म, प्रयोक्ता समूह, न्यास, सोसायटी अथवा संगठन हो सकता है, को शामिल करने हेतु अवक्रमित भूमियों के वनीकरण के लिए मल्टी-स्टेक होल्डर पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर विचार किया गया है। उपार्जित होने वाले लाभों की हिस्सेदारी सभी भागीदारों में उस अनुपात में होगी जिसके लिए सभी रजामंद होंगे।

विवरण

वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 के अनुसार भारत के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खुला वन क्षेत्र और झाड़ युक्त क्षेत्र

राज्य/संघ क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	खुला वन क्षेत्र	झाड़	खुला वन झाड़ क्षेत्र
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	275,069	20,040	9,748	29,788
अरुणाचल प्रदेश	83,743	14,508	116	14,624
असम	78,438	14,784	219	15,003
बिहार	94,163	2,531	150	2,681
छत्तीसगढ़	135,191	17,018	88	17,106
दिल्ली	1,483	118	1	119
गोवा	3,702	901	0	901
गुजरात	196,022	8,601	1,743	10,344
हरियाणा	44,212	997	68	1,065
हिमाचल प्रदेश	55,673	5,377	389	5,766
जम्मू-कश्मीर	222,236	10,770	2,947	13,717
झारखंड	79,714	11,035	807	11,842

1	2	3	4	5
कर्नाटक	191,791	13,988	3,141	17,129
केरल	38,863	5,949	72	6,021
मध्य प्रदेश	308,245	34,586	2,378	36,964
महाराष्ट्र	307,713	18,478	4,715	22,653
मणिपुर	22,327	10,681	74	10,755
मेघालय	22,429	10,348	169	10,517
मिजोरम	21,081	10,942	274	11,216
नागालैंड	16,579	7,902	231	8,133
उड़ीसा	155,707	20,196	5,346	25,542
पंजाब	50,362	837	22	859
राजस्थान	342,239	11,330	4,564	15,894
सिक्किम	7,096	900	360	1,260
तमिलनाडु	130,058	10,636	2,040	12,676
त्रिपुरा	10,486	3,047	1	3,048
उत्तर प्रदेश	240,928	8,122	749	8,871
उत्तरांचल	53,483	6,043	320	6,363
पश्चिम बंगाल	88,752	6,298	75	6,373
अंडमान एवं निकोबार	8,249	680	1	681
चंडीगढ़	114	6	1	7
दादरा एवं नगर हवेली	491	80	0	80
दमन एवं दीव	112	6	0	6
लक्षद्वीप	32	11	0	11
पांडिचेरी	480	23	0	23
कुल	3,287,263	287,769	40,269	328,038

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

*8. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयासों के बावजूद गेहूं, चावल, दलहन, चीनी, खाद्य तेल, दूध, सब्जियां इत्यादि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा जून, 2005 और जून, 2006 में इन वस्तुओं के तुलनात्मक खुदरा और थोक मूल्य क्या थे;

(ग) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं का आयात करने तथा इनके निर्यात पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिबंध के कारण राजस्व की कितनी हानि होने की संभावना है;

(ङ) क्या इन वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित जमाखोरों और सट्टेबाजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान गेहूं, चीनी और दालों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का रुख पाया गया। तथापि, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप मूल्य स्थिर हो गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जहां तक गेहूं का संबंध है, सरकार ने शून्य सीमा शुल्क पर 35 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 31.12.2006 तक स्वतंत्र रूप से गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई है और आयात शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। सफेद चीनी पर 30.9.2006 तक आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है और इस वित्त वर्ष के अंत तक चीनी के निर्यात की अनुमति नहीं है। दालों के संबंध में 31.3.2007 तक शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है और 31.3.2007 तक इनके निर्यात की अनुमति समाप्त कर दी गई है। दालों के नि:शुल्क आयात की अनुमति के बावत वर्ष की शेष अवधि में करीब 230 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत वर्ष 2004, 2005 और 2006 (19.7.2006 तक) के दौरान राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75, 111 और 55 नजरबंदी आदेश किये गये। उठाये गये अन्य कदमों में राज्य सरकारों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को आदेश देने की सलाह दिया जाना शामिल है।

गेहूं के संबंध में अनुचित सट्टेबाजी को रोकने के लिए वस्तु भावी सौदा व्यापार के विनियामक वायदा बाजार आयोग द्वारा उठाये गये कदमों में-(1) 23.6.2006 को गेहूं में मार्जिन को कम से कम 10% तक बढ़ाना; (2) 28.6.2006 से लाँग पर 10% अतिरिक्त मार्जिन भी लगाया जाना; (3) 27.6.2006 से खुली स्थिति पर मौजूदा सीमाओं के 50% तक कमी; सभी चालू संविदाओं पर एक सदस्य के लिए समग्र सीमाओं को 80,000 टन से घटाकर 40,000 टन करना और ग्राहकों के लिए 20,000 टन से घटाकर 10,000 टन करना; गेहूं के लिए निकट माह संविदाओं की सीमाओं में मौजूदा सीमाओं के 50% तक कमी करके सदस्य के लिए 8,000 टन तथा ग्राहकों के लिए 2,000 टन करना; (4) 12.7.2006 से कूलिंग आफ अवधि को मौजूदा 15 मिनट प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 मिनट प्रतिदिन करना शामिल है।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योगों के लिए पुनरुद्धार योजना

*9. **श्री निखिल कुमार:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरक उद्योग हेतु एक पुनरुद्धार योजना तथा फास्फेटिक पोटाशिक उर्वरकों हेतु एक नई मूल्य प्रणाली की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/बंद पड़े उर्वरक उपक्रमों के पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के

लिए उपयुक्त उपाय कर रही है। जहां तक फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्य निर्धारण का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के लिए नियंत्रणमुक्त पी और के उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत की नीति को फास्फेटयुक्त उर्वरकों की रियायत दर की गणना करने के लिए फास्फोरिक एसिड का मूल्य अपनाने की पद्धति में थोड़ा संशोधन करके एक और वर्ष के लिए अर्थात 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है। पहले, फास्फोरिक एसिड का मूल्य, फास्फोरिक एसिड उपभोक्ता समूह (पीएसजीसी) द्वारा प्रतिवर्ष बातचीत से तय किये गये फास्फोरिक एसिड के मूल्य पर आधारित होता था। तथापि, वर्ष 2006-07 के लिए फास्फोरिक एसिड का मूल्य फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मूल्य संबंधी मुद्दों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित फार्मूला के आधार पर तय किया जाएगा। फास्फोरिक एसिड का यह फार्मूला डीएपी, अमोनिया और भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जैसे स्वतंत्र पारदर्शी प्राचलों पर आधारित है।

गन्ना उत्पादकता

***10. श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में 'गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास' नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, विशेषत: आंध्र प्रदेश, में वर्षवार कितने खेत प्रदर्शन (फील्ड डिमान्सट्रेशन) किये गये;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों तथा इससे जुड़े कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार गन्ना उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां, गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बृहत् कृषि प्रबंधन के अधीन गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में खेतों पर प्रदर्शन, कृषक और विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण, कृषि औजार/मशीनरी, तापोपचार संयंत्रों (हीट ट्रीटमेंट प्लांटस) पौध रोपण सामग्री के उत्पादन तथा ड्रिप सिंचाई हेतु सहायता का प्रावधान है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में स्कीम के अधीन खेतों पर किये गये प्रदर्शनों और प्रशिक्षित किये गये किसानों और विस्तार कर्मियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना उत्पादन से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन मुख्य राज्यों में खेतों पर किये गये प्रदर्शनों और प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		प्रदर्शन	प्रशिक्षणार्थी	प्रदर्शन	प्रशिक्षणार्थी	प्रदर्शन	प्रशिक्षणार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	736	3500	1598	1855	—	—
2.	बिहार	420	11520	400	27870	100	10120
3.	कर्नाटक	—	—	400	—	1106	—
4.	छत्तीसगढ़	120	1680	25	1080	468	6060

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	उत्तरांचल	25	710	29	660	60	1060
6.	उत्तर प्रदेश	880	8000	1200	7200	1320	16480
7.	तमिलनाडु	80	2010	—	500	387	—
8.	त्रिपुरा	20	1060	—	—	—	—
9.	गुजरात	—	—	165	3360	142	2050
10.	हरियाणा	350	5000	700	5060	600	5060
11.	मणिपुर	100	5060	131	3670	340	10120
12.	मध्य प्रदेश	—	870	—	800	—	2140
13.	महाराष्ट्र	738	2230	540	3850	991	8400

-क्रियान्वित नहीं।

विवरण II

मुख्य राज्यों में गन्ने का वर्षवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज

क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
उत्पादन (हजार टन)
उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)

राज्य		2003-04	2004-05	2005-06
1		2	3	4
आंध्र प्रदेश	क्षेत्र	209.0	210.0	230.0
	उत्पादन	15070.0	15739.0	17480.0
	उपज	72105	74947	76000
बिहार	क्षेत्र	103.6	104.2	102.0
	उत्पादन	4285.9	4111.7	4346.0
	उपज	41369	35459	42608
गुजरात	क्षेत्र	176.4	196.7	197.0
	उत्पादन	12669.1	14570.0	14580.0
	उपज	71820	74072	74010

1		2	3	4
हरियाणा	क्षेत्र	160.0	130.0	127.0
	उत्पादन	9280.0	8060.0	8180.0
	उपज	5800	6200	64409
कर्नाटक	क्षेत्र	243.3	178.0	208.0
	उत्पादन	16015.4	14276.0	16203.0
	उपज	65825	80202	77899
मध्य प्रदेश	क्षेत्र	43.3	52.5	56.0
	उत्पादन	1873.7	2148.0	2425.0
	उपज	43272	40914	43304
महाराष्ट्र	क्षेत्र	443.0	324.0	545.0
	उत्पादन	25668.0	20475.0	36197.0
	उपज	579413	631944	66417
पंजाब	क्षेत्र	123.0	86.0	84.0
	उत्पादन	6620.0	5170.0	4860.0
	उपज	53821	60126	57857
उत्तरांचल	क्षेत्र	128.0	107.0	101.0
	उत्पादन	7651.0	6441.0	6134.0
	उपज	59773	60196	60733
तमिलनाडु	क्षेत्र	192.1	232.0	344.0
	उत्पादन	17656.0	23396.0	38035.0
	उपज	91904	100844	110567
उत्तर प्रदेश	क्षेत्र	2030.1	1954.7	2156.0
	उत्पादन	112754.0	118715.6	125473
	उपज	55543	607334	58197
अखिल भारत	क्षेत्र	3938.4	3661.5	4245.0
	उत्पादन	233861.8	237088.4	278387.0
	उपज	59379	64751	65580

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कामगार

***11. श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए सीमा संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने और कामगारों/कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उचित चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, कुल 75.70 लाख कामगार कवर किये गये हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 15 जून, 2006 को आयोजित अपनी 136वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के कवरेज के लिए मजदूरी की उच्चतम सीमा 7500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। सरकार ने अब इस आशय की अधिसूचना 20 जुलाई, 2006 को जारी कर दी है। मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण लगभग 5 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों और 15 लाख अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों (कुल 20 लाख) के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर किये गये कर्मचारियों को चिकित्सा देख-रेख मुहैय्या कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पूरे देश में अस्पतालों और औषधालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इस समय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के देश में 143 अस्पताल और 1427 औषधालय हैं। इसके अलावा पैनल चिकित्सकों अर्थात् बीमा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के माध्यम से भी चिकित्सा देखरेख मुहैय्या कराया जाता है। प्रतिष्ठित सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्था के माध्यम से उच्च विशेषज्ञता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जिसके लिए एक चक्रिय निधि तंत्र बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश के चार अंचलों में चार उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की भी स्थापना करने का निर्णय लिया है।

विवरण

दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये गये कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र/एरिया	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	575100
2.	असम और मेघालय	31750
3.	बिहार	34350
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	31950
5.	छत्तीसगढ़	32950
6.	दिल्ली	553900
7.	गोवा	81800
8.	गुजरात	454500
9.	हरियाणा	431450
10.	हिमाचल प्रदेश	39650
11.	जम्मू-कश्मीर	17850
12.	झारखंड	72700
13.	कर्नाटक	706900
14.	केरल	325700
15.	मध्य प्रदेश	162200
16.	महाराष्ट्र	1119950
17.	उड़ीसा	117000
18.	पांडिचेरी	55450
19.	पंजाब	354500
20.	राजस्थान	275200
21.	तमिलनाडु	1020550

1	2	3
22.	उत्तर प्रदेश	453000
23.	उत्तरांचल	22900
24.	पश्चिम बंगाल	598900
	अखिल भारत	75,70,200

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें

***12. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एनएसपी) के अंतर्गत शामिल फसलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने छोटे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह सुझाव दिया है कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्तमान में, निम्नलिखित 25 प्रमुख फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में कवर की गई हैं:

1. धान
2. ज्वार
3. बाजरा
4. मक्का
5. रागी
6. अरहर (तुर)
7. मूंग
8. उड़द
9. कपास
10. मूंगफली छिलके सहित
11. सूरजमुखी बीज
12. सोयाबीन
13. तिल
14. रामतिल बीज
15. गेहूं
16. जौ
17. चना
18. मसूर (लेन्टिल)
19. तोरिया/सरसों
20. कुसुम (सैफ्लावर)
21. तोरिया
22. खोपरा
23. पटसन
24. गन्ना
25. तम्बाकू (वीएफसी)

(ख) और (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यक्रम के दायरे का विस्तार छोटे किसानों के लिए खाद्य और आय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी फसलों को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए। आयोग ने आगे सिफारिश की है कि किसानों को फसल विविधीकरण से संबंधित परामर्श देने को एमएसपी के आश्वासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (जोन) में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

***13. श्री रामकृपाल यादव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (जोन) में स्थापित उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे उद्योग स्थापित करने से पहले पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) में स्थापित किये जाने वाले उद्योग यदि समय समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 की अनुसूची I में आते हैं तो इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी।

(ख) और (ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विशेष आर्थिक जोन के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

***14. श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने शिकायत की है कि वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों में हुई वास्तविक वृद्धि को नहीं दर्शाया है और यह मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को पुनर्व्यवस्थित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) भारतीय मजदूर संघ के महासचिव श्री उदय पटवर्धन ने श्रम ब्यूरो को सम्बोधित दिनांक 30.5.2006 के अपने पत्र में टिप्पणी की है कि नया अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) जनवरी से मार्च, 2006 के दौरान स्थिर रहा जबकि गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, अनाजों आदि की कीमतों में वृद्धि हुई, ऐसा संभवत: गलत कीमत संकलन की वजह से है, जिससे कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाला महंगाई भत्ता कट गया, जिसमें सुधार किया जाना चाहिए।

श्रम ब्यूरो द्वारा श्री पटवर्धन को 14.7.2006 को यह बताते हुए उत्तर भेज दिया गया है कि जनवरी, 2006 की अपेक्षा, फरवरी, 2006 के दौरान 30 केन्द्रों में मूल्य सूचकांकों में कमी आई, जबकि 31 केन्द्रों में स्थिर बना रहा और 17 केन्द्रों में वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार मार्च, 2006 के दौरान जबकि 19 केन्द्रों में मूल्य सूचकांकों में गिरावट आई, वहीं वे 27 केन्द्रों में स्थिर रहे और 32 केन्द्र बिन्दुओं में वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, अप्रैल, 2006 के दौरान, जबकि 5 केन्द्रों में मूल्य सूचकांकों में कमी आई, वहीं 15 केन्द्रों में स्थिर बने रहे और 58 केन्द्रों में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इन सबको शामिल करते समय, आधार 2001 = 100 के साथ एआईसीपीआई जनवरी, फरवरी और मार्च, 2006 के दौरान 119 रहा लेकिन अप्रैल, 2006 के दौरान बढ़ कर 120 हो गया।

नयी पर्यावरण नीति

***15. श्री उदय सिंह:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नयी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के मसौदे को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में प्रमुख पर्यावरणविदों के मंतव्यों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) इस नयी पर्यावरण नीति से विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में कितनी सहायता मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। मंत्रिमंडल द्वारा 18.5.2006 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) का अनुमोदन किया गया था और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के वेबसाइट (http://www.envfor.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 संविधान में अधिदेशित स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता की अनुक्रिया है। यह स्वीकार किया गया है कि स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना

केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय विषय को मुख्य धारा में शामिल करके सतत् विकास का एहसास करने में मदद करना है। इसमें देश के समक्ष मौजूदा तथा भविष्य में आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों, पर्यावरण नीति के उद्देश्यों, नीतिगत कार्रवाई को रेखांकित करते हुए मानक सिद्धांतों, हस्तक्षेप संबंधी कार्यनीतिक थीमों और कार्यनीतिक थीमों को पूरा करने के लिए जरूरी वैधानिक व संस्थागत विकास के सामान्य संकेतों तथा कार्यान्वयन और समीक्षा संबंधी कार्य-तंत्रों, आदि का संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को तैयार करने के लिए अनेक प्रकाशित शोध साहित्य की समीक्षा की गई थी। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, उद्योग संघों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, सिविल समाज, गैर-सरकारी संगठनों और जनता के साथ व्यापक परामर्श किये गये थे। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) दस्तावेज के प्रारूप पर प्राप्त सभी विचारों और सुझावों पर विचार करने के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है।

(ङ) इस नीति में पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नवीन और की जा रही पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसके लिए विभिन्न कर्त्ताओं द्वारा समन्वित कार्रवाई और सभी सरकारी-केन्द्रीय, राज्य/संघ शासित प्रदेश और स्थानीय, स्तरों पर संबंधित अभिकरणों द्वारा अभिनिर्धारित विषयों पर कार्य योजनाएं तैयार करना अपेक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य योजनाएं तैयार करना और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सदृश कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

(च) इस नीति की मंशा पर्यावरणीय सरोकारों को सभी विकास गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना है। इस नीति को विनियामक सुधारों, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं और केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की एजेंसियों द्वारा कानून बनाने तथा उसकी पुनरीक्षा करने के कार्य में एक निर्देशिका से रूप में बनाए जाने की मंशा है।

किसानों को आसान शर्तों पर ऋण

*16. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों के विगत ऋणों पर ब्याज माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खरीफ 2006-07 के लिए किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देने तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य सरकारों से बातचीत करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और इससे किसान कितने लाभान्वित होंगे?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या की बहुत अधिक घटनाओं वाले 4 राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल) के 31 जिलों में किसानों की विपत्ति को कम करने के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पैकेज तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा तथा इसमें तत्काल और मध्यम अवधि दोनों तरह के उपाय शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई, 2006 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए पहले से ही विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज महाराष्ट्र के छह जिलों अर्थात अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलधाना में लागू है। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त छह जिलों में दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय (ओवरड्यू) ऋणों पर सम्पूर्ण ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। अतिदेय ब्याज की माफी का बोझ राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान रूप से शेयर किया जाएगा।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 3 लाख रु. के मूलधन की ऊपरी सीमा के साथ 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋणों का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्णय की घोषणा की थी। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू होती है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा सलाह दी गई है कि वे 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रु. के मूलधन की ऊपरी सीमा के साथ किसानों को लघु अवधि के कृषि ऋण प्रदान करने की बजट घोषणा को क्रियान्वित करें। नाबार्ड भारत सरकार से ब्याज की आर्थिक सहायता के साथ वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमश: 2.5% प्रतिवर्ष

और 4.5% प्रति वर्ष की दर से पुनर्वित्त प्रदान करेगा। रियायती पुनर्वित्त केवल उन बैंकों को उपलब्ध होगा जो किसानों को 7% प्रतिवर्ष की दर से 3.00 लाख रु. के मूलधन की ऊपरी सीमा के साथ लघु अवधि के कृषि ऋण सुनिश्चित करने पर सहमत होते हैं।

ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता

***17. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को एक राष्ट्रीय समस्या माना गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को सुलझाने तथा इस रुझान को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) अनौपचारिक ऋण स्रोतों जिसमें निजी साहूकार भी शामिल हैं, पर किसानों की अपने ऋणों की जरूरतों के लिए निर्भरता को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार का विचार है कि एक लाभप्रद कार्य के रूप में कृषि की पूर्ण संभाव्यता क्षमता का उपयोग जल्दी से जल्दी करना जरूरी है जिससे कि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। कृषि की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में मददगार होने वाले कारकों में संस्थागत ऋणों की सुलभता भी शामिल है। संस्थागत ऋणों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए और ऋणग्रस्तता के कारण किसानों के सामने आने वाले संकट को कम करने के लिए भारत सरकार ने 18.6.2004 को एक विशेष फार्म क्रेडिट पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में इस बात की परिकल्पना की गई है कि अगले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को मिलने वाला ऋण दोगुना हो जायेगा। इस घोषणा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

- कृषि क्षेत्र में ऋण की सुलभता में प्रति वर्ष 30% की दर से वृद्धि करना।
- वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं को क्षमतावान बनाना ताकि कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ सके।
- विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के द्वारा कम से कम 100 नये किसानों को ऋण दिया जायेगा जिससे नये ऋणी किसानों की संख्या लगभग 50 लाख हो जायेगी।
- रोपण तथा बागवानी, मात्स्यिकी, जैविक कृषि आदि में कम से कम 2 से 3 नई निवेश परियोजनाओं को वित्त पोषण।
- चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में कम से कम 10 कृषि क्लीनिकों को वित्त पोषण।
- छोटे और सीमान्त किसानों को पब्लिक सैक्टर के बैंकों द्वारा ज्यादा ऋण दिया जाना और इस संबंध की प्रगति को मानीटर किया जायेगा।
- काश्तकार किसानों तथा मौखिक पट्टेदारों को ऋण प्रदान करना।
- ऋण स्थगन के बदले ऋण की पुनर्संरचना।
- कर्ज राहत उपाय निम्नलिखित के लिए होंगे:
  - * विपदाग्रस्त किसान
  - * बकायेदार किसान
  - * छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ओटीएस
  - * गैर-संस्थागत साहूकारों से पिछले कर्जों को माफ करने के लिए किसानों को ऋण।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में सुधार और वित्त पोषण के पैमाने का पुनर्निर्धारण तथा उसे लागू करना ताकि किसानों की वास्तविक जरूरतों विशेषकर पूंजी जन्य कृषि प्रचालनों को पूरा किया जा सके।
- कृषि, कृषि प्रसंस्करण और कृषि बायोटेक में प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज।
- काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों के स्व-सहाय्यसमूहों का गठन और उनको वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना ताकि किसानों के इस वर्ग को ऋण दिया जा सके।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात

***18. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं का कितना लक्षित और वास्तविक उत्पादन, खरीद, भंडार और आयात दर्ज किया गया;

(ख) क्या सरकार खरीद और आयातों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खुले बाजार से गेहूं खरीदने तथा चालू वर्ष के दौरान और अधिक गेहूं का आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आयातों और खरीद की मात्रा, भारत पहुंचने के बाद उनकी कीमत तथा पहुंचने की समयसारणी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने आयात हेतु निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टयों में छूट दी है;

(छ) यदि हां, तो प्राप्त बोलियों की संख्या कितनी है और निर्यातक कंपनियों तथा देशों के नाम क्या हैं;

(ज) क्या विभिन्न देशों से प्राप्त बोलियों की जांच की गयी है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) फसल वर्ष 2005-06 में गेहूं का उत्पादन 75.53 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 69.48 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) हुआ है। रबी विपणन मौसम 2006-07 में 92.2 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है। 1 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 82.07 लाख टन गेहूं का स्टाक है। वर्ष 2006-07 में अब तक 0.92 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूली खुले रूप में होती है, अतः कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, गेहूं की वसूली करने वाले राज्यों के खाद्य सचिवों द्वारा दिये गये अनुमानों के अनुसार रबी विपणन मौसम 2006-07 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा 163 के मूल्यों के अधिक होने, इसका लक्ष्य की तुलना में कम उत्पादन होने, बाजार की नकारात्मक सोच होने, बाजार आमद कम होने और निजी व्यापारियों के अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी करने के कारण गेहूं की कम वसूली हुई थी।

0.92 टन आयातित गेहूं पहले ही पहुंच चुका है और राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शेष 34.08 लाख टन गेहूं की खेप जुलाई 2006 से जनवरी, 2007 तक पहुंच जाने का कार्यक्रम है।

(घ) फिलहाल खुले बाजार से गेहूं खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गेहूं का आयात उस सीमा तक किया जाएगा जितना निर्धारित बफर मानदंड को बनाए रखने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित होगा।

(ङ) अनुबंधित गेहूं के आयात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(च) संभावित बोलीदाताओं की व्यापक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आयात के लिए गुणवत्ता विनिर्दिष्टयों में ढील दी है।

(छ) से (झ) जी, हां। विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त बोलियों की जांच की गई थी और गेहूं की आपूर्ति के लिए वैध तथा प्रतिस्पर्धात्मक पायी गयी पेशकशों को स्वीकार कर लिया गया है।

विवरण

आयातों की मात्रा, उतरान लागत और इसके कार्यक्रम के ब्यौरे

	निविदा-1	निविदा-2	निविदा-3
1	2	3	4
मात्रा	5 लाख टन	8 लाख टन	22 लाख टन
औसत उतरान (लागत सी. एण्ड एफ. लागत)	7981.19 रुपये प्रति टन	8804.01 रुपये प्रति टन	9101.24 रुपये प्रति टन

1	2	3	4
प्राप्त बोलियों की संख्या	8	8	8
निर्यात करने वाली कंपनियां	एडब्ल्यूबी जेनेवा	(1) एडब्ल्यूबी जेनेवा (2) एग्रीको ट्रेडिंग कं.	(1) मै. एडीएम, यूएसए (2) मै. कारगिल इंटरनेशनल (3) मै. कोनकेडिया एग्री ट्रेडिंग प्रा.लि. (4) मै. ग्लेनकोर ग्रेन्स (5) मै. टोयपफोर इंटरनेशनल
शिपमेंट कार्यक्रम	जुलाई, 2006 से जनवरी, 2007 के बीच		

[अनुवाद]

प्राइवेट चैनलों से प्रतिस्पर्धा

***19. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी प्रसारणकर्त्ता, प्रसार भारती ने निजी टी.वी. चैनलों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में और क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निजी टी.वी. चैनलों से भिन्न दूरदर्शन, लोक सेवा प्रसारक होने के नाते पूर्णत: वाणिज्यिक प्रतिफलों द्वारा अभिप्रेरित नहीं है। तथापि, भारतीय पाठकगण सर्वेक्षण, 2006 द्वारा संचालित टी.वी. परिवारों में विभिन्न टी.वी. चैनलों के दर्शकों की संख्या संबंधी सर्वेक्षण (चक्र 1) के अनुसार, दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या निजी चैनलों के दर्शकों की अपेक्षा अधिक है।

प्रसार भारती ने अपने चैनलों के लिए अच्छी गुणवत्ता का साफ्टवेयर प्राप्त करने के उद्देश्य से स्व-वित्तीयन परिचालन स्कीम तथा भारतीय श्रेण्य साहित्य की प्रोग्रामन संबंधी स्कीम शुरू की है।

दूरदर्शन की कू. बैंड (फ्री-टु-एयर डीटीएच) सेवा के माध्यम से पूरे देश में (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध कराया गया है। लघु आकार की अभिग्रहण इकाइयों के माध्यम से देश में कहीं भी डीटीएच सिगनल प्राप्त करना संभव है।

इस संबंध में और अधिक सुधार लाना एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है और प्रसार भारती उपयुक्त पहलों के जरिये प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने की दिशा में प्रयासरत है।

श्रम कानूनों में संशोधन

***20. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी ऐसे कानूनों में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस मुद्दे को कब तक अंतिम रूप देने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को कानूनी समानता प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों और

विभिन्न अन्य कानूनों के संबंध में सिफारिशें की थी। इसके प्रत्युत्तर में महिला और बाल श्रम विभाग ने इन सिफारिशों की जांच करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में एक कृतक बल का गठन किया था। विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन हेतु कृतक बल के विचार निम्नानुसार है:

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923:

(क) इस अधिनियम के शीर्षक को उभयलिंगीय, नामत: कामगार प्रतिकर अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

(ख) महिला कामगार की इच्छानुसार महिला प्रैक्टिशनर द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा जांच का प्रावधान करना।

2. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:

(क) बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों का प्रावधान करना।

(ख) धारा 13 में बाल श्रम शिक्षा को शामिल करना।

(ग) 11 वर्ष की आयु से कम किसी बच्चे को किसी प्रतिष्ठान/व्यवसाय/प्रक्रिया में नहीं नियोजित किया जाना चाहिए, यहां तक कि वहां भी जहां 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विनियमित दशाओं के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत 2000 रुपये के न्यूनतम दंड का प्रावधान करना।

(ङ) एकत्र किये गये जुर्माने का उपयोग बाल श्रमिकों की शिक्षा पर किया जाना।

3. बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976:

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत सतर्कता समितियों में और अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना।

(ख) मुक्त कराई गई महिला श्रमिकों को पर्याप्त ऋण की व्यवस्था हेतु महिला एजेंसियों के सहयोग और सहभागिता लेने का प्रावधान करना।

(ग) सतर्कता समितियां बंधुआ श्रमिकों के बारे में लैंगिक और भिन्न आयु वाले आंकड़ों को संकलित करें।

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने में वृद्धि।

(ङ) अन्य लगाए गए जुर्माने की वसूली, लाइसेंस, परमिट आदि को रद्द करने अथवा निलंबित करने के लिए सिद्धदोष व्यक्तियों की चल/अचल सम्पत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करना।

(च) वसूले गये जुर्माने का मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उपयोग करना।

4. ठेका श्रम (विनियमन और प्रतिषेध) अधिनियम, 1970:

(क) महिलाओं के हित का ध्यान रखने के लिए केन्द्रीय बोर्ड में डीडब्ल्यूसीडी के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना।

(ख) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड में आधे सदस्य, सदस्य महिलाओं में से किये जाने का प्रावधान करना।

(ग) महिलाओं के लिए अलग से आराम कक्षों और शौचालयों का प्रावधान करना।

5. अंतर्राज्यिक महिला कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979:

(क) इस अधिनियम के शीर्षक को उभयलिंगीय, नामत: अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार अधिनियम रखा जाना चाहिए।

(ख) महिला अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने और उनके बच्चों के लिए शिशु सदनों की व्यवस्था करना।

6. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:

(क) दावों/शिकायतों का निर्णय करने के लिए 50 प्रतिशत महिला अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करना।

(ख) रिकार्डों का रख-रखाव न करने के लिए दंड में वृद्धि।

7. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936:

(क) नियोजित व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नामांकन नहीं करेगा। परिवार की परिभाषा को भी इस अधिनियम की धारा 2 में भी शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) मजदूरी स्तरों में समुचित संशोधन करना जिस पर यह अधिनियम लागू होता है।

(ग) देश में चालू आय स्तर के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने में संशोधन किया जाना चाहिए।

8. बागान श्रम अधिनियम, 1951:

(क) 11 वर्ष की आयु से कम किसी बच्चे को इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बागानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) शिशु सदनों की सुविधाओं का प्रावधान।

(ग) अधिक संख्या में महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये, एक तिहाई कल्याण अधिकारी महिलाएं होनी चाहिए, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा आदि।

9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत 10 प्रतिशत महिला निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करना। चिकित्सकों/शिक्षकों/पंचायत सदस्यों को इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक बनाया जाना चाहिए।

10. कारखाना अधिनियम, 1948:

(क) गतिशील मशीनों की सफाई करने, लुब्रीकेटिंग करने और समायोजन करने में महिलाओं और युवाओं के कार्य पर प्रतिबंध लगाना।

(ख) महिलाओं के लिए अलग से लंच रूम और रेस्ट रूम की व्यवस्था करना।

(ग) कारखानों में शिशु सदन की सुविधा।

(घ) कारखानों में रात्रि की पाली में कार्य करने हेतु महिलाओं को अनुमति प्रदान करना।

11. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को उन सभी प्रतिष्ठानों में जो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 द्वारा कवर होते हैं, लाभ प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना।

(ख) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड में आधी संख्या महिला सदस्यों के लिए प्रावधान करना।

(ग) महिलाओं के लिए अलग से आराम कक्षों और शौचालयों का प्रावधान करना।

12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961:

(क) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रसूति लाभ यथा महिला कर्मकारों को 135 दिनों की प्रसूति छुट्टी (पूर्ण वेतन के साथ) और पुरुष कर्मकारों के लिए 15 दिनों का पैतृक अवकाश का प्रावधान करना।

कृतक बल की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923: मंत्रालय इस अधिनियम के शीर्षक को उभयलिंगीय बनाने हेतु बदल कर कामगार प्रतिकर अधिनियम करने पर सहमत हो गया है।

2. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: मंत्रालय बाल श्रम सलाहकार समितियों में महिलाओं की 33 प्रतिशत सीटों का प्रावधान करने और बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 13 में बाल श्रम शिक्षा को शामिल करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने को सहमत हो गया है।

3. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन करने) अधिनियम, 1979: मंत्रालय इस अधिनियम के शीर्षक को उभयलिंगीय बनाने हेतु बदल कर अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार करने पर सहमत हो गया है।

4. कारखाना अधिनियम, 1948: जहां तक कारखानों में रात्रि की पालियों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति देने का संबंध है, इसे पहले ही मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

चूंकि राज्य सरकारें श्रम विधान को लागू करने के लिए समुचित प्राधिकरण है अत: इन अधिनियमों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श आवश्यक होगा। मंत्रालय ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

अन्य श्रम कानूनों के संबंध में सिफारिशों के मामले में, मंत्रालय ने इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समितियों और बोर्डों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और जांच अधिकारियों और निरीक्षकों के रूप में अधिक महिलाओं की तैनाती हेतु जहां कहीं आवश्यक है, प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये हैं।

लौह अयस्क के निर्यात/खनन के अधिकार

1. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों ने देश भर में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के प्रस्तावों के साथ सरकार से संपर्क साधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों को लौह अयस्क के खनन/निर्यात अधिकार देने के लिए कोई नीति बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) मैसर्स मित्तल स्टील कंपनी एन.वी. नीदरलैंड्स और दक्षिण कोरिया की मैसर्स पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) ने ग्रीनफील्ड इस्पात परियोजनाओं स्थापित करने में रुचि दर्शाते हुए क्रमश: झारखंड और उड़ीसा राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) और (ग) खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 5(1) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत भारत में पंजीकृत किसी भी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी को ही खनिज रियायत दी जा सकती है।

एनसीएलपी के अंतर्गत परियोजना संबंधी प्रस्ताव

2. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम शिक्षा और पुनर्वास हेतु कोई परियोजना संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस परियोजना के अंतर्गत कितने बाल श्रमिकों को लाया गया, कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है और मांग के प्रति कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) इस वर्ष प्रस्तावों और अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करती रही है। नवीं योजना में कर्नाटक के 5 जिले अर्थात् बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बंगलौर, ग्रामीण, बंगलौर शहरी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत थे। 10वीं योजना के दौरान 12 और जिले अर्थात् चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, मांडया, बेलगांव, कोप्पल, तुमकुर, दावणगेरे, हावेरी, मैसूर, बगलकोट राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में शामिल कर लिये गये है।

(ग) उन जिलों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं, जिनका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चयन किया जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इस स्कीम के अंतर्गत पांच पुराने जिलों के अतिरिक्त पांच नये जिलों अर्थात् बेल्लारी, बगलकोट, गुलबर्गा, कोप्पल तथा कोलार के लिए निधियां संस्वीकृत की गयी हैं। इन जिलों में 16,800 बच्चों को एनसीएलपी स्कीम के दायरे में लाया जा रहा है। कर्नाटक राज्य के लिए एनसीएलपी स्कीमों के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	धनराशि
2003-04	2,87,80,259
2004-05	3,31,01,388
2005-06	2,73,43,400
2006-07 (20.7.2006 तक)	32,34,600

(घ) एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत नए जिलों को बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है। विद्यमान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों अर्थात् त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनुदान प्रदान किया जाता है। कर्नाटक राज्य से प्राप्त राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के चिन्हित जिलों के पूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

प्रदूषित पानी में सब्जियां उगाना

3. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदूषित पानी में उगाई जा रही सब्जियों से आम आदमी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने अपर सचिव, कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया है ताकि (1) सिंचाई उद्देश्यों के लिए गैर उपचारित सीवेज पानी से बचने, कृषि कार्य में कीटनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से बचने और कृषि जिन्सों के फसलोपरान्त उपचार में खतरनाक रसायनों का बहिष्कार, (2) दिल्ली में सब्जियों के भारी धातु का संदूषण, से संबंधित मामलों की जांच की जा सके। इसके अलावा, भा.कृ.अ.प., सीएसआईआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन जैसे-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम भी उपरोक्त मुद्दों पर काम कर रहे हैं और इन पर ध्यान दे रहे हैं। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को प्रदूषित जल के उपचार हेतु स्वीकृत किया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना

4. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेनासी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर एक स्वायत्त ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्राधिकरण गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) एक स्वत: पूर्ण स्वायत्त संगठन की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण के वास्ते एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

सरसों के बीज की खरीद

5. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों के बीजों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू मौसम में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में किसानों को एमएसपी पर खरीदे गये सरसों के बीजों का भुगतान काफी विलम्ब से किया गया है;

(घ) यदि हां, तो खरीद और भुगतान की तारीख के बीच न्यूनतम और अधिकतम फासले का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने की कोई योजना बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) अधिप्राप्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा लाख एमटी में
2006	13.45
2005	14.03
2004	0.18
2003	शून्य

(ग) से (च) भारत सरकार ने सरकारी गारन्टी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों से 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और सरसों बीज की खरीद और रबी 2006 के दौरान किसानों को भुगतान के लिए नेफेड को आश्वासन पत्र जारी किये हैं। नेफेड ने 3797.13 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी है जिसमें से राजस्थान में किसानों को भुगतान के लिए 2350 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये हैं। सामान्यतया, भंडार की खरीद से एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। तथापि, भारी अधिप्राप्ति कार्यों के कारण किसानों को भुगतान करने में औसतन लगभग तीन सप्ताह का समय लगा है।

[अनुवाद]

खनन कामगारों का कल्याण

6. श्री अनन्त नायक: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में विभिन्न खानों और खनन उद्योग में कार्यरत कामगार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है; और

(ख) यदि हां, तो इन कामगारों को समुचित आवास, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय उड़ीसा सहित पूरे देश में खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जलापूर्ति के क्षेत्र में लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोाइट खान श्रम कल्याण निधि तथा माइका खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत कल्याण योजनाएं चलाता रहा है। खान कामगार जिनकी मासिक मजदूरी 10,000 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। जोडा, उड़ीसा में पात्रता प्राप्त खान कामगारों और उनके परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की पूर्ति करने के लिए एक 50 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थित है। इसके अलावा खान कामगारों के लिए उड़ीसा में श्रम कल्याण संगठन द्वारा कुछ स्थिर-सह-सचल औषधालय भी चलाये जा रहे हैं। विशेषज्ञता वाले उपचारों के लिए जैसे हृदय, गुर्दा, कैंसर रोग के मरीजों को मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में भेजा जाता है और कतिपय सीमा तक उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त कल्याण निधियों के अंतर्गत खान कामगारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वितों की कुल संख्या और किया गया व्यय इस प्रकार है:

(व्यय के आंकड़े लाख रुपये में दिये गये हैं)

		2003-04	2004-05	2005-06
स्वास्थ्य	व्यय	190.03	212.30	217.58
	लाभान्वित	उपलब्ध नहीं	168730	157818
शिक्षा	व्यय	95.71	98.07	102.63
	लाभान्वित	उपलब्ध नहीं	8629	8748
आवास	व्यय	56.08	35.10	41.12
	लाभान्वित	उपलब्ध नहीं	237	उपलब्ध नहीं

उपक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालयों की स्थापना

7. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में एक उपक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरकोइल स्थित वर्तमान भविष्य निधि निरीक्षालय का दर्जा बढ़ाकर उसे एक उपक्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) जी हां। नागरकोइल और कन्याकुमारी जिलों को शामिल करते हुए नागरकोइल (तमिलनाडु) में उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विचाराधीन है और इसे कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी, भविष्य निधि के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।

योजनाओं के विकास हेतु धनराशि

8. श्री धनुषकोडी आर. आतिथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के

दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बागवानी, कृषि, पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

I. बागवानी समेत कृषि

क. कृषि में बृहद प्रबंधन संबंधी योजना

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3400.00	3800.00	3600.00	4702.31	3300.00	7707.69	4210.00	1203.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.00	317.28	500.00	1214.15	1420.00	1420.00	2200.00	880.00
3.	असम	700.00	350.00	800.00	1661.93	1720.00	860.00	2000.00	800.00
4.	बिहार	1800.00	900.00	1800.00	1786.51	1700.00	850.00	2170.00	1085.00
5.	झारखंड	1200.00	1200.00	1400.00	2458.75	1300.00	906.00	1660.00	830.00
6.	गोवा	200.00	131.04	200.00	280.53	200.00	332.59	260.00	237.50
7.	गुजरात	2300.00	1150.00	2300.00	5305.61	2200.00	4850.00	2810.00	454.00
8.	हरियाणा	1600.00	1662.00	1600.00	1813.68	1600.00	1460.00	2040.00	1350.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1585.15	1600.00	1600.00	1600.00	1700.00	2040.00	1350.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	1680.00	1600.00	2285.38	3000.00	2250.00	4000.00	2000.00
11.	कर्नाटक	5500.00	5580.00	5700.00	11872.44	4700.00	4702.58	5990.00	2995.00
12.	केरल	2900.00	2348.00	2900.00	4583.19	2400.00	5950.00	3060.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	4400.00	4400.00	4500.00	7224.76	3900.00	2550.00	4980.00	2490.00
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	1600.00	1800.00	5359.23	1800.00	2775.00	2300.00	692.00
15.	महाराष्ट्र	8000.00	8400.00	8200.00	17225.59	6850.00	10328.01	8730.00	4365.00
16.	मणिपुर	600.00	300.00	700.00	1146.16	1600.00	1785.40	2200.00	880.00
17.	मिजोरम	800.00	820.00	700.00	1821.64	1800.00	1950.00	2500.00	1000.00
18.	मेघालय	600.00	427.25	900.00	1223.18	1600.00	800.00	1800.00	720.00
19.	नागालैंड	800.00	880.00	900.00	1768.00	1800.00	1800.00	2500.00	10000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	2300.00	1967.31	2300.00	4036.54	2000.00	2300.00	2550.00	1275.00
21.	पंजाब	1500.00	0.00	1500.00	996.54	1100.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	6700.00	6571.19	6800.00	11955.30	5800.00	6255.00	7390.00	4368.00
23.	सिक्किम	500.00	500.00	600.00	861.80	1422.00	1422.00	1900.00	760.00
24.	तमिलनाडु	4200.00	4275.00	4300.00	5137.01	3600.00	3670.00	4590.00	3037.50
25.	त्रिपुरा	800.00	715.34	800.00	1699.91	1700.00	1861.56	2000.00	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	6800.00	7375.00	7000.00	8888.67	5800.00	7423.23	7400.00	3700.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1600.00	1600.00	2361.06	1700.00	1787.87	2170.00	1436.00
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	1920.00	2400.00	3152.65	2500.00	2500.00	3190.00	1595.00
	कुल	66400.00	62454.56	69000.00	114422.52	70112.00	82196.93	88640.00	41303.50

ख. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी-एमएम-II)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	385.00	238.33	623.62	571.16	440.00	570.52	1320.00	660.00
2.	गुजरात	425.00	419.28	750.00	773.04	750.00	812.42	1200.00	600.00
3.	हरियाणा	225.00	159.61	225.00	112.50	280.00	270.43	300.00	150.00
4.	कर्नाटक	385.00	386.44	486.03	478.58	500.00	500.00	560.00	280.00
5.	मध्य प्रदेश	325.00	213.67	607.59	483.28	400.00	302.35	450.00	226.00
6.	महाराष्ट्र	645.00	779.03	784.79	771.44	786.00	763.00	1000.00	500.00
7.	उड़ीसा	145.00	93.80	80.00	40.00	78.00	78.97	125.00	62.50
8.	पंजाब	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00
9.	राजस्थान	275.00	265.61	719.21	231.25	500.00	392.87	580.00	290.00
10.	तमिलनाडु	225.00	288.98	339.41	342.94	350.00	338.45	245.00	122.50
11.	त्रिपुरा	15.00	12.88	25.00	22.00	50.00	15.00	200.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	उत्तर प्रदेश	130.00	92.92	80.00	40.00	65.00	35.00	80.00	40.00
13.	पश्चिम बंगाल	45.00	25.58	50.00	38.59	75.00	92.77	80.00	0.00
14.	विविध					200.00		250.00	0.00
	कुल	3230.00	2976.13	4771.65	3904.78	4475.00	4171.78	6400.00	2941.00

ग. दलहन, तिलहन, मक्का और आयलपाम संबंधी योजनाएं

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी)		दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी)		त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी)		आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी)	
		आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	69.00	69.00	1218.00	1218.00	5.00	5.00	350.00	72.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.00	21.00	21.00	15.95	15.95	0.00	0.00
3.	असम	50.00	50.00	104.00	104.00	4.44	4.44	2.00	2.00
4.	बिहार	9.00	9.00	27.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	झारखंड	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	8.00
7.	गुजरात	42.00	42.00	732.00	732.00	2.00	2.00	50.00	50.00
8.	हरियाणा	61.00	61.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	10.00	10.00	47.27	47.27	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	4.00	4.00	12.00	12.00	5.00	5.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	117.00	117.00	522.00	522.00	4.00	4.00	80.00	120.00
12.	केरल	3.00	3.00	9.00	9.00	0.00	0.00	6.00	5.00
13.	मध्य प्रदेश	336.00	336.00	1060.00	1060.00	20.62	20.62	0.00	0.00
14.	छत्तीसगढ़	42.00	42.00	46.00	46.00	10.07	10.07	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	212.00	212.00	642.00	642.00	15.13	15.13	0.00	0.00
16.	मणिपुर	20.00	20.00	72.00	72.00	22.30	22.30	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मिजोरम	25.00	25.00	79.00	79.00	29.89	29.89	0.00	0.00
18.	मेघालय	15.00	15.00	24.00	24.00	4.30	4.30	0.00	0.00
19.	नागालैंड	35.00	35.00	90.00	90.00	4.30	4.30	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	33.00	33.00	205.00	205.00	0.00	0.00	6.00	5.00
21.	पंजाब	9.00	9.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	269.00	269.00	869.00	869.00	50.31	50.31	0.00	0.00
23.	सिक्किम	10.00	10.00	50.00	50.00	3.00	3.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	69.00	69.00	347.00	347.00	15.75	15.75	90.00	120.00
25.	त्रिपुरा	30.00	30.00	60.00	60.00	15.82	15.82	8.00	8.00
26.	उत्तर प्रदेश	172.00	172.00	298.00	297.50	51.20	51.20	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	13.00	13.00	18.00	18.00	10.65	10.65	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	21.00	21.00	131.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00

*पहले चल रही राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी), तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) तथा आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) संबंधी चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक में मिलाकर 1 अप्रैल, 2004 से समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का योजना (आइसोपोम का क्रियान्वयन किया जा रहा है)।

घ. समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का योजना (आइसोपाम)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3543.00	3559.97	2650.00	4816.50	2750.00	1375.00
2.	असम	8.00	4.00	15.00	3.00	30.00	0.00
3.	बिहार	290.00	145.00	490.00	245.00	490.00	0.00
4.	गोवा	20.00	10.00	33.00	16.50	33.00	0.00
5.	गुजरात	1883.00	1883.00	1850.00	1850.00	1950.00	0.00
6.	हरियाणा	559.00	497.00	350.00	434.00	375.00	187.50
7.	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00	67.00	75.50	75.00	37.50
8.	जम्मू-कश्मीर	170.00	85.00	285.00	142.50	302.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कर्नाटक	2155.00	2155.00	1800.00	1800.00	1900.00	950.00
10.	केरल	10.00	5.00	15.00	7.50	15.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	2925.00	2925.00	2400.00	2400.00	2500.00	1250.00
12.	छत्तीसगढ़	625.00	625.00	400.00	400.00	425.00	212.50
13.	महाराष्ट्र	1040.00	1040.00	1750.00	2739.00	1850.00	0.00
14.	मिजोरम	107.00	107.00	90.00	9.00	180.00	90.00
15.	उड़ीसा	455.00	455.00	500.00	500.00	525.00	262.50
16.	पंजाब	105.00	52.50	175.00	87.50	175.00	0.00
17.	राजस्थान	2000.00	2000.00	2350.00	2840.00	2450.00	1225.00
18.	तमिलनाडु	990.00	990.00	1245.00	1245.00	1345.00	431.00
19.	त्रिपुरा	10.00	5.00	20.00	7.00	40.00	0.0
20.	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	1065.00	1065.00	1115.00	557.50
21.	पश्चिम बंगाल	260.00	260.00	450.00	450.00	475.00	273.50
	कुल	17980.00	17628.47	18000.00	21214.00	19000.00	6816.00

*पहले चल रही राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी), तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) तथा आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) संबंधी चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक में मिलाकर 1 अप्रैल, 2004 से समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का योजना (आइसोपोम) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ङ. सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (एमएम-II)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2003-04	निर्मुक्ति 2003-04	आवंटन 2004-05	निर्मुक्ति 2004-05	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1220.00	1220.00	1645.55	1645.55	1300.00	1300.00	1400.00	210.00
2.	असम	1400.00	1400.00	1425.00	871.00	1300.00	1300.00	1400.00	210.00
3.	मणिपुर	638.00	638.00	1286.25	1286.25	1500.00	1500.00	1700.00	255.00
4.	मिजोरम	1089.00	1089.00	1801.10	1801.10	1800.00	1800.00	2000.00	1000.00
5.	मेघालय	937.00	937.00	1395.99	1395.99	1700.00	1700.00	2000.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	नागालैंड	1256.00	1256.00	1467.30	1875.00	1700.00	1700.00	2000.00	300.00
7.	सिक्किम	1000.00	1000.00	1150.00	1150.00	1800.00	1800.00	1800.00	270.00
8.	त्रिपुरा	900.00	900.00	1111.30	1111.30	1500.00	1500.00	1400.00	560.00
9.	उत्तरांचल	564.72	564.72	1300.00	975.00	1100.00	1100.00	4000.00	2000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	650.00	650.00	1300.00	1300.00	1100.00	1100.00	4000.00	2000.00
11.	जम्मू व कश्मीर	650.00	650.00	1233.00	1233.00	1550.00	1550.00	3500.00	225.00

च. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति 2005-2006	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	8000.00	1500.00
2.	बिहार	3100.00	11500.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	11192.08	0.00
4.	गुजरात	3239.28	12400.90	700.00
5.	गोवा	315.20	335.30	200.00
6.	हरियाणा	1050.00	3850.00	400.00
7.	झारखंड	3030.00	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	4455.17	0.00	1000.00
9.	केरल	3533.98	18767.85	0.00
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	7427.10	0.00
11.	महाराष्ट्र	8260.28	22730.11	1200.00
12.	उड़ीसा	3611.91	8490.96	1200.00
13.	पंजाब	2868.82	0.00	800.00
14.	राजस्थान	2259.57	7164.17	1500.00
15.	तमिलनाडु	3891.67	18205.89	2500.00
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	12398.11	0.00

1	2	3	4	5
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	9377.00	1400.00
18.	दिल्ली	0.00	0.00	300.00
	कुल	58620.00	151839.47	12700.00

नोट: नई योजना 2005-06 में शुरू हुई।

छ. विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	223.00	अस्थाई आवंटन है @3.00 लाख प्रति प्रखंड जो लगभग रुपए 7500.00 लाख	
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.00		
3.	असम	160.00		
4.	बिहार	176.00		43.00
5.	झारखंड	163.00		
6.	गुजरात	116.00		60.00
7.	गोवा	27.00		
8.	हरियाणा	123.00		
9.	हिमाचल प्रदेश	122.00		
10.	जम्मू-कश्मीर	104.00		
11.	कर्नाटक	180.00		
12.	केरल	80.00		
13.	मध्य प्रदेश	297.00		
14.	छत्तीसगढ़	125.00		
15.	महाराष्ट्र	231.00		
16.	मणिपुर	59.00		
17.	मिजोरम	49.50		33.60
18.	मेघालय	14.00		

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	61.00		
20.	उड़ीसा	255.00		
21.	पंजाब	159.00		
22.	राजस्थान	231.00		
23.	सिक्किम	39.00		
24.	तमिलनाडु	128.00		80.00
25.	त्रिपुरा	22.00		
26.	उत्तर प्रदेश	547.00		
27.	उत्तरांचल	149.00		41.00
28.	पश्चिम बंगाल	92.00		64.00
	कुल	4005.50	7500.00	321.60

नोट: नई योजना-2005-06 में शुरू हुई।

ज. लघु सिंचाई

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2005-06	निर्मुक्ति 2005-06	आवंटन 2006-07	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6129.22	6129.22		अभी जारी नहीं हुई
2.	अरुणाचल प्रदेश				
3.	असम				
4.	बिहार			4964.20	
5.	झारखंड				
6.	गुजरात	2182.00	2182.00		
7.	गोवा			24.27	
8.	हरियाणा			224.18	
9.	हिमाचल प्रदेश				
10.	जम्मू-कश्मीर				
11.	कर्नाटक	3584.11	4584.11		

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	3200.00	3200.00		अभी जारी नहीं हुई
13.	मध्य प्रदेश	580.33	580.33	981.62	
14.	छत्तीसगढ़			2909.75	
15.	महाराष्ट्र	4808.06	4808.06	5974.73	
16.	मणिपुर				
17.	मिजोरम				
18.	मेघालय				
19.	नागालैंड				
20.	उड़ीसा			708.52	
21.	पंजाब	566.13	566.13	602.91	
22.	राजस्थान	1048.00	1048.00	3947.53	
23.	सिक्किम				
24.	तमिलनाडु	4290.96	4290.96		
25.	त्रिपुरा				
26.	उत्तर प्रदेश	1241.74	1241.74		
27.	उत्तरांचल				
28.	पश्चिम बंगाल			391.34	

नोट: नई योजना 2005-06 में शुरू हुई।

II. पशुपालन एवं डेरी विभाग

क. वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	राज्यों को आहार एवं चारा विकास हेतु सहायता	राज्यों को कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए सहायता	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण (नई)	समेकित नमूना सर्वेक्षण	पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	पशुधन संगणना	राष्ट्रीय रेन्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना	व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रम	खुर एवं मुंह पका रोग नियंत्रण	समेकित डेरी विकास कार्यक्रम	वृद्धजनों का आपुनिकीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	718.18	0.00	0.00	0.00	7.71	184.00	410.00	10.00	3.60	98.00	150.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	74.50	0.00	3.97	45.00	13.50	15.00	2.40	0.00	14.20	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.24	50.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	253.19	118.00	0.00	1.20	0.00	100.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	141.58	65.00	15.00	0.80	0.00	99.91	0.00
6.	गोवा	58.71	0.00	0.00	0.00	5.40	8.00	6.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	40.00	0.00	22.38	0.00	29.29	246.72	200.00	25.00	4.00	88.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64	211.25	65.00	20.00	9.00	116.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	2.00	27.40	0.00	17.85	67.16	32.00	20.00	3.20	0.00	50.75	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	85.00	0.00	25.68	74.55	50.00	20.00	0.80	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	465.00	25.00	0.00	0.00	30.98	74.00	170.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00
12.	केरल	220.00	0.00	0.00	0.00	29.00	80.00	205.00	20.00	7.50	41.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	360.00	0.00	48.93	0.00	20.34	6.00	150.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14.	छत्तीसगढ़	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33	46.00	10.00	0.80	0.00	0.00	150.00
15.	महाराष्ट्र	860.00	8.44	0.00	0.00	25.00	91.20	285.00	25.00	28.84	122.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	64.65	14.00	15.00	2.40	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	40.00	39.53	57.00	50.00	17.47	101.05	17.47	15.00	18.60	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	65.64	0.00	0.00	0.00	6.72	42.10	14.00	25.00	2.00	0.00	50.00	0.00
19.	नागालैंड	182.00	27.53	42.50	0.00	2.47	176.24	10.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	15.00	0.00	22.42	210.25	105.00	20.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	32.00	85.00	15.00	2.00	126.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	40.00	0.00	0.00	34.93	87.57	140.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	42.50	0.00	3.47	32.09	7.00	20.00	2.00	0.00	324.80	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	63.60	130.00	10.00	2.00	14.00	0.00	47.49
25.	त्रिपुरा	95.00	57.46	82.50	0.00	5.97	154.23	31.00	20.00	3.60	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	414.15	400.00	20.00	6.08	282.00	325.09	0.00
27.	उत्तरांचल	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	40.00	10.00	0.80	0.00	483.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	105.40	191.00	45.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3577.53	199.96	497.71	50.00	415.25	3270.61	3049.97	520.00	158.82	887.00	1597.75	197.49

नोट: उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

ख. वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	राज्यों को आहार एवं चारा विकास हेतु सहायता	राज्यों को कुक्कुट/बतख फार्मों के लिए सहायता	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण (सं)	समेकित नमूना सर्वेक्षण	पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	पशुधन संगणना	राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट उन्मूलन परियोजना	व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रम	खुर एवं मुंह पका रोग नियंत्रण	समेकित डेरी विकास कार्यक्रम	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आधारसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण	बूचड़खानों का आधुनिकीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	858.36	0.00	47.92	0.00	29.61	425.00	216.12	40.00	5.00	150.00	0.00	39.37	155.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	151.30	99.00	132.50	119.38	4.75	4.00	50.40	25.00	1.50	0.00	0.00	0.00	220.50
3.	असम	129.50	68.35	0.00	0.00	2.12	162.00	0.00	20.00	1.50	0.00	296.04	8.02	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	465.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.53	0.00
5.	झारखंड	0.00	150.00	0.00	0.00	20.99	195.00	6.37	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	97.29	0.00	68.00	0.00	5.50	9.50	24.33	10.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	279.70	0.00	90.37	0.00	50.43	340.00	439.37	20.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	454.00	0.00	0.00	0.00	28.62	145.00	327.86	35.00	6.50	200.00	0.00	162.89	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	270.20	5.00	25.00	68.45	26.49	30.00	75.60	15.00	5.00	0.00	160.17	38.42	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	135.91	0.00	204.00	0.00	19.56	55.00	203.20	32.50	0.00	0.00	180.79	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	394.29	9.50	55.00	0.00	46.97	355.00	451.30	40.00	6.00	0.00	0.00	697.47	0.00
12.	केरल	801.95	90.00	0.00	48.55	42.04	140.00	0.00	15.00	8.00	58.00	57.63	20.00	61.23
13.	मध्य प्रदेश	661.54	0.00	64.00	0.00	44.32	385.00	234.15	35.00	1.50	0.00	0.00	61.67	0.00
14.	छत्तीसगढ़	100.00	25.00	0.00	0.00	16.54	150.00	174.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	46.53	150.00	0.00	49.45	765.00	665.65	35.00	2.00	180.00	0.00	409.94	579.90
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	77.00	2.97	12.00	104.06	10.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	71.00	112.50	128.00	44.50	23.43	14.00	168.87	10.00	8.00	0.00	128.82	10.90	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	40.00	0.00	6.77	18.12	23.34	10.00	1.50	0.00	150.00	0.0	0.00
19.	नागालैंड	159.67	112.50	252.50	61.30	10.00	16.50	315.00	10.00	6.00	0.00	72.59	34.24	25.00
20.	उड़ीसा	485.00	0.00	0.00	0.00	35.75	295.00	330.06	15.00	2.50	0.00	295.01	179.45	0.00
21.	पंजाब	111.27	0.00	0.00	0.00	15.95	160.00	156.05	15.00	1.50	200.00	0.00	178.30	0.00
22.	राजस्थान	0.00	26.32	0.00	0.00	57.72	290.00	204.42	20.00	32.50	0.00	118.10	179.86	208.75
23.	सिक्किम	0.00	57.65	0.00	58.50	4.75	8.50	0.00	10.00	6.00	0.00	51.73	19.06	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	तमिलनाडु	204.82	0.00	99.76	0.00	35.47	660.00	300.42	15.00	1.50	20.00	55.45	227.47	47.19
25.	त्रिपुरा	96.67	50.00	0.00	0.00	20.21	17.00	43.33	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00
26.	उत्तर प्रदेश	841.15	337.66	0.00	0.00	75.12	1110.00	263.33	20.00	6.00	524.00	364.82	96.64	26.16
27.	उत्तरांचल	84.80	0.00	0.00	0.00	10.77	29.00	124.71	10.00	10.00	0.00	586.02	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	353.10	0.00	80.00	50.00	30.39	645.00	464.97	35.00	9.75	0.00	42.01	0.00	0.00
	कुल	6741.52	1190.01	1437.05	527.68	752.39	6900.62	5367.41	537.50	155.00	1482.00	2559.18	2464.23	1413.73

नोट: उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

ग. वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	राज्यों को आहार एवं चारा विकास हेतु सहायता	राज्यों को कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए सहायता	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण (नई)	समेकित नमूना सर्वेक्षण	पशुधन संगणना	पशुधन बीमा	पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय रिण्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना	व्यावसायिक क्षमता विकास	खुर एवं मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	समेकित डेरी विकास कार्यक्रम	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आधारभूतसुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	388.74	19.80	0.00	0.00	19.85	10.00	184.60	0.00	35.00	3.00	130.00	135.00	65.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	0.00	135.60	44.39	3.50	4.00	47.00	100.65	35.00	20.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	100.00	0.00	0.00	0.00	7.36	9.00	47.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8.52
4.	बिहार	0.00	0.00	160.00	0.00	14.19	1.00	133.00	192.96	0.00	1.21	0.00	100.00	0.00
5.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	4.00	44.00	50.00	0.00	0.00	0.00	146.89	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	1.00	0.00	15.28	25.00	0.00	0.00	0.00	91.48
7.	गुजरात	703.25	155.57	136.00	0.00	61.23	12.00	150.00	293.00	30.00	5.00	80.00	0.00	251.25
8.	हरियाणा	183.50	0.00	40.00	0.00	15.00	3.00	133.00	256.00	30.00	4.00	55.00	153.83	238.53
9.	हिमाचल प्रदेश	678.07	100.00	117.56	13.00	15.68	5.00	44.00	82.30	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	58.40	47.00	59.81	12.00	5.00	44.00	200.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	907.20	100.00	0.00	0.00	43.77	20.00	110.00	400.00	38.00	7.00	0.00	0.00	53.85
12.	केरल	284.88	0.00	191.68	0.00	46.00	12.00	68.00	150.00	10.00	8.00	60.00	329.44	368.04
13.	मध्य प्रदेश	150.00	0.00	0.00	0.00	24.98	5.00	150.00	275.48	10.00	0.00	0.00	369.21	193.98
14.	छत्तीसगढ़	570.00	0.00	148.00	0.00	3.13	7.00	44.00	53.59	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	64.50	14.82	5.00	150.00	704.65	35.00	0.00	0.00	500.10	494.50
16.	मणिपुर	0.00	0.00	42.50	0.00	2.25	6.00	47.00	58.33	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	85.49	100.00	240.00	0.00	21.00	3.00	47.00	243.68	20.00	12.00	0.00	74.29	22.47
18.	मेघालय	120.08	0.00	85.00	0.00	2.35	5.00	47.00	81.02	0.00	3.74	0.00	65.00	0.00
19.	नागालैंड	213.59	120.50	300.00	0.00	16.05	10.00	47.00	345.64	15.00	20.76	0.00	256.21	13.97
20.	उड़ीसा	400.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.00	69.00	229.00	15.00	20.00	0.00	817.68	271.12
21.	पंजाब	700.00	129.82	40.00	19.70	9.00	2.00	125.00	0.00	15.00	6.50	70.00	0.00	87.11
22.	राजस्थान	490.00	37.02	0.00	0.00	64.11	6.00	150.00	267.04	30.00	17.50	0.00	322.55	197.12
23.	सिक्किम	123.55	110.00	42.50	0.00	5.52	5.00	46.00	50.86	20.00	0.00	0.00	350.61	47.28
24.	तमिलनाडु	1253.00	24.00	0.00	0.00	20.95	15.00	106.00	999.00	30.00	1.25	40.00	0.00	111.50
25.	त्रिपुरा	50.00	40.25	0.00	0.00	3.08	3.00	22.00	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	300.00	37.03	342.06	59.87	57.49	60.00	254.00	1222.46	25.00	7.00	260.00	166.32	341.49
27.	उत्तरांचल	446.93	90.00	54.70	0.00	13.73	6.00	44.54	103.47	0.00	2.04	0.00	201.12	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	805.23	40.00	120.00	125.65	18.94	5.00	68.00	491.78	45.00	30.00	0.00	0.00	162.76
	कुल	9003.51	1162.39	2242.60	386.92	538.88	240.00	2421.14	7086.01	548.00	190.00	695.00	3988.25	3020.47

नोट: उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

घ. वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	राज्यों को आहार एवं चारा विकास हेतु सहायता	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण (नई)	पशुधन बीमा	पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	राष्ट्रीय रेन्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना	व्यावसायिक क्षमता विकास	खुर एवं मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	संयोजित डेरी विकास परियोजना	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	305.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	221.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	23.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	59.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	10.00	5.00	0.00	0.00	146.13
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	33.00	150.00	5.00	0.00	0.00	0.00	133.66
13.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	245.00	235.00	10.00	0.00	0.00	0.00	200.50
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	120.00	0.00	110.00	150.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	104.61	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	113.00	200.00	5.00	0.00	12.00	102.14	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	17.27
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	390.20	120.00	59.41	2400.00	2135.00	85.00	21.00	12.00	206.75	497.56

नोट: उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

समुद्र के किनारों पर दीवार का निर्माण

9. श्रीमती पी. सती देवी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा समुद्री अपदर्न को रोकने के लिए समुद्र के किनारों पर दीवारों का निर्माण करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या दीवारों के निर्माण द्वारा अपर्दन को रोकने का यह वैज्ञानिक तरीका है; और

(घ) यदि नहीं, तो समुद्री अपर्दन को रोकने का अन्य प्रभावी तरीका क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार को राज्य में समुद्री कटाव रोकने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई थी। "तटीय और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक स्कीम के तहत छः तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता मुहैया कराई गई थी। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान मुहैया कराई गई राज्य-वार सहायता इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान जारी की गई राशि		
		2003-04	2004-05	2005-06
1.	कर्नाटक	0.50	-	-
2.	केरल	0.50	-	-
3.	महाराष्ट्र	-	1.00	1.30
4.	उड़ीसा	0.50	-	1.00
5.	पांडिचेरी	-	1.00	-
6.	तमिलनाडु	-	1.00	1.32
	कुल	1.50	3.00	3.62

(ग) जी, हां। समुद्री दीवार का निर्माण करना समुद्री कटाव को रोकने की वैज्ञानिक पद्धतियों में से एक पद्धति है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रित मूल्य पर राशन वस्तुएं

10. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** नियंत्रित मूल्य पर राशन वस्तुएं के बारे में 12 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2686 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने वाले उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) संबंधित विभागों/राज्यों से पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

वनों की सुरक्षा के लिए धनराशि

11. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार अपर्याप्त धनराशि के कारण वनों की सुरक्षा करने में कठिनाई का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पर्याप्त धनराशि जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष में अनुमोदित धनराशि वहां देर से पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है/ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत वन सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 की अवधि के दौरान जारी की गई निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया है।

बोतलबंद/मिनरल वाटर की आपूर्ति

12. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी कंपनियां बोतलबंद/ मिनरल वाटर का उत्पादन/आपूर्ति का कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार को आईएसआई प्रमाणन के बिना अवैध रूप से बेचे जाने वाले बोतलबंद/मिनरल वाटर के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों की समीक्षा और संशोधन किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने अब तक भारत में आई.एस. 14543 : 2004 के अनुसार पैकेजबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्नों के प्रयोग हेतु 1283 लाइसेंस और आई.एस. 13428 : 2005 के अनुरूप पैकेजबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए 7 लाइसेंस मंजूर किये हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। हाल ही में आंध्र प्रदेश पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हैदराबाद, जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र, मछलीपत्तनम तथा उड़ीसा के कुछ पैकेजबंद पेयजल विनिर्माताओं ने आई.एस.आई. चिह्न रहित पैकेज बंद पेयजल की बिक्री के संबंध में शिकायत की है।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने संबंधित राज्य सरकारों से दोषियों के खिलाफ समुचित प्रवर्तन कार्रवाई करने हेतु लिखा है। तदनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गहन अभियान चलाया गया जिसमें अब तक 403 इकाइयों पर मुकदमे चलाये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आईएस 14543 : 2004 के अनुसार पैक बंद पेय जल के लाइसेंसों की संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाइसेंसों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	192
3.	असम	8
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	14
6.	दादरा और नगर हवेली	4
7.	दमन और दीव	4
8.	दिल्ली	38
9.	गोवा	11
10.	गुजरात	119
11.	हरियाणा	24
12.	हिमाचल प्रदेश	5

1	2	3
13.	झारखण्ड	9
14.	जम्मू-कश्मीर	6
15.	कर्नाटक	90
16.	केरल	30
17.	मध्य प्रदेश	39
18.	महाराष्ट्र	112
19.	मणिपुर	4
20.	मेघालय	1
21.	नागालैंड	1
22.	उड़ीसा	10
23.	पांडिचेरी	1
24.	पंजाब	14
25.	राजस्थान	27
26.	तमिलनाडु	421
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	44
29.	उत्तरांचल	7
30.	पश्चिम बंगाल	36
	कुल	1283

आईएस 13428 : 2005 के अनुसार प्राकृतिक खनिज जल के लाइसेंसों की संख्या (राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाइसेंसों की संख्या
1.	गुजरात	1
2.	हिमाचल प्रदेश	5
3.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	7

श्रम नीति

13. श्री हरिन पाठक:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास उदार श्रम नीति वाला एक इंडस्ट्रियल पार्क आर्डीनेंस संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश एवं गुजरात राज्य सरकार ने मसौदा प्रस्ताव नामत: क्रमश: आंध्र प्रदेश स्पेशल एनक्लेव (सर्विस कन्डीशन एंड डिसप्यूट रेजुल्यूशन) अध्यादेश, 2003 तथा गुजरात औद्योगिक पार्क अध्यादेश, 2003 को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजा था।

(ग) आंध्र प्रदेश स्पेशल एन्क्लेव (सर्विस कंडीशन एंड डिसप्यूट रेजूल्यूशन) अध्यादेश, 2003 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया।

गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर जांच के उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित संशोधनों से कामगारों के हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती। अत: गुजरात सरकार को अपने दृष्टिकोण तैयार करने तथा केन्द्रीय श्रमिक संघों से समुचित सलाह मशविरा के पश्चात संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

प्राणी विज्ञान केन्द्र

14. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक प्राणी विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) प्राणी विज्ञान केन्द्र की स्थापना के संबंध में कान्सेप्ट प्लान/रोड मैप तैयार करने हेतु अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करने और देश के सभी चिड़ियाघरों की मास्टर प्लानिंग चिड़ियाघर और प्राणी बाड़ों की डिजाइनिंग, रोग-निदान और अन्य संबद्ध मुद्दों के संबंध में सलाहकार/रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ प्राणी विज्ञान केन्द्र का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस केन्द्र द्वारा चिड़ियाघर के सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे और बाह्य स्थाने वन्यजीव संरक्षण में अनुप्रयुक्त और क्षेत्रीय अनुसंधान तथा भारतीय चिड़ियाघरों में संकटापन्न प्रजातियों की दीर्घकालिक स्टडबुक का रख-रखाव किया जाएगा।

निर्यात के लिए गेहूं की खरीद

15. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारों क्षेत्र के उपक्रमों/निजी निर्यातकों ने वर्ष 2000-2001 से निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं और चावल की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निजी निर्यातकों ने इस गेहूं का निर्यात न करके इस गेहूं और चावल को घरेलू बाजार में बेचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निजी निर्यातकों के विरुद्ध आज की तिथि तक कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(च) इसमें कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम से निर्यात के लिए उठान किया गया गेहूं और चावल नीचे दर्शाया गया है:

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
2000-01	20.43	0.42	20.85
2001-02	39.65	23.50	63.15
2002-03	67.93	80.71	148.64
2003-04	70.69	30.71	101.40
2004-05*	07.45	0.90	08.35
जोड़	206.15	136.24	342.39

*(सितम्बर, 04 तक)

(ग) से (च) भारतीय खाद्य निगम से निर्यात के लिए उठान किये गये गेहूं और चावल के स्टाक का घरेलू बाजार में विपथन बताने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि पार्टियों द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें संलग्न विवरण के अनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

विवरण

केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का निर्यात करने में निर्यातकों द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट:

1. मैसर्स आर.के. एक्सपोटर्स, भोपाल (म.प्र.) ने पटियाला से फरवरी, 2003 में जारी किये गये 2000 टन चावल की आपूर्ति के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। देना बैंक, एम.पी. नगर, भोपाल को वैधता अवधि के अंदर 12.00 लाख रुपये और 75 लाख रुपये कीमत के लिए पार्टी द्वारा दी गयी बैंक गारण्टी का नकदीकरण करने के लिए नोटिस दिया गया है। तथापि, बार-बार अनुस्मारक/नोटिस देने के बावजूद देना बैंक द्वारा यह भुगतान जमा नहीं कराया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल ने इस पार्टी के खिलाफ इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है।

2. मैसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स, भोपाल ने फरवरी, 2003 में जारी 2745 टन सेला चावल की आपूर्ति करने के लिए जिला कार्यालय, फिरोजपुर में निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। पार्टी द्वारा दी गयी 90 लाख रुपये की बैंक गारंटी को बैंक द्वारा जाली पाया गया था और देना बैंक, भोपाल द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

3. मैसर्स सिटी शूज नामक एन.सी.सी.एफ. की एक सहयोगी संस्था, ने मार्च और जुलाई, 2002 के बीच उन्हें आवंटित 12,500 टन चावल में से 2200 टन रॉ चावल का विपथन किया था। इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम ने एन.सी.सी.एफ. से उपर्युक्त मात्रा के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के मूल्य और प्रभावी निर्यात मूल्य के बीच के अंतर की रिकवरी की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है और इस संबंध में न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया गया है।

4. मैसर्स ए.के. फ्लोर मिल्स प्राइवेट लि., अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात ने 1820 टन गेहूं के लिए जाली और हेरा-फेरी किये हुए निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और यह पार्टी और 500 टन गेहूं (कुल 2320 टन की चूक) के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही थी। खाद्यान्नों की अंतर-लागत के प्रति 54,40,000 रुपये कीमत की बैंक गारण्टियों का नकदीकरण किया गया है। इसके अलावा, पार्टी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और अंतर-लागत तथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के प्रति पार्टी से 12,90,792 रुपये की रिकवरी के लिए दीवानी मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला न्यायालय में लंबित है। उक्त पार्टी को भारतीय खाद्य निगम ने काली सूची में डाल दिया है।

5. हरियाणा क्षेत्र में मैसर्स हेमंत इंटरनेशनल, कुरुक्षेत्र ने सितम्बर, 2002 में आपूर्ति किये गये 2000 टन रॉ चावल की मात्रा के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे तथा जिला कार्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा अंतरलागत की वसूली करने के अलावा 71,80,000 रुपये की राशि की बैंक गारंटी का भी नकदीकरण किया गया था। अब जिला कार्यालय, कुरुक्षेत्र ने सूचित किया है कि जांच करने के बाद स्थानीय पुलिस ने यह मामला बंद कर दिया है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

6. एन.सी.सी.एफ., कोलकाता ने दिनांक 11.6.2002/ 27.6.2002 के आवंटन आदेश द्वारा भूटान को निर्यात के लिए पश्चिम बंगाल क्षेत्र से जारी 534.406 टन गेहूं की मात्रा के लिए जाली निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। खाद्यान्नों की अंतर लागत और उस पर लगने वाले ब्याज को नीति अनुदेशों के अनुसार निर्यातकों से वसूल कर लिया गया है।

गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केन्द्र

16. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केन्द्र की स्थापना करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रजनन के लिए देश के अन्य भागों से गिद्धों को प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से गिद्ध प्रजनन और संरक्षण क्षेत्र हरियाणा और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा क्रमश: पिंजोर और बक्सा में स्थापित किये गये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इन दो केन्द्रों में बंधक अवस्था में प्रजनन और संरक्षण के प्रयोजन हेतु, देश के रेन्ज राज्यों, जैसे, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से गिद्धों की प्रजातियों को पकड़ने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार

17. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री एम. शिवन्ना:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):

(क) जी, नहीं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध

18. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग ने फिल्मों में तम्बाकू के प्रोत्साहन को 'स्व-विनियमित' करने का वचन पूरा नहीं किया है जैसाकि वर्ष 2004 के बाद रिलीज हुई भारतीय फिल्मों को देखने से पता चलता है; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू के विज्ञापन, प्रोत्साहन तथा प्रवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने तथा भारतीय फिल्मों को स्पष्ट रूप से सिगरेट के विज्ञापन बनने से रोकने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) फिल्म उद्योग द्वारा धूम्रपान के दृश्यों का स्व-विनियमन करने के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। अनेक फिल्मों में धूम्रपान के दृश्य तो होते ही हैं।

(ख) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, पूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में तम्बाकू का विज्ञापन, संवर्धन, प्रायोजकता आदि निषिद्ध है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों में धूम्रपान को बढ़ावा देने और महिमामंडित करने संबंधी दृश्यों को हटा देता है। फिल्मों में जहां कहीं भी सिगरेटों के ब्रांड नाम दृष्टिगत होते हैं, उन्हें फिल्म से हटा दिया जाता है।

[हिन्दी]

झीलों का विकास/रख-रखाव

19. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख झीलों तथा सामान्यत: प्रवासी पक्षियों का निवास-स्थान बनने वाली झीलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर बिहार के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार सरकार ने कावर झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित/घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) मंत्रालय की राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन और जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास नामक तीन स्कीमें हैं। जल निकायों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आना ऊपर उल्लिखित अंतिम दो स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं।

(ख) जिन स्कीमों/परियोजनाओं को सहायता अनुदान दिया गया है उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) काबार को वर्ष 1989 में पहले ही पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।

विवरण

मंत्रालय में स्कीम/परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

	स्कीम	राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास	
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आर्द्रभूमियों की संख्या	झीलों की संख्या	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	4	22
2.	असम	1		5	20

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	3		1	11
4.	गुजरात	8		4	21
5.	हरियाणा	2		2	10
6.	हिमाचल प्रदेश	4		2	32
7.	जम्मू-कश्मीर	7	1	4	16
8.	झारखंड	1		1	10
9.	कर्नाटक	4	12	5	21
10.	केरल	5	1	6	13
11.	मध्य प्रदेश	13	1	9	25
12.	महाराष्ट्र	1	11	6	35
13.	मणिपुर	1		2	5
14.	मिजोरम	2		2	7
15.	उड़ीसा	1	1	2	18
16.	पंजाब	3			10
17.	राजस्थान	2	1	5	23
18.	तमिलनाडु	3	2	5	20
19.	त्रिपुरा	1	3		4
20.	उत्तर प्रदेश	5		1	23
21.	उत्तरांचल	1		5	6
22.	पश्चिम बंगाल	4	2	6	15
23.	अरुणाचल प्रदेश		5	2	11
24.	छत्तीसगढ़			3	10
25.	गोवा			1	7
26.	मेघालय			2	3
27.	नागालैंड			1	3
28.	सिक्किम			1	6
29.	अंडमान एवं निकोबार			9	96

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़				2
31.	दादर व नगर हवेली				1
32.	लक्षद्वीप				1
33.	दमन व द्वीव				1
34.	दिल्ली				1
	कुल	71	41	96	509

[अनुवाद]

कश्मीर में उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

20. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास जम्मू तथा कश्मीर में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम को खरीद के लिए स्वायत्तता

21. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपने खरीद प्रयासों को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च कीमत पर धान खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को और अधिक स्वायत्तता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खाद्यान्नों की खरीदारी करने का प्रस्ताव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में तैयार किया गया है।

नारियल के उत्पादन में कमी

22. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या नारियल के उत्पादन में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिए राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में क्रमश: 3.3% और 2.85% घटा। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान, उत्पादन में 2003-04 की तुलना में 5.38% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान उत्पादन में अधिकतम गिरावट तमिलनाडु और केरल राज्यों में देखी गई।

उत्पादन में कमी का कारण मुख्यतया एक के बाद एक सूखे के वर्ष थे जो प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में चल रहे थे। इरियोफिड माइट, पत्ती खा जाने वाली सुंडी जैसे कीटों की घटनाओं और जड़ मुरझान जैसे रोग आदि उत्पादन में गिरावट करने वाले अन्य घटक थे।

(घ) नारियल विकास बोर्ड नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने, रोग प्रभावित पाम वृक्षों के प्रबंधन और गुणवत्ताप्राप्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्पादकता में सुधार तथा प्रदर्शन प्लाटों के आयोजन के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह बोर्ड उत्पाद विविधीकरण तथा मूल्यवर्धन बाजार अनुसंधान और नारियल के मूल्यवर्धित उत्पादों के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु वित्तीय समर्थन भी प्रदान करता है।

गत चार वर्षों के लिए नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल विकास कार्यक्रमों पर व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय करोड़ रुपए में
2002-03	22.41
2003-04	31.04
2004-05	21.40
2005-06	35.55
कुल	110.40

विभिन्न नारियल विकास कार्यक्रमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

विवरण

नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल का राज्यवार उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (मिलियन गिरियां) 2002-03	उत्पादन (मिलियन गिरियां) 2003-04	उत्पादन (मिलियन गिरियां) 2004-05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1158.6	1195	1199.3
असम	160.2	154.3	154.3
गोवा	122	122.2	123.5
गुजरात	105.4	1117	138.3
कर्नाटक	1525.3	1529.1	1209.6
केरल	5709	5484	5727
महाराष्ट्र	180.7	273.4	273.4
नागालैण्ड	5.1	1.2	1.2
उड़ीसा	205.5	243.4	274.8

रागी का उत्पादन

24. श्री एम. शिवन्ना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में रागी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या रागी के उत्पादन में तीव्र कमी आई है जो कि विशेषकर मधुमेह रोगियों के लिए आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि के माध्यम से कम से कम ऊपर उल्लिखित राज्यों में रागी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुए रागी के कुल उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

(हजार टन)

कर्नाटक	1125.1	1733.0	1619.0
आंध्र प्रदेश	101.0	87.0	80.0
तमिलनाडु	271.1	154.1	230.0

नोट: 2005-06 के आंकड़े चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार हैं।

(ख) रागी का अखिल भारतीय उत्पादन 2003-04 में 1965.7 हजार टन, 2004-05 में 2432.4 हजार टन रहा है और चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2005-06 में अनुमानत: 2294.0 हजार टन है।

(ग) और (घ) एक विशेष फसल आधारित प्रणाली के अंतर्गत रागी समेत मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार कृषि संबंधी मैक्रोमैनेजमेंट के अंतर्गत मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चला रही है।

उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और उनको और अधिक निवेश करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर मौसम में रागी समेत प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। विपणन वर्ष 2005-06 में रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 525 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो कि पिछले वर्ष के 515 रुपये प्रति क्विंटल से 10% अधिक है।

वृद्ध जानवरों के लिए सुविधा

25. डा. एम. जगन्नाथ: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वृद्ध और अशक्त जंगली जानवरों की देखभाल करने के लिए देश भर में कोई विशेष सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे जानवरों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास इस समय देश में वृद्ध और अशक्त वन्यपशुओं की देखभाल करने की कोई विशेष सुविधा नहीं है। इस समय देश के विभिन्न चिड़ियाघरों और बचाव केन्द्रों में रखे गए वृद्ध और अशक्त पशुओं का रख-रखाव संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इन पशुओं को चिड़ियाघरों के प्रदर्शन स्थलों से दूर रखा जाता है और इन्हें दर्शकों के प्रदर्शन के लिए नहीं खोला जाता है। उनके रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ग) चूंकि मौजूदा चिड़ियाघरों और बचाव केन्द्रों में वृद्ध और अशक्त पशुओं के रख-रखाव के लिए अवसंरचना और पर्याप्त क्षमता है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए अलग से सुविधा का सृजन करने की कोई जरूरत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना

26. श्री वी. विनोद कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि, डेयरी, मांस, मत्स्यन आदि में अवसंरचना परियोजनाओं के अंतर्गत निवेश करने हेतु कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय देश में दिनांक 20.10.2004 से "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण" के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि और संवर्गी क्षेत्रों में विपणन अवसंरचना के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करना, विभिन्न फार्म उत्पादों के विपणनीय अधिशेष और उत्पादन की कटाई पश्चात आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(ख) इस स्कीम के तहत कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण और प्रमाणन सहित कृषि जिंसों के विपणन के लिए सामान्य अथवा जिंस विशिष्ट अवसंरचना की पूंजी लागत पर तथा विद्यमान कृषि मंडियों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ऋण संबंधी पार्श्वांत राजसहायता प्रदान की जाती है। राजसहायता की दर प्रत्येक परियोजना के लिए 50 लाख रु. की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना की पूंजी लागत का 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों और उनकी सहकारी समितियों के लिए राजसहायता की दर प्रत्येक परियोजना के लिए 60 लाख रु. की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना की पूंजी लागत का 33.33% है। यह स्कीम सुधार से जुड़ी है, जो उन राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जानी है जो निजी और सहकारी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना के लिए अनुमति देने तथा प्रत्यक्ष विपणन, संविदा कृषि को अनुमति देने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम (एपीएमसी अधिनियम) को संशोधित करते हैं। व्यक्ति, किसानों के समूह, उत्पादक/उपभोक्ता, सहभागिता/मालिकाना फर्में, गैर-सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह, कम्पनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संघ, स्थानीय निकाय, कृषि उत्पाद मंडी समितियां तथा विपणन बोर्ड इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) इस विभाग ने इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली के संघ शासित प्रदेशों को अधिसूचित किया है।

कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधार

27. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या से निबटने के लिए नीतिगत सुधार करने हेतु हाल ही में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि शिक्षा

28. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतर कृषि शिक्षा का विनियमन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में उच्चतर कृषि शिक्षा के विनियमन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वैधानिक प्राधिकार के अनुदान पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 200.00 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

(रु. करोड़ में)

(1)	प्रशिक्षण व पुनः प्रशिक्षण (मानव संसाधन विकास)	10.00
(2)	कक्ष के कमरों, प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक फार्मों, छात्रावास/बोर्डिंग सुविधाओं का नवीकरण, रिमाडलिंग, आधुनिकीकरण तथा आधुनिकीकरण से संबंधित अन्य निर्माण कार्य तथा अध्यापन व शिक्षण का सुदृढ़ीकरण	20.00
(3)	पुराने उपकरणों को बदलने की व्यवस्था और मौलिक और अग्रणी विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर अनुसंधान की सहायता के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं व उपकरणों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सुदूरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देना	120.00
(4)	प्रायोगिक शिक्षण यूनिटें (माडल फार्म/संयंत्र/इंजीनियरिंग कार्यशालाएं) तथा संबंधित निर्माण कार्य	50.00

[हिन्दी]

वानिकी परियोजनाएं

29. श्री रामदास आठवले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार किन-किन राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से वानिकी परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् विस्तार किये गये वर्ग कि.मी. में वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केवल आंध्र प्रदेश में। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना नवम्बर, 2002 से क्रियान्वित की जा रही है जिसकी अवधि पांच वर्ष की है।

(ख) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना के कार्यान्वयन और वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के कारण वनों की सघनता में काफी सुधार हुआ है। 2002 और 2004 के बीच, सघन वनों (वनों की सघनता 40% से अधिक) का विस्तार 1,329 वर्ग कि.मी. तक बढ़ गया है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण

30. श्री सुबोध मोहिते:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को नकली और निषिद्ध उत्पादों के खतरे से बचाने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु वर्तमान में अन्य कौन से विकल्प उपलब्ध हैं;

(घ) ये किस सीमा तक इस खतरे को नियंत्रित करने में प्रभावी रहे हैं; और

(ङ) नकली उत्पादों की बिक्री के परिणामस्वरूप राजस्व घाटे का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसे अनेक कानून पहले से मौजूद हैं जो उपभोक्ताओं को नकली, जाली, कपटपूर्ण और निषिद्ध उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री आदि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं।

(ङ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मोटे अनाज की खरीद

31. श्री संतोष गंगवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को गेहूं के बदले मोटे अनाज खरीदने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन सरकारी एजेंसियों द्वारा क्रय केन्द्रों पर पेशकश किये गये उचित औसत किस्म के समस्त स्टाक की वसूली खुले रूप में की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार गेहूं की वसूली के कम स्तर को देखते हुए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे मोटे अनाजों की अधिक वसूली करें और इसका उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन करें।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित रसायनों और उर्वरकों का उपयोग

32. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर किस्म की सब्जियों के विकास के लिए प्रतिबंधित रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया में मूली जैसी कुछेक सब्जियों का परम्परागत स्वाद खत्म हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंधित रसायनों और उर्वरकों के उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार के पास संकर सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रतिबंधित रसायनों और उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं है।

(ख) यह सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से वैधीकृत रिपोर्ट नहीं है कि रसायनों और उर्वरकों के प्रयोग से सब्जियों के स्वाद खत्म हो जाते हैं।

(ग) प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण, बिक्री, वितरण और प्रयोग, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत एक दंडनीय अपराध है। राज्य सरकारें कीटनाशी निरीक्षकों, कीटनाशी विश्लेषकों और कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से नियमित रूप से कीटनाशी नमूनों को लेकर और उनका विश्लेषण करके अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गये नियमों का कार्यान्वयन करती है।

पवन चक्कियों हेतु वन क्षेत्रों का प्रयोग

33. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पवन चक्कियों के माध्यम से अपारम्परिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए वन क्षेत्रों में पहाड़ों की चोटियों तथा पर्वतीय पठारों को प्रयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किये गये स्थानों की राज्यवार सूची क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार पवन चक्कियों की ढुलाई हेतु इन पहाड़ों की चोटियों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण की अनुमति देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पवन ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु मार्गनिर्देश जारी किये हैं। पवन चक्कियां छोटी पहाड़ियों सहित उच्च पवन वेग क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सामान्यतया बड़े वृक्षों रहित झाड़ीदार वनस्पतियां होती हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अभिनिर्धारित स्थलों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। पवन विद्युत उत्पादन के प्रस्तावों में अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिए वन भूमि की आवश्यकता भी शामिल है। मंत्रालय द्वारा अब तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत 19 पवन विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र को पानी की आपूर्ति

34. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1	2	3	4	5	6
7.	बूचड़खानों/सीयूसी का आधुनिकीकरण/सुधार	0.00	47.49	47.49	0.00
8.	पशुधन संगणना	22.07	130.00	660.00	15.00
9.	पशुधन उत्पादन के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण	14.30	21.50	35.47	20.95
10.	पशुधन बीमा	0.00	0.00	0.00	106.00
	कुल	829.20	288.59	1284.70	2489.20

भू-जल के विनियमन हेतु नीति

36. श्री जोवाकिम बखला: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भू-जल तथा नदी के पानी के विनियमन तथा प्रबंधन हेतु कोई व्यापक नीति बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) भारत सरकार ने "देश विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भू-जल और नदी जल का विनियमन और प्रबंधन" के संबंध कोई व्यापक नीति तैयार नहीं की है।

जल राज्य का विषय होने के कारण विकास, विनियमन और निगरानी संबंधी विस्तृत कार्यक्रम और नीतियां राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी होती हैं। तथापि, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा वर्ष 2002 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति भूजल के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से ध्यान देती है।

ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशिएलिटी ट्रीटमेंट

37. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता को लाभ प्रदान करने में कुछ शर्तें लगाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों में कोई सुपर स्पेशिएलिटी ट्रीटमेंट शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 17.12.2004 को आयोजित अपनी 129वीं बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं (सीजीएचएस) के दिशा-निर्देशों को अपना लिया है जिसके अनुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आश्रित माता-पिता उन्हें माना जाएगा जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 1500 रुपये प्रति माह से कम है और वे बीमाकृत व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत इस प्रकार के आश्रित माता-पिता को इलाज प्रदान करने के लिए वित्त संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल आधारभूत विशेषज्ञता इलाज प्रदान कर रहे हैं। उच्च विशेषज्ञता इलाज कर्मचारी राज्य बीमा के हित लाभाधिकारियों को विख्यात सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा हित लाभाधिकारियों को उच्च-विशेषज्ञता इलाज प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चार जोनल उच्च विशेषज्ञता केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

तेल के पोत के फंसने के कारण पर्यावरण को खतरा

38. श्री रशीद मसूद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी अंडमान के बिना आबादी वाले मेजेट द्वीप पर तेल का एक पोत फंस गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पर्यावरण को कोई खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है/किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) तटरक्षक बल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 33 किलो लीटर समुद्री डीजल तेल युक्त एक जहाज उत्तरी अंडमान के पेजट द्वीप पर सतही हो गया है। जहाज को 26 दिसम्बर, 2005 को मलबा घोषित कर दिया गया और अब यह हारबर मास्टर, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार प्रशासन के कब्जे में है। अभी तक इस मलबे से किसी प्रकार के तेल रिसाव की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि समुद्री डीजल तेल बहुत हल्का होता है इसलिए पर्यावरण पर इसका कम समय के लिए प्रभाव हो सकता है। तटरक्षक बल ने स्थिति की निरन्तर निगरानी रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तट रक्षक बल द्वारा जहाज के मलबे को वहां से निकालने और जहाज से तेल रिसाव न हो इसके लिए उसके टैंकों से तेल निकालने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ इस मामले को उठाया गया है।

निजी कंपनियों द्वारा खरीद

39. श्री विजय कृष्ण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को किन-किन राज्यों में लागू किया गया है तथा आगामी खरीद के मौसम के दौरान किन-किन राज्यों में इसे लागू किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गेहूं की वसूली के लिए केन्द्र सरकार की कोई लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं है। इस प्रयोजनार्थ प्राइवेट कंपनियों के लिए राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

सी.जी.आई.टी. एवं श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

40. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के मामलों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह संख्या बढ़ने के राज्यवार कारण क्या हैं; और

(ग) इन-मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक विवादों के लंबित/निपटान होने से संबंधित विवरण सीजीआई टी-वार रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण निम्नलिखित है:

(1) पक्षों द्वारा दायर किये गये दस्तावेजों पर जल्दी जल्दी स्थगन लिया जाना;

(2) सुनवाई के समय प्रभावित पक्षों की अनुपस्थिति;

(3) प्राथमिक बिन्दुओं पर सीजीआईटी द्वारा जारी किये गये आदेश के खिलाफ पक्षों का उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जाना और लम्बे समय तक मामले पर स्थगन होने से विलंब होना;

(ग) औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु सत्रह केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के अलावा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में पांच नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित किये गये थे।

(2) एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के न्यायनिर्णयन की एक नयी योजना आरंभ की गयी है।

(3) मामलों के लंबित रहने की स्थिति को सीजीआईटी द्वारा भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भी मानीटर किया जाता है।

विवरण

सीजीआईटी में पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक मामलों के लम्बित/निपटान होने से संबंधित आंकड़े

क्र.सं.	सीजीआईटी	2003				2004				2005			
		मामले		आवेदन		मामले		आवेदन		मामले		आवेदन	
		निपटान	लम्बित	निपटान	लम्बित	निपटान	लम्बित	निपटान	लम्बित	निपटान	लम्बित	निपटान	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मुंबई-I	69	191	36	62	42	233	15	80	38	232	8	82
2.	मुंबई-II	111	312	164	351	8	344	3	406	27	442	9	431
3.	धनबाद-I	86	1779	15	386	10	1874	2	391	155	1727	29	369
4.	धनबाद-II	286	1182	31	54	260	1040	6	51	198	957	20	33
5.	आसनसोल	33	424	0	83	22	471	1	94	50	561	14	74
6.	कोलकाता	3	193	0	160	19	219	39	130	8	269	0	133
7.	चंडीगढ़-I	146	1850	76	239	256	2041	66	329	102	979	126	203
8.	चंडीगढ़-II	—	—	—	—	0	54	0	7	9	1218	9	117
9.	नई दिल्ली-I	71	617	22	148	128	556	20	181	89	499	24	327
10.	नई दिल्ली-II	0	613	0	159	195	556	84	102	198	529	70	51
11.	कानपुर	13	655	24	535	33	685	264	281	89	660	99	196
12.	जबलपुर	44	1509	46	651	123	1503	24	635	153	1484	45	609
13.	चैन्नई	144	324	0	12	170	588	21	22	131	584	24	35
14.	बंगलौर	34	353	18	155	61	356	134	31	91	362	20	78
15.	हैदराबाद	40	579	244	914	65	665	111	1282	674	721	170	642
16.	नागपुर	15	720	0	0	5	824	0	7	15	909	0	13
17.	भुवनेश्वर	65	366	27	100	10	418	0	108	30	432	33	88
18.	लखनऊ	74	376	15	31	68	435	23	36	71	412	17	34
19.	जयपुर	26	124	103	67	74	123	24	57	*उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	25	0	5	12	24	3	6
21.	एर्णाकुलम	–	–	–	–	0	4	0	0	13	13	0	0
22.	अहमदाबाद	–	–	–	–	115	1666	15	833	208	1818	71	1037
	कुल	1260	12167	821	4107	1664	14680	852	5068	2361	14832 (अनंतिम)	791	4558

*सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मामले: मामले वे हैं जिन्हें क्षेत्रीय श्रमयुक्त (के.) या सहायक श्रमायुक्त (के.) द्वारा की गई सुलह कार्यवाही के असफल होने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सीजीआईटी सह-श्रम न्यायालयों को न्यायनिर्णयन हेतु भेजा जाता है।

आवेदन: आवेदन वे हैं जो सीजीआईटी सह-श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क और 33-ग के अंतर्गत कामगारों द्वारा सीधे दायर किये जाते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

41. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को सिंचाई परियोजनाएं पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई विश्व बैंक सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं के नाम	के दौरान प्राप्त संवितरण			अभ्युक्ति
			2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	38.290	11.317	–	31.7.2004 को पूर्ण
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	28.02	14.33	23.40	31.3.2006 को पूर्ण
3.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	2.160	9.913	13.576	निर्माणाधीन
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	–	21.97	0.466	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
5.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	–	–	31.788	निर्माणाधीन
6.	उड़ीसा	उड़ीला जल संसाधन समेकन परियोजना	27.814	19.096	–	30.9.2004 को पूर्ण
7.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	5.100	18.417	26.975	निर्माणाधीन
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	13.985	8.808	–	30.9.2004 को पूर्ण
9.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	2.278	11.537	9.339	निर्माणाधीन

[अनुवाद]

धोलेरा पत्तन परियोजना

42. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को धोलेरा पत्तन के संबंध में विकास परियोजना पर मैसर्स धोलेरा पत्तन लिमिटेड से पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी मुद्दों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने की समय-सीमा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने मैसर्स धोलेरा पोर्ट लिमिटेड द्वारा दिये गये अतिरक्त स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के तहत 18.4.2006 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी।

[हिन्दी]

फीका विश्व कप फुटबाल मैचों का प्रसारण

43. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी में हाल ही में आयोजित फीका विश्व कप फुटबाल मैचों का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा फुटबाल मैचों के सीधे प्रसारण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि फीका विश्व कप 2006 के चार मैचों का डी.डी. नेशनल पर सीधा प्रसारण किया गया था। मैचों के मुख्य अंशों का रोजाना एक घंटे का प्रसारण भी डी.डी. नेशनल पर किया गया था। दूरदर्शन सभी मैचों का सीधा प्रसारण नहीं कर सका क्योंकि इसने केवल चार मैचों का सीधा प्रसारण करने के लिए अधिकार धारक के साथ करार किया था।

(ग) प्रसार भारती प्रसारण/टैलीकास्ट अधिकारों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन पर फुटबाल मैचों सहित लोकप्रिय खेल आयोजनों को दिखाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजसहायता

44. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को दी जा रही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से उन राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु, सीमान्त तथा निर्धन किसानों को दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है कि राजसहायता लक्षित वर्गों तक पहुंचे;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस तारीख से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह राजसहायता वास्तविक लक्षित समूहों तक पहुंचे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा राजसहायताएं दी जाती हैं जिससे छोटे और सीमान्त किसानों सहित किसानों को लाभ होता है। भारत में कृषि क्षेत्र को दी गई राजसहायता का ब्यौरा जैसा कि वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा संकलित किया गया ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हाल ही में, कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर "भारत में कृषि आदान राजसहायता: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राजसहायता की मात्रा" संबंधी एक अध्ययन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के चयनित जिलों में कराया गया। अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल थे: (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों द्वारा आदान राजसहायता की उपयोगिता पद्धति की जांच करना, और (2) प्रयोग की गई राजसहायता की कुल धनराशि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शेयर का मूल्यांकन करना।

अध्ययन के मुख्य तथ्य हैं: (1) सभी वर्गों के किसानों द्वारा आदान राजसहायता का प्रयोग किया जाता है जिसमें सामाजिक समूह शामिल नहीं है लेकिन चयनित समूहों और स्थिति में इनकी मात्रा व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं; (2) यद्यपि सीधी राजसहायता (सब्सिडी) संसाधन की दृष्टि से कमजोर, सीमांत, छोटे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य किसानों के लिए ही दिये जाने का लक्ष्य है लेकिन कुल दी जाने वाली सब्सिडी में इन किसानों को बहुत कम हिस्सा मिलता है; (3) उर्वरक, ऊर्जा और सिंचाई पर प्रत्यक्ष राजसहायता का प्रयोग किसानों द्वारा व्यापक रूप से किया गया जो जाति पर आधारित नहीं था लेकिन अन्य किसान बड़े लाभानुभोगियों के रूप में समझे गये।

अध्ययन दर्शाता है कि आदान राजसहायता लागत को कम करने और किसानों की आय के स्तर को बढ़ाने में प्रमुख एवं लाभकारी भूमिका अदा करती रहेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7
1.	उर्वरक (कुल)	13800	12595	11015	11847	16127
	1.1 घरेलू उर्वरक	9480	8044	7790	8521	10243
	1.2 आयातित उर्वरक	1	47	–	–	742
	1.3 किसानों को रियायत वाले विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	4319	4504	3225	3326	5142
2.	विद्युत, गैस, स्टीम और शक्ति के अन्य स्रोत**	9098	10251	8524	10558	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3.	सिंचाई**	13465	13164	15012	11142	12990
4.	बीजों, तिलहन बीजों के विकास, दलहनों आदि के रूप में सीमान्त किसानों और कृषक सहकारी सोसाइटियों को दी गई अन्य राजसहायता	2686	3001	3098	4017	उपलब्ध नहीं

स्रोत: 1. सीमान्त किसानों को दिये गये उर्वरक और अन्य राजसहायता: व्यय बजट 2006-07, वौल्यूम 1 केन्द्र सरकार

2. विद्युत एवं सिंचाई: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

**विद्युत बोर्डों और निगमों संबंधी सभी राजसहायताएं शामिल हैं, केवल कृषि क्षेत्र के लिए जिम्मेदार विद्युत राजसहायता के पृथक आकलन उपलब्ध नहीं हैं।

**नीति के एक विषय के रूप में किसानों को जल आपूर्ति की दरों को कम रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सिंचाई प्रणाली में घाटा हुआ है। सकल राजस्व पर प्रचालन लागतों की अधिकता को आरोपित सिंचाई राजसहायता के रूप में समझा गया है।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

[अनुवाद]

जल विवाद पर भारत-पाक वार्ता

45. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विवाद के मुद्दे पर भारत-पाक सचिव स्तर की वार्ता हाल ही में हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) भारत और पाकिस्तान के बीच 22 से 23 जून, 2006 के दौरान इस्लामाबाद में संयुक्त वार्ता के रूप में तुलबुल नौवहन परियोजना पर सचिव स्तरीय वार्ता हुई।

(ख) पाकिस्तान की यह अवधारणा कि परियोजना संरचना एक बैराज है जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 0.3 मिलियन एकड़ फुट (0.369 बिलियन घन मीटर) है और यह कि भारत को झेलम नदी की मुख्य शाखा पर किसी प्रकार की भंडारण सुविधा का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। भारतीय पक्ष का यह मानना था कि जैसा कि सिन्धु जल संधि 1960 में परिभाषित किया गया है, यह संरचना एक भंडारण सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, वूलर झील एक प्राकृतिक भंडारण है और अक्तूबर से फरवरी तक शीतकालीन महीनों के दौरान नौवहन के लिए जल की पर्याप्त गहराई बरकरार रखने के लिए प्राकृतिक भंडारण से बहिर्वाह को विनियमित करने के लिए नौवहन लाक केवल एक संरचना है। साथ ही, इस संधि के अंतर्गत भारत को दी गई गैर-खपतकारी उपयोग की अनुमति में नौवहन के लिए जल का नियंत्रण अथवा उपयोग शामिल है। भारत को नौवहन संरचनाओं के निर्माण की अनुमति है बशर्ते कि वे पाकिस्तान द्वारा अनुप्रवाह पर जल के उपयोग के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखते हों और यह कि पाकिस्तान ने संरचना के निर्माण के द्वारा उनके अनुप्रवाह पर इन उपयोगों के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है।

इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों में एक दूसरे के विचारों के प्रति बेहतर समझ थी। उन्होंने सिन्धु जल संधि 1960 के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार इस मामले का समाधान करने की दृष्टि से संयुक्त वार्ता के अगले दौर के दौरान परिचर्चा जारी रखने पर सहमत हुए।

शीतागार

46. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान देश में हुए आलू, टमाटर और प्याज के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) समुचित भंडारण सुविधा के अभाव में प्रत्येक वर्ष उक्त और अन्य नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं के खराब हो जाने की कुल प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समस्याओं से निपटने हेतु वर्तमान शीतागार भंडारण क्षमता बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रचालित शीतागारों की संख्या और उनकी भंडारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यवार कुल कितने शीतागारों को स्वीकृत किये जाने का विचार है; और

(छ) उक्त अवधि और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ मुहैया करायी गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2005-06 के दौरान आलू, टमाटर और प्याज का कुल उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) भंडारण सहित कटाई पश्चात प्रबंध के विभिन्न चरणों पर प्रत्येक वर्ष शीघ्र खराब होने वाली नाशवान मदों के प्रतिशत की रेंज 8.37% है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार वर्ष 2005-06 से फसलोपरांत प्रबंधन के बारे में अवसंरचना विकास के लिए और 1999 से शीतागारों के वाणिज्यिकरण के लिए एनएचबी के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार की स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें कुल परियोजना लागत के 25% की दर पर पश्च अंत पूंजी निवेश राजसहायता का प्रावधान है बशर्ते इसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये प्रति परियोजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत के 33.3% की दर पर 60.00 लाख रुपये हो। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) "अवसंरचना विकास" संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अधिक नमी वाले शीतागारों, डीप फ्रीजरों, नियंत्रित वातावरण (सीए) अथवा संशोधित वातावरण भंडारण (एमए) आदि सहित विशेषीकृत भंडारण सुविधाओं की स्थापना का घटक शामिल है जिसमें प्रति लाभानुभोगी 10.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा की शर्त पर परियोजना लागत के 25% की दर पर सहायता का प्रावधान है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत शीतागारों की संख्या उनकी क्षमता सहित संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) वर्ष 2006-07 के दौरान एन एच बी द्वारा लगभग 228 शीतागारों की स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव है। चूंकि यह स्कीम मांग आधारित है, कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि एन एच एम कार्यक्रम 2006-07 के अंतर्गत शीतागारों के राज्यवार प्रावधान का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(छ) शीतागारों के निर्माण के लिए प्रदत्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान देश में आलू, टमाटर और प्याज का उत्पादन (अनंतिम)

(000 टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आलू	टमाटर	प्याज
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	65.7	1453.7	670.0
अरुणाचल प्रदेश	27.5	0.0	0.0
असम	589.1	330.2	16.8
बिहार	5656.7	727.2	1011.7

1	2	3	4
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	130.2	217.6	42.8
दादर व नगर हवेली	0.0	0.0	0.0
दमन व दीव	उ.न.	0.0	उ.न.
दिल्ली	0.4	33.6	0.1
गोवा	0.0	0.0	0.0
गुजरात	989.7	421.9	1340.6
हरियाणा	441.7	219.7	353.0
हिमाचल प्रदेश	151.9	301.0	21.7
जम्मू व कश्मीर	117.4	60.3	46.0
झारखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.
कर्नाटक	569.7	1106.9	582.8
केरल	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	799.7	306.7	639.8
महाराष्ट्र	197.6	987.0	1878.8
मणिपुर	26.1	9.7	1.1
मेघालय	149.4	22.3	1.8
मिजोरम	0.9	0.5	0.2
नागालैंड	44.1	उ.न.	20.6
उड़ीसा	247.6	1330.8	241.9
पांडिचेरी	0.0	2.7	1.0
पंजाब	1470.2	187.3	159.8
राजस्थान	61.3	54.5	438.0
सिक्किम	32.6	0.0	0.0
तमिलनाडु	82.2	321.5	247.5
त्रिपुरा	93.5	उ.न.	0.2

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	10319.8	194.4	245.8
उत्तरांचल	498.5	95.0	25.2
पांश्चम बंगाल	7106.6	679.8	245.7
योग	29869.9	9064.0	8232.8

अनंतिम आंकड़े
स्रोत: एनएचबी
एनए - उपलब्ध नहीं

विवरण II

विगत तीन वर्षों के लिए देश में कार्यरत शीतागारों की संख्या और क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या			क्षमता (मी. टन में)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	2	2	2	210	210	210
2.	आंध्र प्रदेश	234	257	266	566607	662867	713729
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	5000	5000	5000
4.	असम	30	24	24	86776	75916	75916
5.	बिहार	237	238	238	904700	910582	910582
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	5	6	6	11216	12216	12216
7.	छत्तीसगढ़	51	68	52	248876	361044	257901
8.	दिल्ली	91	92	92	123394	126061	126061
9.	गुजरात	351	351	366	874863	874863	948934
10.	गोवा	24	24	24	5875	5875	5875
11.	हरियाणा	233	237	237	372719	380093	380093
12.	हिमाचल प्रदेश	17	17	17	18375	18375	18375
13.	जम्मू व कश्मीर	19	19	19	42869	42869	42869
14.	झारखंड	25	25	25	80625	80625	80625
15.	केरल	150	161	168	30070	35755	39745
16.	कर्नाटक	114	123	123	138849	149250	149520

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	लक्षद्वीप (यूटी)	1	1	1	36	15	15
18.	महाराष्ट्र	414	425	429	424085	447960	459430
19.	मध्य प्रदेश	164	167	174	712351	732712	751459
20.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
21.	मेघालय	3	3	3	3200	3200	3200
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
23.	नागालैंड	2	2	2	6150	6150	6150
24.	उड़ीसा	104	104	104	274175	274175	274175
25.	पांडिचेरी (यूटी)	5	3	3	200	85	85
26.	पंजाब	378	382	382	1221564	1231685	1231685
27.	राजस्थान	92	93	93	267122	272622	272622
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	113	119	124	161072	161899	178199
30.	त्रिपुरा	14	8	8	31450	18450	18450
31.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	1277	1410	1410	7514299	8258813	8258813
32.	पश्चिम बंगाल	390	386	386	4082370	4402977	4402977
	योग	4541	4748	4779	18209098	19552344	19624911

विवरण III

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शीतागारों का राज्यवार प्रावधान

क्र.सं.	राज्य	शीतागारों की संख्या	वित्तीय प्रावधान (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	400.00
2.	छत्तीसगढ़	1	50.00
3.	गुजरात	15	750.00
4.	हरियाणा	3	215.00
5.	महाराष्ट्र	21	900.00
6.	उड़ीसा	4	132.00
7.	राजस्थान	4	200.00
8.	पश्चिम बंगाल	26	1499.96
9.	केरल	1	48.00
10.	उत्तर प्रदेश	19	950.00
11.	मध्य प्रदेश	2	100.00

विवरण IV

बागवानी फसलों के लिए शीतागारों के निर्माण के लिए प्रदत्त निधियां (1999-2005)-संचयी

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (लाख मी. टन में)	प्रदत्त निधियां (करोड़ रुपये में)
1.	पंजाब	2.56	19.95
2.	हरियाणा	1.34	11.00
.3.	तमिलनाडु	1.00	8.75
4.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.18
5.	उत्तर प्रदेश	32.43	175.51
6.	उत्तरांचल	0.09	0.49
7.	महाराष्ट्र	2.53	21.00
8.	राजस्थान	1.88	13.43
9.	कर्नाटक	1.66	14.14
10.	गुजरात	2.96	22.10
11.	उड़ीसा	0.77	6.71
12.	मध्य प्रदेश	2.10	12.69
13.	छत्तीसगढ़	1.37	8.38
14.	पश्चिम बंगाल	2.35	18.01
15.	आंध्र प्रदेश	2.63	17.18
16.	असम	0.56	6.36
17.	बिहार	2.94	21.29
18.	झारखंड	0.76	5.88
19.	त्रिपुरा	0.08	1.00
20.	दिल्ली	0.15	3.32
21.	केरल	0.06	0.55
22.	नागालैंड	0.05	0.60
23.	गोवा	0.04	0.36
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.53
25.	जम्मू-कश्मीर	0.001	0.01
	योग	60.40	389.45

स्रोत: एनएचबी

राष्ट्रीय पशुधन नीति

47. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुधन, पशुधन उत्पादों, आहार तथा चारा संसाधनों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में तथा पशुपालन विस्तार कार्यक्रमों के जरिये भी तथा प्रबंधन प्रैक्टिसों के बीच बेहतर तालमेल प्रदान करना है। नीति का उद्देश्य उक्त क्षेत्रों में भविष्य के कार्यक्रमों को दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

(ग) राष्ट्रीय पशुधन नीति को तैयार करने में समय लगता है क्योंकि इसमें नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के विचार जानने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श करना होता है। राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की जा रही है तथा उक्त कारणों की वजह से इसको अंतिम रूप देने में समय लगेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का प्रभाव

48. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता जागरूकता और इसकी वकालत पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभिन्न कारणों से उक्त अधिनियम के लाभों को घटाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्पंज आयरन संयंत्र

49. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्थापित स्पंज आयरन संयंत्रों की आज की तिथि के अनुसार संख्या कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा पैदा किये गये रोजगार अवसरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में कुछ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

काजू उत्पादन (प्रोजेनी) बगीचे की स्थापना

50. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** काजू उत्पादन (प्रोजेनी) बगीचे की स्थापना के बारे में 22 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4572 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपनी वार्षिक कार्य योजना (2006-07) में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत धर्मवीर फार्म, टुमकुर जिले में काजू उत्पादन (प्रोजेनी) बगीचे की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दृश्य मीडिया के लिए आचार संहिता

51. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रिंट मीडिया की तर्ज पर दृश्य मीडिया के लिए भी आचार संहिता लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नए नियमों तथा चलचित्र की अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित फिल्मों के प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को प्रसारण संहिता का मसौदा तैयार करने का शासनादेश दिया गया है। इसमें अश्लीलता, अंधविश्वास, फिल्मों का प्रसारण, हिंसा, सेक्स, धर्म, समाचार और समसामयिक विषयों आदि जैसे विषय शामिल हैं।

[अनुवाद]

नर्मदा बांध विस्थापितों का पुनर्वास

52. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुंगलू समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नर्मदा बांध विस्थापितों के उचित पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) जी, हां। शुंगलू समिति ने इसे दिये गये कार्य विचारार्थ विशिष्ट विषयों संबंधी रिपोर्ट सरकार को 3 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत कर दी है। जल संसाधन मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी टिप्पणियों सहित शुंगलू समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने 8.7.2006 को शुंगलू समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया। इसे 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 328 के मामले में विचार करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पर अपने उत्तर तथा अगले तीन सप्ताह में इसके अगले उत्तर देने के निदेश दिये। जल संसाधन मंत्रालय ने सरदार सरोवर बांध (नर्मदा बांध) के विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को निदेश जारी किये हैं।

स्वास्थ्य चैनल

53. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरुक और शिक्षित करने के लिए एक 'स्वास्थ्य चैनल' शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त चैनल के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय दूरदर्शन की एक स्वास्थ्य चैनल शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्लेशियरों के कम होने के कारण जल निकायों पर प्रभाव

54. श्री नवीन जिन्दल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रमुख ग्लेशियरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कई ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्लेशियरों द्वारा पोषित जल निकायों पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है अथवा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये नवीनतम आकलन के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 9575 ग्लेशियर हैं।

(ख) और (ग) अध्ययनों से पता चला है कि हिमालयी क्षेत्र में अधिसंख्य ग्लेशियर गलने के चरण से गुजर रहे हैं। ग्लेशियरों का गलना एक प्राकृतिक घटना और चक्रीय प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) जल निकायों पर ग्लेशियरों के गलने से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, हिमगलन और इसके प्रभाव की प्रक्रिया के गहन अध्ययन और गहन निगरानी की आवश्यकता का अनुभव करते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न संबंधित पहलुओं की जांच करने और सरकार को सलाह देने के दृष्टिकोण से एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ "जल उपलब्धता और बाढ़ पर ग्लेशियरों में बढ़े हुए हिम गलन की बाधाओं तथा उपयुक्त प्रेक्षक नेटवर्क और माडलिंग तकनीकों के माध्यम से उनकी पूर्व स्थिति प्राप्त करने संबंधी अध्ययन" शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि नवीकरण योजना

55. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि नवीकरण योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए आबंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कृषि क्षेत्र किस सीमा तक लाभान्वित होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि समेकित उपाय पैकेज शुरू करके सतत रूप से कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए कृषि वर्ष 2006-07 को कृषि नवीनीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया जाए। लागू करने के लिए संस्तुत पैकेज के मुख्य घटक पहले से ही विभिन्न परिमाणों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के भाग हैं।

[हिन्दी]

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

56. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री मो. ताहिर:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इस्पात की कीमतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू इस्पात कंपनियों ने इस्पात की कीमतें बढ़ा दी हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ङ) गत छह माह के दौरान इस्पात की कीमतों में कितने गुणा वृद्धि हुई है; और

(च) कीमतों में इस वृद्धि की कुल प्रतिशतता क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) पिछले 6 माह के दौरान इस्पात की विभिन्न मदों की तात्कालिक खुदरा कीमत में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) पिछले 6 माह के दौरान मुम्बई में चुनिंदा इस्पात मदों की तात्कालिक खुदरा कीमत अनुलग्नक में दी गई है। आम तौर पर घरेलू बाजार कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप होती हैं और यह आयात की उतराई तक की लागत के आधार पर तय की जाती है। फरवरी 2006 से एच आर क्वायलों, सी आर क्वायलों, बिलेटों और वायर राड्सल जैसी मदों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इस्पात की कीमतों में हुई यह बढ़ोत्तरी इस्पात की सुदृढ़ मांग और जिंक तथा फैरो मिश्र जैसे कच्चे माल की कीमत में बढ़ोत्तरी के कारण भी हुई है।

(ग) और (घ) पिछले दो हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों में कुछ कमी आई है और इस पर घरेलू उद्योग में प्रतिक्रिया अभी होनी है। नियंत्रणमुक्त माहौल में सरकार कीमतों को प्रभावित करने के लिए बाजार में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। आयात की उतराई तक की लागत में कमी करने और घरेलू इस्पात कीमतों में स्थिरता लाने में मदद करने के लिए सरकार ने लोहा और इस्पात मदों पर सीमा शुल्क में काफी कमी की है। गैर मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क को 2002-03 में 30 प्रतिशत से घटा कर अगस्त 2004 में 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी अवधि के दौरान मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2005-06 के आम बजट में मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2005-06 के आम बजट में मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क को और कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया था तथा वर्ष 2006-07 के आम बजट में इसमें और कमी करके इसे 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ङ) और (च) पिछले 6 माह के दौरान मुम्बई में चुनिंदा इस्पात मदों की तात्कालिक खुदरा कीमत और पिछले 5 माहों में प्रत्येक माह की कीमतों की तुलना में जुलाई की कीमतों में प्रतिशत अंतर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मुंबई में चुनिंदा इस्पात मदों की बाजार कीमतों का रुख

(रुपये/टन)

	फरवरी 2006	मार्च 2006	अप्रैल 2006	मई 2006	जून 2006	जुलाई 2006
टीओआर/टीओटी (10 एमएम)	24500	24750	25750	27000	27000	27250
वायर राड्स (8 एमएम)	2260.00 (16.15)	237.00 (10.76)	25000 (5.00)	28750 (8.70)	26750 (1.87)	26250
राउंड्स (16 एमएम)	24000 (9.38)	24250 (8.25)	25250 (3.96)	26250 (0.00)	26250 (0.00)	26250
एचआर क्वायल (2.5 एमएम)	25250 (29.70)	26750 (22.43)	28250 (15.93)	3150 (3.15)	31500 (3.97)	32750
सीआर क्वायल (0.63 एमएम)	29000 (15.52)	30500 (9.84)	30500 (9.84)	34000 (1.47)	33000 (1.52)	33500
जीपी शीट्स (0.63 एमएम)	34000 (8.82)	35000 (5.71)	35000 (5.71)	37500 (-1.33)	37250 (-0.67)	37000

(स्रोत: ईआरयू/जेपीसी)

नोट: (1) कीमतों में उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर शामिल है।

(2) सभी कीमतों संकेतात्मक हैं।

(3) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले 5 माह में प्रत्येक माह की तुलना में जुलाई की कीमतों में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय अवक्रमण

57. **डा. बाबू राव मिडियम:**
श्री अर्जुन सेठी:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि एक चौथाई मौतें पर्यावरणीय खतरों के कारण होती है;

(ख) क्या मुख्य रूप से अनियंत्रित पर्यावरण अवक्रमण के कारण भारत में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आधार पर मृत्यु के सभी मामलों में से 24% रोगों का भार (नष्ट हुए स्वस्थ जीवन वर्ष) और 23% (असामयिक मर्त्यता) पर्यावरणीय घटकों के कारण हैं। तथापि, उसमें बड़ी क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं और विकासशील क्षेत्रों में मृत्यु के सभी मामलों में से 25% और विकसित क्षेत्रों में 17% मृत्यु के मामलों के लिए पर्यावरणीय कारण उत्तरदायी हैं।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में पर्यावरणीय जोखिमों द्वारा उत्पन्न जन्मजात रोगों से संबंधित मृत्यु के मामलों की अनुमानित संख्या वर्ष भर में 7000 के करीब हैं।

(ग) पर्यावरणीय जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियां और उपचारी उपायों में पर्यावरण और प्रदूषण उपशमन के लिए एक विस्तृत नीति, सीएनजी सहित उन्नत आटो-ईंधन की आपूर्ति, वहनीय और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाना, विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, नागर और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु और जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, प्रदूषण भार और स्रोत संविभाजन अध्ययन का आकलन, प्रमुख शहरों और संवेदनशील रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करना व उन्हें क्रियान्वित करना शामिल है।

खाद्य पदार्थों की कमी

58. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों ने देश में व्याप्त खाद्य पदार्थों की कमी का कारण किसानों की उपेक्षा बताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ऐसे किसी विशिष्ट उदाहरण की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और इस प्रकार से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने और इसके परिणामत: किसानों की आय में वृद्धि के लिए और इसे अधिक जीवन्त तथा सक्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा निरूपित कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (1) किसानों को संस्थागत ऋण की राशि में वृद्धि करना तथा सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत बनाना; (2) गुणवत्ता आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; (3) किसानों के प्रति अनुकूल तथा मांग संचालित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देना; (4) बागवानी क्रियाकलापों सहित उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण के लिए तेजी लाना; (5) अवसंरचना और आपूर्ति की कड़ियों को मजबूत बनाना; (6) शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि करना तथा सूक्ष्म सिंचाई के जरिये उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग को अनुकूलतम बनाना; (7) कृषि मंडियों में सुधार तथा कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग और (8) किसानों के लिए जोखिम प्रबंध व्यवस्था हेतु एक विस्तृत प्रणाली का विकास करना।

आवश्यक वस्तुओं का आयात

59. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री चिन्ता मोहन:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री संतोष गंगवार:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उनके आयात की अनुमति देने तथा उन पर आयात शुल्क कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा वस्तुवार ऐसा आयात किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर किया गया है और इस संबंध में अब तक कितने करार किये गये हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को भी ऐसा आयात करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें और निबंधन क्या हैं तथा ऐसे निजी आयातकों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(च) इस बीच इन वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 31.12.2006 तक गेहूं के मुक्त आयात की अनुमति दी गई है तथा आयात शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है। सफेद चीनी पर 30.9.2006 तक आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। दालों के मामले में 31.3.2007 तक शून्य आयात शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

(ङ) निजी आयातक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार वस्तुओं का आयात करते हैं।

(च) सरकार ने अन्य बातों के अलावा, 31.3.2007 तक चीनी और दालों के निर्यात की अनुमति समाप्त कर दी है।

गुजरात में गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि

60. **श्री हरिन पाठक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के अनुरोध पर राज्य को गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी वृद्धि की गई और इसकी कब तक आपूर्ति किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त वृद्धि को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गंगाऊ अभयारण्य

61. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गंगाऊ अभयारण्य को अभयारण्य घोषित किया गया था;

(ख) क्या अप्रैल, 2006 में पन्ना के जिलाधीश द्वारा इसे पुन: अभयारण्य घोषित करने के लिए घोषणा की गई थी;

(ग) क्या इस पुनर्घोषणा के परिणामस्वरूप, पहली घोषणा में शामिल 4 गांवों को हटा दिया गया है जबकि नए आदेश में जिलाधीश द्वारा 4 नए गांवों को शामिल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां तो विद्यमान अभयारण्य में इस भौगोलिक परिवर्तन के कारण तथा आधार क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2006 में दी गई सूचना के अनुसार अभयारण्य के अंदर दावों को आमंत्रित करने हेतु जिलाधीश पन्ना द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दिनांक 3.4.2006 की संख्या 249 द्वारा एक घोषणा जारी की गई थी। उपर्युक्त घोषणा में 26 गांवों के खसरा का ब्यौरा दिया गया था जिसमें सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस अभयारण्य में शामिल, अभयारण्य के बाहर के चार गांवों नामत: उमरावन, मेदइयां, मझगावन और हिनोटा राजस्व का क्षेत्र दिखाया गया था। पांच गांव नामत बहोगन, हर्सा, कटारियां जर्धावा और कटरी-बिल्हटा के राजस्व क्षेत्र का भी अभयारण्य के अन्दर उल्लेख किया गया था जो सरकारी अधिसूचना में शामिल नहीं था।

ऐसा कई मानचित्रों की भ्रान्त-व्याख्या के कारण राजस्व और वन क्षेत्रों का खसरा ब्यौरा सही न दिए जाने की वजह से हुआ था। तथापि, जिलाधीश पन्ना ने 7.7.2006 को पन्ना अभयारण्य की संशोधित घोषणा जारी की है जिसमें सीमाओं और गांवों का सही तरीके से वर्णन किया गया है।

टी.वी. समाचार चैनल

62. **श्री राम कृपाल यादव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नया टी.वी. समाचार चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी तथा ये निधियां किन स्रोतों से जुटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा, यदि कोई हो, निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय दूरदर्शन की एक दूसरा न्यूज चैनल शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

द्वितीय हरित क्रान्ति

63. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा खाद्य, पोषण सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के लिए कृषि पर हाल में हुए सम्मेलन में व्यक्त विचारों के अनुसार द्वितीय हरित क्रान्ति को मूर्त रूप देने के लिए सात सूत्रीय रणनीति बनाई है और इसे स्वीकृत किया है जैसाकि 28 मई, 2006 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें राज्यों और केन्द्र को क्या भूमिका सौंपी गई है; और

(ग) इसके लिए निर्धारित समय अवधि क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि, जल का सतत तथा समान उपयोग, वहन करने योग्य ऋण व फसल बीमा, उचित प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार-प्रसार, उन्नत विपणन अवसंरचना, बीजों की उन्नत किस्मों के लिए विज्ञान एवं जैव-प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग तथा पशुधन व कुक्कुट की उत्पादकता में वृद्धि एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र में हैं जिस पर कृषि तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है।

इन क्षेत्रों में त्वरित तथा सतत विकास हासिल करने के लिए मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये गये हैं। तथापि, कृषि राज्य का विषय होने की वजह से राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्य में कृषि के विकास के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। केन्द्र स्तर पर, केन्द्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और इसके अनुसार, यह किसानों की आय में वृद्धि करने तथा उनके जीवन यापन के स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करती है।

गेहूं आबंटन में कटौती

64. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पान्नियन रवीन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सहित विभिन्न राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विवरण हेतु आबंटित गेहूं के कोटे में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान वितरित गेहूं की राज्य-वार कुल मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गेहूं के घटते हुए स्टाक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं के आबंटन को पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत मासिक उठान के आधार पर संशोधित किया जाए। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए गेहूं के आबंटन में की गई कमी के क्षतिपूर्ति चावल के आवंटन में तदनुरूपी वृद्धि करके की गई है। उपर्युक्त कारण के आधार पर यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गेहूं की मात्रा को संशोधित किया जाता है तो भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुरोध पर ऐसे मामलों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी चावल के आबंटन में वृद्धि करने के लिए तैयार है। गेहूं के संशोधित आबंटन के ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान वितरित गेहूं की कुल मात्रा (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया उठान) के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II और विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन्स	अप्रैल और मई, 2006 के दौरान मासिक आवंटन				जून, 06 से मार्च, 07 तक मासिक प्रदर्शन			
			अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	गेहूं	0.000	0.000	12.806	12.806	0.000	0.000	2.754	2.754
2.	अरुणाचल प्रदेश	गेहूं	0.000	0.285	0.530	0.815	0.000	0.256	0.530	0.786
3.	असम	गेहूं	0.000	0.000	221.28	22.128	0.000	0.000	18.697	18.697
4.	बिहार	गेहूं	26.255	83.711	91.350	201.316	21.594	47.909	1.034	70.537
5.	छत्तीसगढ़	गेहूं	0.000	2.610	26.145	28.755	0.000	2.610	3.104	5.714
6.	दिल्ली	गेहूं	1.388	8.660	58.130	68.178	1.388	8.660	18.346	28.394
7.	गोवा	गेहूं	0.000	0.155	2.856	3.011	0.000	0.155	0.201	0.356
8.	गुजरात	गेहूं	16.598	29.501	144.218	190.317	11.101	19.954	6.402	37.457
9.	हरियाणा	गेहूं	8.317	13.345	57.795	79.457	8.317	13.345	7.421	29.083
10.	हिमाचल प्रदेश	गेहूं	2.315	1.795	9.861	13.971	2.315	1.795	6.748	10.858
11.	जम्मू-कश्मीर	गेहूं	1.877	5.380	11.193	18.450	1.537	4.406	11.193	17.136
12.	झारखंड	गेहूं	11.359	17.506	5.407	34.272	9.921	15.289	1.375	26.585
13.	कर्नाटक	गेहूं	8.398	13.506	29.967	51.871	4.509	3.645	0.000	8.154
14.	केरल	गेहूं	0.000	8.865	37.325	46.190	0.000	7.336	11.777	19.113
15.	मध्य प्रदेश	गेहूं	46.324	61.704	136.660	244.688	45.025	59.501	1.971	106.497
16.	महाराष्ट्र	गेहूं	41.291	96.526	254.252	392.069	35.205	82.229	5.154	122.658
17.	मणिपुर	गेहूं	0.000	1.214	0.500	1.714	0.000	0.106	0.500	0.606
18.	मेघालय	गेहूं	0.000	0.000	0.648	0.648	0.000	0.000	0.430	0.430
19.	मिजोरम	गेहूं	0.000	0.000	1.010	1.010	0.000	0.000	0.624	0.624
20.	नागालैण्ड	गेहूं	0.330	0.524	1.873	2.727	0.326	0.517	0.1873	2.716
21.	उड़ीसा	गेहूं	0.000	0.000	24.402	24.402	0.000	0.000	7.793	7.793
22.	पंजाब	गेहूं	4.859	7.358	85.939	98.156	3.904	5.912	1.306	11.122
23.	राजस्थान	गेहूं	31.145	37.513	157.682	226.340	30.459	36.686	16.959	84.104
24.	सिक्किम	गेहूं	0.000	0.000	0.600	0.600	0.000	0.000	0.245	0.245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	तमिलनाडु	गेहूं	0.000	0.000	10.000	10.000	0.000	0.000	3.783	3.783
26.	त्रिपुरा	गेहूं	0.000	0.000	3.995	3.995	0.000	0.000	1.337	1.337
27.	उत्तरांचल	गेहूं	1.197	4.428	7.571	13.196	1.197	4.428	1.566	7.191
28.	उत्तर प्रदेश	गेहूं	47.690	76.825	270.585	395.100	47.690	76.825	1.451	125.458
29.	पश्चिम बंगाल	गेहूं	25.901	50.274	98.112	174.287	22.716	43.702	49.040	115.458
30.	अं. और नि. द्वीपसमूह	गेहूं	0.042	0.120	0.416	0.578	0.021	0.061	0.247	0.329
31.	चंडीगढ़	गेहूं	0.000	0.105	4.406	4.511	0.000	0.018	0.000	0.018
32.	दादर और नगर हवेली	गेहूं	0.037	0.087	0.129	0.253	0.009	0.020	0.015	0.044
33.	दमन और द्वीव	गेहूं	0.017	0.025	0.087	0.129	0.005	0.007	0.000	0.012
34.	लक्षद्वीप	गेहूं	0.000	0.000	0.019	0.019	0.000	0.000	0.019	0.019
35.	पांडिचेरी	गेहूं	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.100	0.100
	जोड़		275.340	522.022	1568.797	2366.159	247.239	435.442	183.995	866.676

विवरण II

वर्ष 2005-06 (अनंतिम) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान प्रतिशतता			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	उ.न.	153.672	उ.न.	153.672	0.18	50.49	0.06	50.73	उ.न.	32.856	उ.न.	33.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.42	6.36	उ.न.	9.78	2.35	4.72	0.33	7.4	68.713	74.214	उ.न.	75.66
3.	असम	उ.न.	337.024	उ.न.	337.024	उ.न.	280.24	उ.न.	280.24	उ.न.	83.151	उ.न.	83.15
4.	बिहार	1157.282	1222.156	283.521	2662.959	526.55	24.23	256.99	807.77	45.499	1.983	90.642	30.33
5.	छत्तीसगढ़	87.104	350.86	उ.न.	437.964	82.8	49.68	उ.न.	132.48	95.059	14.159	उ.न.	30.25
6.	दिल्ली	106.044	703.072	16.656	825.772	103.79	246.95	15.83	366.57	97.874	35.124	95.041	44.39
7.	गोवा	3.681	37.096	उ.न.	40.777	उ.न.	3.833	उ.न.	3.833	उ.न.	10.333	उ.न.	9.40
8.	गुजरात	442.309	1730.616	207.008	2379.933	307.36	143.51	154.91	605.78	69.490	8.292	74.833	25.45
9.	हरियाणा	195.819	811.356	86.056	1039.231	166.22	17.99	72.82	257.03	84.885	2.217	84.619	23.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	हिमाचल प्रदेश	45.82	132.3	26.696	204.816	37.A	99.9	23.47	160.77	81.624	75.510	87.916	78.49
11.	जम्मू और कश्मीर	52.873	144.824	21.299	218.996	52.56	151.21	19.49	223.26	99.408	104.409	91.507	101.95
12.	झारखंड	251.232	72.584	136.308	460.124	207.55	20.59	132.6	306.74	82.613	28.367	97.280	78.40
13.	कर्नाटक	157.093	378.534	81.548	617.175	158.09	149.53	68.9	376.52	100.635	39.502	84.490	61.01
14.	केरल	111.388	447.9	उ.न.	559.288	110.98	266.44	उ.न.	377.42	99.634	59.486	उ.न.	67.48
15.	मध्य प्रदेश	949.415	1901.524	453.573	3304.512	979.506	144.83	430.58	1554.916	103.169	7.617	94.931	47.05
16.	महाराष्ट्र	1160.364	3051.024	493.48	4704.868	1020.17	112.28	431.02	1563.47	87.918	3.680	87.343	33.23
17.	मणिपुर	1.214	15.408	3.642	20.264	3.96	14.18	उ.न.	18.14	326.194	92.030	उ.न.	89.52
18.	मेघालय	उ.न.	7.776	उ.न.	7.776	0.65	6.32	उ.न.	6.97	उ.न.	81.276	उ.न.	89.63
19.	मिजोरम	उ.न.	12.12	उ.न.	12.12	उ.न	7.55	उ.न.	7.55	उ.न.	62.294	उ.न.	62.29
20.	नागालैंड	7.023	44.515	3.225	54.763	6.88	52.85	3.33	63.06	97.964	118.724	103.256	115.15
21.	उड़ीसा	उ.न.	351.112	उ.न.	351.112	उ.न.	108.35	उ.न.	108.35	उ.न.	30.859	उ.न.	30.86
22.	पंजाब	130.779	1178.592	32.469	1341.84	69.A	8.84	17.49	95.73	53.067	0.750	53.867	7.13
23.	राजस्थान	517.808	2188.544	336.195	3042.547	450.33	204.17	299.12	953.62	86.969	9.329	88.972	31.34
24.	सिक्किम	उ.न.	7.2	उ.न.	7.2	उ.न.	4.65	उ.न.	4.65	उ.न.	64.583	उ.न.	64.58
25.	तमिलनाडु	उ.न.	120	उ.न.	120	उ.न.	77.98	उ.न.	77.98	उ.न.	64.983	उ.न.	64.98
26.	त्रिपुरा	उ.न.	47.94	उ.न.	47.94	उ.न.	29.94	उ.न.	29.94	उ.न.	62.453	उ.न.	62.45
27.	उत्तर प्रदेश	1182.038	3603.096	600.994	5386.128	1025.072	37.93	553.388	1616.39	86.721	1.053	92.079	30.01
28.	उत्तरांचल	55.184	140.592	13.965	209.741	58.719	34.154	11.112	103.985	106.406	24.293	79.570	49.58
29.	पश्चिम बंगाल	673.299	1986.672	281.308	2941.279	591.06	997.78	233.86	1822.7	87.786	50.244	83.133	61.97
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	2.292	81.6	0.504	10.956	0.26	4.01	0.04	4.31	11.344	49.142	7.937	39.34
31.	चंडीगढ़	5.568	56.504	उ.न.	62.072	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	दादर और नगर हवेली	1.05	1.548	0.435	3.033	0.32	0.24	0.19	0.75	30.476	15.504	43.678	24.73
33.	दमन और द्वीव	0.38	1.044	0.144	1.568	0.13	उ.न.	0.06	0.19	34.211	उ.न.	41.667	12.12
34.	लक्षद्वीप	उ.न.	0.228	उ.न.	0.228	उ.न.	0.03	उ.न.	0.03	उ.न.	13.158	उ.न.	13.16
35.	पांडिचेरी	उ.न.	1.2	उ.न.	1.2	उ.न.	1.01	उ.न.	1.01	उ.न.	84.167	उ.न.	84.17
	जोड़	7,300.479	21,253.153	3,079.026	31,632.658	5,962.287	3,356.407	2,725.590	12,044.284	81.670	15.793	88.521	38.075
	केरिपु/सीसुब	उ.न.	33.912	उ.न.	33.912	उ.न.	9.5	उ.न.	9.5	उ.न.	28.014	उ.न.	28.014
	रक्षा	उ.न.	145.008	उ.न.	145.008	उ.न.	133.49	उ.न.	133.49	उ.न.	92.057	उ.न.	92.057
	भूटान	उ.न.	15	उ.न.	15	उ.न.	4	उ.न.	4	उ.न.	26.667	उ.न.	26.667
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	7,300.479	21,447.073	3,079.026	31,826.578	5,962.287	3,503.397	2,725.590	12,191.274	81.670	16.335	88.521	38.305

उ.न. - उपलब्ध नहीं

विवरण III

वर्ष 2004-2005 (अनंतिम) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान प्रतिशतता			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	उ.न.	153.672	उ.न.	153.672	1.826	33.294	0.5	35.62	उ.न.	21.666	उ.न.	23.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.69	7.86	उ.न.	11.55	3.419	7.691	उ.न.	11.11	92.656	97.850	उ.न.	96.19
3.	असम	उ.न.	410	उ.न.	410	1.49	401.546	उ.न.	403.036	उ.न.	97.938	उ.न.	98.30
4.	बिहार	1331.472	1374.948	252	2958.42	691.851	9.386	233.536	934.773	51.961	0.683	92.673	31.60
5.	छत्तीसगढ़	110.271	425.1	उ.न.	535.371	85.172	40.758	उ.न.	125.93	77.239	9.588	उ.न.	23.52
6.	दिल्ली	110.985	714.096	11.715	836.796	108.204	313.684	10.175	432.063	97.494	43.927	86.854	51.63
7.	गोवा	5.04	40.32	उ.न.	45.36	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	गुजरात	525.689	1730.616	133.661	2389.996	378.748	64.122	90.283	533.153	72.048	3.705	67.546	22.31
9.	हरियाणा	257.04	1014.204	71.532	1342.776	217.587	154.641	65.097	437.325	84.651	15.248	91.004	32.57
10.	हिमाचल प्रदेश	53.608	132.3	18.908	204.816	45.866	91.75	18.178	155.794	85.558	69.350	96.139	76.07
11.	जम्मू और कश्मीर	58.296	165.84	15.851	239.987	57.088	142.998	10.424	210.51	97.928	86.226	65.762	87.72
12.	झारखंड	318.096	87.984	91.26	497.34	202.882	18.6	75.993	297.475	63.870	21.140	83.271	59.81
13.	कर्नाटक	197.565	414.12	65.292	676.977	187.611	115.665	58.308	361.584	94.962	27.930	89.303	53.41
14.	केरल	121.756	447.9	उ.न.	569.656	122.464	172.509	उ.न.	294.973	100.581	38.515	उ.न.	51.78
15.	मध्य प्रदेश	1127.288	2155.068	345.317	3627.673	1025.324	19.219	323.514	1368.057	90.955	0.892	93.686	37.71
16.	महाराष्ट्र	1285.067	3051.024	414.47	4748.561	1124.138	55.45	374.232	1553.82	87.477	1.817	90.730	32.72
17.	मणिपुर	उ.न.	17.76	1.214	18.974	उ.न.	16.72	उ.न.	16.72	उ.न.	94.144	उ.न.	88.12
18.	मेघालय	उ.न.	7.776	उ.न.	7.776	उ.न.	8.188	उ.न.	8.188	उ.न.	105.298	उ.न.	105.30
19.	मिजोरम	उ.न.	12.12	उ.न.	12.12	उ.न.	11.782	उ.न.	11.782	उ.न.	97.211	उ.न.	97.21
20.	नागालैंड	7.809	78	2.439	88.248	6.654	82.382	2.375	91.411	85.209	105.618	97.376	103.58
21.	उड़ीसा	उ.न.	360	उ.न.	360	24.22	129.296	उ.न.	153.516	उ.न.	35.916	उ.न.	42.64
22.	पंजाब	166.416	1473.24	30.12	1669.776	110.508	25.348	21.945	157.801	66.405	1.721	72.859	9.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	राजस्थान	700.713	2696.376	248.775	3645.864	651.375	301.545	230.606	1183.526	92.959	11.183	92.697	32.46
24.	सिक्किम	उ.न.	10.2	उ.न.	10.2	उ.न.	4.77	उ.न.	4.77	उ.न.	46.765	उ.न.	46.76
25.	तमिलनाडु	उ.न.	120	उ.न.	120	उ.न.	59.944	उ.न.	59.944	उ.न.	49.953	उ.न.	49.95
26.	त्रिपुरा	उ.न.	47.94	उ.न.	47.94	उ.न.	21.279	उ.न.	21.279	उ.न.	44.387	उ.न.	44.39
27.	उत्तर प्रदेश	2083.245	4314.84	726.492	7124.577	1628.068	7.087	605.637	2240.792	78.151	0.164	83.365	31.45
28.	उत्तरांचल	63.6	221.64	9.576	294.816	63.72	10.63	9.089	83.439	100.189	4.796	94.914	28.30
29.	पश्चिम बंगाल	810.166	3506.52	195.11	4511.796	684.738	881.996	134.297	1701.031	84.518	25.153	68.831	37.70
30.	अं. व नि. द्वीपसमूह	2.436	8.16	0.504	11.1	0.387	0.5	उ.न.	0.887	15.887	6.127	उ.न.	7.99
31.	चंडीगढ़	5.568	63.768	उ.न.	69.336	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	दादर और नगर हवेली	1.116	1.548	0.336	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
33.	दमन और द्वीव	0.48	1.044	0.084	1.608	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
34.	लक्षद्वीप	उ.न.	0.054	उ.न.	0.504	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
35.	पांडिचेरी	उ.न.	1.2	उ.न.	1.2	उ.न.	0.055	उ.न.	0.055	उ.न.	4.853	उ.न.	4.58
	जोड़	9,347.412	25,267.688	2,632.656	37,247.756	7,423.340	3,202.835	2,264.189	12,890.364	79.416	12.676	86.004	34.607
	केरिपु/सीसुब	उ.न.	34.648	उ.न.	34.648	उ.न.	8.023	उ.न.	8.023	उ.न.	23.156	उ.न.	23.156
	रक्षा	उ.न.	136.044	उ.न.	136.044	उ.न.	125.649	उ.न.	125.649	उ.न.	92.359	उ.न.	92.359
	भूटान	उ.न.	15.832	उ.न.	15.832	उ.न.	7.403	उ.न.	7.403	उ.न.	46.760	उ.न.	46.760
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	9,347.412	25,454.212	2,632.656	37,434.280	7,423.340	3,343.910	2,264.189	13,031.439	79.416	13.137	86.004	34.812

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण और सुरक्षा

65. श्री रनेन बर्मन:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए आरंभ किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के विशिष्ट प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां देश का कार्यबल मुख्य रूप से नियोजित है और भविष्य में रोजगार सृजन के लिए उनकी क्षमता क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

विवरण

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ किये हैं। कामगारों के कुछेक श्रेणियों अर्थात

बीड़ी कामगार, कुछेक गैर-कोयला खान कामगार तथा सिने कामगार को सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी उपाय प्रदान करने हेतु केन्द्रीय कल्याण निधि सृजित की गई है। कल्याणाकरी उपायों में स्वास्थ्य देखभाल, आवासीय, बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता और पेयजल की आपूर्ति आदि शामिल हैं। सरकार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगार मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं: स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर जीवन यापन करने वाले कामगारों के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाली जन श्री बीमा योजना भी उपलब्ध है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) को भी पुन: तैयार किया है। असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की स्थापना की गई है जो असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं की समीक्षा करेगा।

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया है जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारन्टीकृत मजदूरी रोजगार प्रत्येक उस घर को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है जिसमें वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार हों।

गेहूं का क्षतिग्रस्त भंडार

66. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन, निर्यात और आयात कितना-कितना रहा;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भारी मात्रा में खाद्यान्न सड़ रहे हैं जैसा कि दिनांक 30 जून, 2006 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)
2003-04	721.5	70.69
2004-05	686.4	07.45* (सितम्बर, 04 तक) खाद्यान्नों का निर्यात 1.10.2004 से बंद कर दिया गया है।
2005-06	694.8 (अनुमानित)	

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन चैनलों का बंद किया जाना

67. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन के एक से अधिक चैनल दिखाने की सुविधा बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित के.यू. बैंड में सैटेलाइट प्रसारण (फ्री टू अयर डायरेक्ट टू होम) प्रणाली के प्रचालन में कोई कठिनाई आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय चैनलों को दिखाने के लिए दूरदर्शन केन्द्रों के पावर ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि करने और नए पावर ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) दूरदर्शन की कू बैंड (फ्री-टु-एयर डीटीएच) सेवा के जरिये पूरे देश में (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) में बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करवाई गई है। लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाइयों की मदद से देश में कहीं भी कू बैंड सिगनलों को प्राप्त करना संभव है। इसलिए इस समय नए ट्रांसमीटरों की स्थापना करने पर विचार नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन के मानदंड

68. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया द्वारा विज्ञापित उत्पाद सभी उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन के मानदंडों को पूरा करते हैं; और

(ख) चूककर्त्ता एजेंसियों द्वारा नियमों का पालन न करने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्तशासी निगम है। वह वाणिज्यिक विज्ञापनों हेतु अपनी स्वयं की संहिता का अनुसरण करता है जिसमें सामान्यतया समाज और विशेषकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने संबंधी सख्त प्रावधान अंतर्विष्ट हैं।

सरकार के स्वामित्व वाले प्रिंट मीडिया में रोजगार समाचार सहित प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों में सरकार से संबंधित विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाता है और किसी भी उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सामाजिक जागरूकता से संबंधित मामलों में विज्ञापन जारी करता है लेकिन उत्पादों के विज्ञापन जारी करने संबंधी कार्य में शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि व्यवसाय परियोजना विकास

69. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) द्वारा तैयार उद्यम पूंजी भागीदारी के माध्यम से कृषि व्यवसाय परियोजना विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त विषय पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के जरिये कृषि व्यापार विकास के लिए उद्यम पूंजी स्कीम क्रियान्वित कर रहा है ताकि बैंकों के घनिष्ठ सहयोग से कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना करने और कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना में निजी निवेश को उत्प्रेरित करने तथा इस प्रकार उत्पादकों के साथ कृषि व्यापार परियोजनाओं का पश्च संपर्क सुदृढ़ करने और ग्रामीण आय व रोजगार में वृद्धि करने के लिए उत्पादकों को विश्वस्त मंडी प्रदान की जा सकें। उद्यम पूंजी सहायता परियोजना साम्या के 26% या कुल परियोजना लागत के 10% या 75 लाख रु., इसमें जो कम हो, की सीमा तक साम्या के रूप में पात्र परियोजनाओं को दी जाती है। इस सीमा को 10वीं योजना अवधि के दौरान 48.00 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 19 जुलाई, 2005 को अनुमोदित किया गया था। अब तक एसएफएसी ने 2005-06 के लिए 44 परियोजनाओं और 2006-07 के लिए 8 परियोजनाओं हेतु 12.81 करोड़ रु. की उद्यम पूंजी सहायता की मंजूरी दी है।

शैक्षिक एवं बाल फिल्में

70. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शैक्षिक और सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संदेश देने वाली फिल्मों का वित्तपोषण किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी बाल फिल्मों का निर्माण हुआ और इनमें अलग-अलग कितना सरकारी निवेश किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक और सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संदेश देने वाली फिल्मों की संख्या 13 थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 शैक्षिक और सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संदेश देने वाली 2 फिल्मों सहित बाल फिल्मों की संख्या 15 थी जिनका निर्माण बालचित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) द्वारा किया गया था। वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान फिल्मों के निर्माण में शामिल सार्वजनिक निवेश (बालचित्र समिति, भारत को सहायता-अनुदान के रूप में) 584.43 लाख रु. था।

कच्चे काजू का उत्पादन

71. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे काजू का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) देश में काजू बागानों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कच्चे काजू को किसानों से उचित मूल्य पर खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कच्चे काजू की मात्रा का ब्यौरा (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में वर्ष 2005-06 के दौरान 4116.47 लाख रु. के परिव्यय से काजू विकास कार्यक्रम चलाया गया था। 4116.47 लाख रु. के कुल परिव्यय में से इन राज्यों में वर्ष 2005-06 के दौरान काजू के नए पौध रोपण के लिए 1818.63 लाख रु. की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) काजू उत्पादक किसान अपने उत्पाद के लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। 2005 के फसल कटाई मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रचलित कच्चे काजू का थोक मूल्य 25,000 से 50,000 रु. प्रति मीट्रिक की रेंज में रहा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कच्चे काजू की मात्रा, राज्यवार

ए-क्षेत्र (000 हेक्टे. में)
पी-उत्पादन (000 मी.टन)
पीडीवाई-उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टे.)

राज्य	2003-04			2004-05			2005-06		
	ए	पी	पीडीवाई	ए	पी	पीडीवाई	ए	पी	पीडीवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	101	95	890	102	64	900	98	67	900
कर्नाटक	94	46	500	95	43	680	100	45	700
गोवा	55	32	690	55	26	660	55	27	690
महाराष्ट्र	148	120	1100	160	174	1200	160	183	1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	95	51	600	105	53	610	121	56	640
आंध्र प्रदेश	136	95	750	150	88	840	170	92	880
उड़ीसा	124	71	850	126	74	810	120	78	860
पश्चिम बंगाल	9	9	760	9	8	800	10	10	950
अन्य (पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित)	18	16	790	18	14	800	21	15	650
कुल	780	535	800	820	544	810	855	573	815

बांधों और जलाशयों का निर्माण

72. श्री अर्जुन सेठी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें संबद्ध राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विरोध के बावजूद केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) से अनुमति लिये बिना अपने राज्यों में बांधों और जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय जल आयोग से अनुमति और उड़ीसा की सहमति के बिना पोलवरम परियोजना और वंशधारा अंतर-राज्य नदी में काजगडा फ्लड फ्लो कैनल का निर्माण कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या विशेष कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) 1.4.2006 के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई 65 वृहद और 100 मध्यम अननुमोदित सिंचाई/ बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना के निर्माण की स्थिति सूचित नहीं की है। उड़ीसा ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत के माध्यम से फरवरी, 2006 में केन्द्र सरकार को यह ध्यान दिलाया कि आंध्र प्रदेश कटरागडा में वम्सधारा के दांये तट से फ्लड फ्लो नहर निकाले जाने संबंधी निर्माण कर रही है। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल, 2006 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के सचिवों के साथ बुलाई गई अंतर्राज्यीय बैठक में, आंध्र प्रदेश ने सूचित किया कि नदी तल, नदी किनारों तथा फ्लड फ्लो कैनाल संबंधी सिंगिदी जलाशय और कटरागडा के बीच कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तथा सिंगिदी जलाशय के अनुप्रवाह में कार्य किये जा रहे हैं। केन्द्र, अंतर्राज्यीय बैठकों के माध्यम से इन परियोजनाओं में शामिल अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने में सहायता कर रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	
		वृहद	मध्यम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	2
2.	बिहार	4	—
3.	झारखंड	4	6
4.	गुजरात	1	9
5.	हरियाणा	1	—
6.	कर्नाटक	10	11
7.	केरल	2	2
8.	मध्य प्रदेश	3	1
9.	छत्तीसगढ़	—	3

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	31	61
11.	उड़ीसा	—	3
12.	पंजाब	1	—
13.	तमिलनाडु	—	2
14.	उत्तर प्रदेश	1	—
15.	उत्तरांचल	1	—
	कुल	65	100

खेल कार्यकलापों हेतु दूरदर्शन को प्रसारण अधिकार

73. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेल कार्यकलापों के प्रसारण के माध्यम से अर्जित धनराशि के अनुवीक्षण और विनियमन के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देशभर में आयोजित होने वाले खेलकूद कार्यकलापों के प्रसारण का एक मात्र अधिकार दूरदर्शन को दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार प्रसारण क्षेत्र का विनियमन करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल, 2006 को यह आदेश जारी किया है जिसके तहत टेलीविजन प्रसारण अधिकार धारक खेल चैनलों/खेल प्रबंधन कंपनियों द्वारा भारत या विदेश में आयोजित राष्ट्रीय महत्व के अनेक विनिर्दिष्ट खेल आयोजनों के सीधे प्रसारण की हिस्सेदारी प्रसार भारती के साथ उसके स्थलीय एवं डीटीएच नेटवर्क पर प्रसारण हेतु करनी आवश्यक है। दिनांक 5 अप्रैल 2006 के आदेश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। क्रिकेट आयोजनों के मामलों में इनमें भारत की सहभागिता वाले सभी मैच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के फाइनल और सेमी फाइनल शामिल होंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

दिनांक: 5 अप्रैल, 2006

आदेश

1. दिनांक 11 नवम्बर, 2005 की सूचना संख्या 13/2/2002-बी.पी. एण्ड एल./बी.सी.-4 के तहत टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के संबंध में जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसरण में और खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय, प्रसार भारती और खेल चैनलों तथा खेल अधिकार धारक कंपनियों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि टेलीविजन प्रसारण अधिकार रखने वाले खेल चैनलों/खेल प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रसार भारती के स्थलीय एवं डी.टी.एच. नेटवर्क पर प्रसारण हेतु भारत या विदेश में आयोजित राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित खेल आयोजनों के सीधे प्रसारणों, खेल चैनल/खेल अधिकार धारकों के किसी विज्ञापन के बिना, तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती के साथ हिस्सेदारी करनी होगी:

(क) अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक

शीतकालीन ओलंपिक

राष्ट्रमंडल खेल

एशियाई खेल

अफ्रीका-एशियाई खेल

(ख) (1) टेनिस:

(क) डेविस कप-भारत की प्रतिभागिता वाले सभी और सेमी फाइनल/फाइनल मैच।

(ख) ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट-सभी प्रतिस्पर्धाओं अर्थात पुरुष एकल, महिला एकल, मिक्स्ड डबल, मेन्स डबल, वीमिन्स डबल के फाइनल मैच। इसके अतिरिक्त यदि कोई भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहा है तो क्वार्टर फाइनल और उससे ऊपर के मैचों में भारतीय खिलाड़ियों को दिखाने वाले मैच।

(ग) डब्ल्यू.टी.ए. चैम्पियनशिप-ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के ही समान।

(2) हाकी:

(क) विश्व कप-भारत की प्रतिभागिता वाले सभी मैच और सेमी फाइनल और फाइनल

(ख) चैंपियंस ट्राफी-भारत की प्रतिभागिता वाले सभी मैच और फाइनल

(ग) बेटन कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(घ) इंदिरा गांधी महिला गोल्ड कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(3) फुटबाल

(क) विश्व कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(ख) यूरोपीय कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(ग) एशिया कप-भारत की सहभागिता वाले सभी मैच और सेमी फाइनल और फाइनल

(घ) सुब्रतो कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(ङ) संतोष ट्राफी-सेमी फाइनल और फाइनल

(च) फेडरेशन कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(छ) डूरंड कप-सेमी फाइनल और फाइनल

(ज) राष्ट्रीय महिला फुटबाल चैम्पियनशिप-सेमी फाइनल और फाइनल

(झ) जूनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप-सेमी फाइनल और फाइनल

(4) शतरंज

(क) विश्व चैम्पियनशिप-चैम्पियनशिप का फाइनल और क्वार्टर फाइनल तथा उसके ऊपर के टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की सहभागिता वाले सभी खेल।

(ख) शतरंज आलंपियाड-चैम्पियनशिप का फाइनल और क्वार्टर फाइनल और उसके ऊपर के फाइनलों में भारतीय खिलाड़ियों की सहभागिता वाले सभी खेल।

(5) बिलियर्ड और स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप

चैम्पियनशिप के फाइनल और क्वार्टर एवं उसके ऊपर के फाइनलों में भारतीय खिलाड़ियों की सहभागिता वाले सभी खेल।

2. इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए सूचीबद्ध आयोजन यथावत् बने रहेंगे।

3. यदि सूची में उल्लिखित आयोजन को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है (उसके नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर), दूरदर्शन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने के पश्चात् अगली वार्षिक समीक्षा में उस आयोजन को हटाने पर विचार किया जाएगा।

4. यह मंत्रालय इस आदेश के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा करेगा और नए प्रस्ताव, यदि कोई हों पर विचार करेगा।

हस्ता.
(सीमा जेरे बिष्ट)
निदेशक (बी.सी.)
दूरभाष: 23381863

[हिन्दी]

वानिकी में निजी क्षेत्र

74. श्री विजय कृष्ण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2012 तक 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के सहयोग हेतु एक आशय पत्र प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ का अनुपात कितना रहेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) अवक्रमित भूमियों को वनीकृत करने के लिए भू-स्वामित्व वाले अभिकरणों, स्थानीय ग्राम समुदायों और प्रायोजक जो कि एक कम्पनी, फर्म, उपभोक्ता समूह, न्यास, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में सोसाइटी अथवा संगठन हो सकता है, को शामिल करके एक मल्टी-स्टेकहोल्डर पार्टनरशिप (एमएसपी) फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में भारतीय वन प्रबंध संस्थान द्वारा फ्रेमवर्क का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप दस्तावेज में भू-स्वामित्व वाले अभिकरणों, स्थानीय ग्राम समुदाय और प्रायोजक के बीच, प्रत्येक मामले के आधार पर, पार्टनरों द्वारा सहमत होने वाले ऐसे फार्मूले के अनुसार शेयर करना परिकल्पित किया गया है।

फलदार वृक्षों को उगाना

75. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन भूमि पर फलदार वृक्षों को उगाने का है जो कि न केवल फलों के उत्पादन में अपितु पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वन भूमि को पट्टे पर दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पंज लौह संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी

76. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान राज्य-वार कौन-कौन से और कितने स्पंज लौह संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई;

(ख) कितने संयंत्रों ने अब तक प्रदूषण रोधी उपायों को नहीं अपनाया है; और

(ग) इन संयंत्रों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत 21 स्पंज लौह संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। इससे संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सभी ने अपनाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौवीं और दसवीं योजना के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किये जाने वाले स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या एवं नाम का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना प्रस्तावक का नाम और राज्य	मंजूरी की तिथि
1	2	3
नौवीं योजना (1997-2002)		
	आंध्र प्रदेश	
1.	मै. एसजेके स्टील कारपोरेशन लिमिटेड	8 अक्तूबर, 1997
	छत्तीसगढ़	
2.	मै. जिन्दल पावर एंड स्टील लिमिटेड	4 जनवरी, 2002
	गोवा	
3.	मै. अपरांट आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड (पुराना नाम मै. गोवा कार्बन लिमि.)	1 अगस्त, 2000
	झारखंड	
4.	मै. उषा बेलट्रोन लिमिटेड	8 जनवरी, 2002

1	2	3
	उड़ीसा	
5.	मै. मैसको ग्रुप लिमिटेड	21 अप्रैल, 1997
6.	मै. टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड	30 जुलाई, 1997
दसवीं योजना (2002-2007)		
	छत्तीसगढ़	
1.	मै. नैशनल मिनरल्स डैवलैपमेंट कारपोरेशन लिमि.	10 अक्तूबर, 2002
2.	मै. जयसवाल नीको लिमि.	14 मई, 2004
3.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लिमि.	3 अगस्त, 2004
4.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज	27 जनवरी, 2005
5.	मै. मोनेट इस्पात लिमि.	30 मई, 2005
6.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लिमि.	10 अगस्त, 2005
7.	मै. गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमि. (पुराना नाम इस्पात गोदावरी लिमि.)	2 मार्च, 2006
	गुजरात	
8.	मै. एस्सर स्टील लिमि.	7 नवम्बर, 2005
9.	मै. एस्सर स्टील लिमि.	13 जून, 2006
	महाराष्ट्र	
10.	मै. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं. लि.	21 फरवरी, 2006
	उड़ीसा	
11.	मै. भूषण लिमि.	12 मई, 2004
12.	मै. टाटा स्पंज आयरन लिमि.	11 नवम्बर, 2004
13.	मै. नीपाज मेटल लिमि.	21 जून, 2005
14.	मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रीप	30 जून, 2005
15.	मै. जिन्दल स्टैनलैस लिमि.	5 अगस्त, 2005

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता

77. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95), जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों में कोई भेद नहीं करता है। यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड या मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं कि किन औषधों को जीवन रक्षक औषदों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आमतौर पर प्रत्येक औषध, जीवन रक्षक और दीर्घायु बनाने में उपयोगी मानी जाती है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) सामान्यत: राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त क्षेत्रीय रिपोर्टों के आधार पर सभी दवाइयों की उपलब्धता एवं कमी की निगरानी करता है। हाल के दिनों में बाजार में आवश्यक दवाइयों की अनुपलब्धता एवं कमी की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी राज्य औषध नियंत्रकों, गैर सरकारी संगठनों या अन्य स्रोतों से दवाइयों की कमी/अनुपलब्धता की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तब एनपीपीए प्रभावित क्षेत्र/बाजार में उस खास दवाई को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

चावल और गेहूं का उत्पादन

78. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों ने चावल और गेहूं का सरप्लस उत्पादन दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) खाद्यान्नों की कमी पर काबू पाने के लिए सरकार ने किस कार्यवाही की परिकल्पना की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उत्पादन तथा खपत के राज्यवार आकलन के अनुसार वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्यों में चावल और गेहूं का अधिदेश उत्पादन हुआ है:

चावल

2003-04

1. छत्तीसगढ़
2. हरियाणा
3. उड़ीसा
4. पंजाब
5. उत्तर प्रदेश
6. पश्चिम बंगाल

2004-05

1. छत्तीसगढ़
2. हरियाणा
3. उड़ीसा
4. पंजाब
5. उत्तर प्रदेश
6. पश्चिम बंगाल

2005-06*

1. आंध्र प्रदेश
2. छत्तीसगढ़
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. उड़ीसा
6. पंजाब
7. उत्तर प्रदेश
8. पश्चिम बंगाल

गेहूं

2003-04

1. हरियाणा
2. मध्य प्रदेश
3. पंजाब
4. राजस्थान
5. उत्तर प्रदेश

2004-05

1. हरियाणा
2. मध्य प्रदेश
3. पंजाब
4. उत्तर प्रदेश

2005-06*

1. हरियाणा

2. पंजाब

3. उत्तर प्रदेश

*चौथा अग्रिम अनुमान।

टिप्पणी: खपत का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संबंधी 60वें चक्र की रिपोर्ट (2004) द्वारा प्रदत्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में चावल और गेहूं की मासिक प्रति व्यक्ति खपत के राज्यवार ब्यौरों के आधार पर तथा राज्यवार ग्रामीण व शहरी आबादी का आकलन 2001 की गणना के आधार पर किया गया है तथा क्रमिक वृद्धि दरें भारत के महापंजीकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर इस अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव आया है। प्रमुख राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) फिलहाल, देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है। तथापि, विशिष्ट फसल आधारित प्रणालियों के तहत अनाजों के समग्र उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए देश में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कृषि की वृहत् प्रबंधन प्रणाली के तहत चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है। सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) 1 अप्रैल, 2004 से क्रियान्वित कर रही है ताकि इनके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

विवरण

राज्य	खाद्यान्नों का उत्पादन (मिलियन मी. टन)		
	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	44.25	37.84	39.86
पंजाब	24.73	25.67	25.19
आंध्र प्रदेश	13.70	13.40	16.89
पश्चिम बंगाल	16.01	16.06	16.11
मध्य प्रदेश	15.96	14.10	13.65
हरियाणा	13.19	13.11	13.03
महाराष्ट्र	10.32	10.54	12.40
कर्नाटक	6.56	10.50	11.53
राजस्थान	17.99	12.15	10.77
बिहार	11.21	7.70	9.03
तमिलनाडु	4.41	6.18	7.52
उड़ीसा	7.16	6.89	7.22
गुजरात	6.57	5.26	6.28
छत्तीसगढ़	6.47	5.02	5.71
असम	4.04	3.62	3.56

1	2	3	4
झारखंड	2.91	2.31	2.07
उत्तरांचल	1.72	1.76	1.59
जम्मू-कश्मीर	1.53	1.50	1.49
हिमाचल प्रदेश	1.40	1.61	1.47
केरल	0.58	0.67	0.64
अखिल भारत	213.19	198.36	208.30

*चौथा अग्रिम अनुमान

पुष्पों की विमानों से ढुलाई भाड़े में कमी

79. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री पुष्पों की विमानों से ढुलाई भाड़े में कमी के बारे में 27 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर पुष्पों की विमानों से ढुलाई भाड़े में कमी के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार को अपेडा की मौजूदा परिवहन सहायता स्कीम के तहत बागवानी मदों के निर्यात के लिए परिवहन सहायता का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए ताजे तराशे हुये फूलों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा हवाई माल भाड़े पर सहायता के निम्नलिखित प्रतिमान अनुमोदित किये गये हैं और हवाई माल भाड़े पर सहायता (क) एफओबी मूल्य के 20%, (ख) माल भाड़े के 25%, (ग) विशिष्ट दर (रुपये प्रति किलोग्राम), इसमें जो सबसे कम हो, की दर पर निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है।

नई विज्ञापन नीति

80. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई विज्ञापन नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इसमें छोटे और लघु एवं क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को पर्याप्त अवसर देने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विस्तृत नोट विवरण के रूप में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नई विज्ञापन नीति की मुख्य विशेषताएं और नई नीति में लघु, मझौले और क्षेत्रीय भाषायी समाचारपत्रों में दिये गये जाने वाले अवसरों का ब्यौरा

(1) 6000 तक के प्रसार का दावा करने वाले लघु समाचारपत्रों/पत्रिकाओं हेतु प्रसार जांच को 1 जून, 2006 से बन्द कर दिया गया है। पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष बल देने वाले समाचारपत्रों को अब और अधिक विज्ञापन जारी किये जाएंगे। प्रसार, भाषा, कवरेज, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए समाचारपत्रों की विभिन्न श्रेणियों में संतुलन

स्थापित करने हेतु नई विज्ञापन नीति में पहली बार विशिष्ट उपाय निर्धारित किये गये हैं। डिस्पले विज्ञापनों में लघु और मझौले समाचारपत्रों का हिस्सा लगभग 25% के मौजूदा स्तर से व्यय की गई कुल राशि के 40% से कम नहीं होगा। इसी प्रकार, भाषायी समाचारपत्रों को पर्याप्त कवरेज दी जानी होती है। व्यय की गई कुल राशि का लगभग 30% क्षेत्रीय भाषायी समाचारपत्रों को पर्याप्त कवरेज दी जानी होती है। व्यय की गई कुल राशि का लगभग 30% क्षेत्रीय भाषायी समाचारपत्रों पर होगा।

(2) सूचीबद्ध करने हेतु पात्र समझे जाने के लिए एक समाचारपत्र/प्रदत्त प्रसार पत्रिका के पास कम से कम 2000 प्रतियां होनी चाहिए। तथापि, विज्ञापन नीति में संस्कृत में समाचारपत्रों/पत्रिकाओं, पिछड़े सीमावर्ती या दूरस्थ क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले अथवा जनजातीय भाषाओं या जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचरपत्रों/पत्रिकाओं के लिए विशेष राहत है। उनके लिए प्रति प्रकाशन दिवस केवल 500 प्रतियों का प्रमाणित न्यूनतम प्रदत्त प्रसार जरूरी है।

(3) प्रसार जांच में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय की भूमिका सांविधिक लेखापरीक्षक और सनदी लेखाकारों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। अब प्रकाशक निर्धारित प्रपत्र में 75,000 तक प्रसार का दावा करते वक्त लागत लेखाकार/सांविधिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार के प्रसार के सत्यापित आंकड़े को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। 75,000 से अधिक प्रसार हेतु एबीसी प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

(4) नई विज्ञापन नीति समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन बिल प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन के प्रकाशन का तारीख से 60 दिनों का समय देती है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) को बिलों की प्राप्ति से 60 दिनों में विज्ञापन बिलों का भुगतान करना होता है। ग्राहकों से डीएवीपी द्वारा निधियों के देर से प्राप्त होने के कारण समाचारपत्रों को भुगतान करने में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से नई नीति में यह उपबंध किया गया है कि बिलों के अंतिम निपटारे के लंबित होने से विज्ञापनों के जारी करने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों को अनंतिम रूप से जारी किया जाएगा।

(5) सूचीबद्ध करने हेतु नए आवेदन अब वर्ष में दो बार किये जा सकते हैं-पहले प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत में और दोबारा अगस्त के अंत में 1 फरवरी के अंत से पहले किये गये आवेदनों पर इस वर्ष के मई के माह में विचार किया जाएगा और उनकी संविदा उसी वर्ष की 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी तथा अगस्त के अंत से पहले किये गये आवेदनों पर नवम्बर में विचार किया जाएगा एवं उनकी संविदा अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी।

(6) अब दर संविदाएं एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्षों की अवधि के लिए जारी की जाएगी। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक वर्ष प्रसार का सत्यापन किया जाएगा और संविदा की वैधता की अवधि के दौरान सूचीबद्ध करने हेतु मानदंडों में यथा निर्धारित सबूत के आधार पर बदल दिया जाएगा।

(7) नई विज्ञापन नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन डीएवीपी के जरिये भेजे जाएंगे। मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय, स्वायत्तशासी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी अपने विज्ञापन डीएवीपी के जरिये भेजेंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों को निविदा, भर्ती और डिस्पले सहित सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए भुगतान करना होगा। नई विज्ञापन नीति में यह भी निर्णय लिया गया है कि डीएवीपी ग्राहक मंत्रालयों/विभागों से 13% विभागीय प्रभार प्रभारित नहीं करेगा।

दिल्ली के प्राणीउद्यान में मुर्गी प्रजनन केन्द्र

81. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के केन्द्रीय प्राणिउद्यान में एक मुर्गी प्रजनन केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय प्राणिउद्यान, नई दिल्ली में एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केन्द्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य बंधक अवस्था में आनुवांशिक रूप से शुद्ध रेंड़ जंगल फाउल का प्रजनन करना है।

(घ) परियोजना के लिए अब तक 21.50 लाख रुपये की राशि आवंटित और खर्च की जा चुकी है।

कार्य बल का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

82. **डा. बाबू राव मिडियम:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रमिक बल की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 95वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विकिरण एवं बेन्जीन प्रभावों से कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रारूप विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में कार्यबल के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 95वें सत्र में भाग लिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा की गई और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी संवर्द्धनात्मक कार्य ढांचा हेतु अभिसमय एवं सिफारिश के पाठ को अंतिम रूप दिया जा सका। अभिसमय में अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय नीति व राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता का उल्लेख है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 87 के अंतर्गत कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान द्वारा तैयार किये गये माडल नियम संख्या 120 की अनुसूची 21 में कारखाना में कार्यरत कामगारो को बेंजीन के सम्पर्क में आने से सुरक्षा के व्यापक प्रावधान उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

शहरों में प्रदूषण स्तर

83. **श्री राजेश पाठक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत श्वसनीय निलंबित कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) स्तरों के आधार पर शहरों की अद्यतन रैंकिंग क्या हैं; और

(ख) शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के नाम से परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम निष्पादित कर रहा है। परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के आधार पर 2005 के दौरान आवासीय क्षेत्रों में नापे गए श्वसनीय निलंबित विविक्त कण (आरएसपीएम) के स्तरों के अनुसार शहरों को दर्जा दिया गया है। शहरों की सूची और उनके प्रदूषण स्तर की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु उठाये गये कदमों में शामिल हैं:

* सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों पर अधिसूचना;
* प्रदूषण स्रोतों की पहचान करना;
* स्वच्छतर ईंधनों को बढ़ावा और निर्माण अवस्था पर आटो एक्जास्ट मानदंडों के प्रवर्तन के माध्यम से वाहनीय प्रदूषण को नियंत्रण करना;
* वाहनों में उपयोग हेतु प्रदूषण नियंत्रण में (पीयूसी) प्रमाणन प्रणाली को शुरू करना;
* वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करना; और
* पर्यावरणीय अनुपालन हेतु नियमित निगरानी।

विवरण

क्र.सं.	शहर	2005 के दौरान आरएसपीएम का वार्षिक औसत सान्द्रण (आवासीय क्षेत्र)
1	2	3
1.	गोबिन्दगढ़	250
2.	लुधियाना	232
3.	रायपुर	192
4.	लखनऊ	186
5.	कानपुर	178
6.	जालंधर	175
7.	अलवर	160
8.	झरिया	156
9.	देहरादून	150
10.	फरीदाबाद	148
11.	आगरा	147
12.	अहमदाबाद	134
13.	वापी	134
14.	शोलापुर	129
15.	जामनगर	129
16.	इंदौर	126
17.	अंकलेश्वर	126
18.	सतना	124
19.	सूरत	124
20.	धनबाद	121
21.	भिलाई	118
22.	दिल्ली	115
23.	हाबड़ा	113
24.	गुवाहाटी	112
25.	कोलकाता	110
26.	पटना	109
27.	नागडा	108
28.	जोधपुर	107
29.	नासिक	105
30.	चन्द्रापुर	105
31.	कोटा	104
32.	वाराणसी	103
33.	पुणे	101
34.	विशाखापटनम	96
35.	राऊरकेला	93
36.	बड़ोदरा	90
37.	चंडीगढ़	89
38.	जबलपुर	82
39.	जयपुर	80
40.	मुम्बई	79
41.	उदयपुर	78
42.	त्रिवेन्द्रम	77
43.	कोरबा	75
44.	हैदराबाद	75
45.	रायगढ़	75
46.	बंगलौर	68
47.	नागपुर	67
48.	कोजीकोड	67
49.	तूतीकोरीन	65
50.	अंगुल	65
51.	गजरौला	60

टिप्पणी: झरिया का आंकड़ा औद्योगिक क्षेत्र और आगरा का डाटा ताज महल (संवेदनशील क्षेत्र) से लिया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य उपलब्धता संबंधी यूएनडीपी रिपोर्ट

84. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा हाल ही में जारी की गई एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2006 में यह दर्शाया गया है कि भारत खाद्य अभाव वाला देश बन गया है, जैसाकि दिनांक 30 जून, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में रिपोर्ट छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2006 में यह उल्लेख किया गया है कि "उक्त क्षेत्र में दस बड़े देश, जिनकी निम्न से मध्यम-आय अर्थव्यवस्था है, में से चार में अब खाद्य की निवल कमी हो गई है। वे बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान और फिलीपीन्स हैं। इनमें से चीन के पास हाल फिलहाल अर्थात 2003 तक अधिशेष था और फिलीपीन्स के पास 1994 तक अधिशेष था। भारत तथा साथ ही श्रीलंका में यह अधिशेष स्थिर रहा है जहां यह काफी कम है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड में अधिशेष में वृद्धि हुई है।" निम्नलिखित सारणी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निवल खाद्य अधिशेष और कमी प्रदर्शित करती है।

($बिलियन)

देश	1990	2000
1	2	3
बंगलादेश	-0.4	-1.2
चीन	3.2	-0.3
भारत	3.0	3.0
इंडोनेशिया	1.7	4.3
मलेशिया	1.4	4.3
पाकिस्तान	-0.8	-0.5
फिलिपिन्स	0.2	-0.6
श्रीलंका	0.1	0.1
थाईलैण्ड	4.9	7.6
वियतनाम	-	3.0

स्रोत: विश्व बैंक, 2005

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना

85. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु 1200 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं कार्य प्रणाली क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) कृषि उत्पाद की उत्पादकता, लाभप्रदता और गुणवत्ता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं देश में अलाभकारी क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण समुदाय की जीविका को सुधारने संबंधी समस्या को हल करने के लिए बनायी गयी है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का सम्पूर्ण उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आय सृजन के लिए भारतीय कृषि में स्थायी परिवर्तन और तेजी लाने में सुविधा प्रदान करना है।

परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के परिवर्तन के प्रबंध के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्प्रेरक एजेन्ट के रूप में, (2) उत्पादन से उपभोग प्रणाली में अनुसंधान; (3) स्थिर ग्रामीण जीविका सुरक्षा पर अनुसंधान तथा (4) कृषि विज्ञानों के अग्रणी क्षेत्रों में मूल तथा नीतिगत अनुसंधान। परियोजना के विभिन्न घटकों को सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा अन्य स्टेकहोल्डर के बड़े नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

इस परियोजना को 1 जुलाई, 2006 से मंजूरी दी गई है तथा इसके पूरे होने की अवधि 6 वर्ष है। परियोजना की कुल लागत 250 मिलियन अमेरिकी डालर है जिनमें से विश्व बैंक का ऋण के रूप में अंश 200 मिलियन अमेरिकी डालर होगा तथा भारत सरकार का अंश 50 मिलियन अमेरिकी डालर होगा। परियोजना की लागत भारतीय मुद्रा में 1189.99 करोड़ रुपये के बराबर होगी जो प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होगी।

इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर सहभागिता तथा विकेन्द्रीकरण द्वारा होगा। इसमें एनएआरएस के ग्राहक तथा स्टेकहोल्डरों तथा अन्य संबद्ध मंत्रालय/विभाग, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, किसान संगठन आदि शामिल होंगे।

मूल्य वृद्धि संबंधी पैनल

86. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की सरकार में विभिन्न स्तरों पर बारीकी से निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

रावघाट लौह अयस्क खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

87. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रावघाट लौह अयस्क खनन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई स्टील प्लांट को पट्टे पर देने हेतु आवेदन केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रावघाट खनन क्षेत्र को पट्टे पर देने हेतु अनुमोदन कब तक दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तटीय खतरा क्षेत्र मानचित्रण परियोजना

88. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक तटीय खतरा क्षेत्र मानचित्रण परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तटीय समुदायों की सुरक्षा तथा सतत् तटीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सरकार ने प्रायोगिक स्तर पर बाढ़ की सीमा और तटरेखा परिवर्तन के आधार पर संवेदनशील मानचित्रण का सीमांकन करने का कार्य स्पेस एप्लीकेशन सैन्टर, अहमदाबाद, सागर विकास विभाग, चैन्नई, सैन्टर फार अर्थ साईंस स्टडीज, त्रिवेन्द्रम और भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून को सौंपा है।

(ग) तटीय समुदायों की सुरक्षा और विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य तटीय विनियमन जोन अधिसूचना,

1991 पर प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट के आधार पर है जिसमें एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना को तैयार करना शामिल है। इसमें संवेदनशील रेखा, बायो-शील्ड उपलब्ध कराने, प्रवाल भित्ति, कच्छ वनस्पति, बालू टीले आदि जैसे प्राकृतिक बैरियरों की सुरक्षा एवं संरक्षण और एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर विकासीय कार्यों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

89. श्री अर्जुन सेठी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) सामान्य तथा फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजट राशि की तुलना में प्रदान की गई कुल धनराशि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सृजित कुल सिंचाई क्षमता तथा पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत राज्यों के लिए फास्ट ट्रैक के तहत परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं को मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता (सीए) के साथ-साथ इन वर्षों के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) किसी वर्ष के दौरान एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता 50% प्रत्येक की दो समान किस्तों में जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त, राज्य सरकारों द्वारा पहली किस्त के रूप में जारी केन्द्रीय सहायता का 70% व्यय करने तथा वर्ष के दौरान राज्य का संगत हिस्सा जारी करने संबंधी उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जारी की जाती है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 से 2005-06 के लिए एआईबीपी के तहत सीमा और सीएलए की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06	
		सीमा	जारी ऋण एवं अनुदान की कुल राशि	सीमा	जारी अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	275.0000	87.5470	1100.0000	311.3815
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.0000	10.0000	20.0000	18.0000
3.	असम	35.0000	16.9300	35.0000	34.9332
4.	बिहार	75.0000	37.2150	175.0000	16.2380
5.	छत्तीसगढ़	75.0000	2.9250	100.0000	7.6645
6.	गोवा	5.0000	0.6500	5.0000	—
7.	गुजरात	1000.0000	530.5000	1000.0000	339.6000
8.	हरियाणा	25.0000	11.1350	25.0000	6.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	15.0000	3.6900	37.6900	30.0785

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू एवं कश्मीर	40.0000	12.7445	40.0000	36.6878
11.	झारखंड	31.0000	21.2850	31.0000	5.0370
12.	कर्नाटक	567.0000	396.2952	400.0000	140.7759
13.	केरल	50.0000	49,4400	50.0000	9.3591
14.	मध्य प्रदेश	850.0000	516.7010	750.0000	168.0966
15.	महाराष्ट्र	707.0000	529.2860	1350.0000	167.3822
16.	मणिपुर	18.0000	13.0000	86.7800	75.7035
17.	मेघालय	4.0000	1.7438	4.0000	1.5750
18.	मिजोरम	10.0000	5.0000	10.0000	9.3150
19.	नागालैंड	8.0000	4.0000	8.0000	7.9987
20.	उड़ीसा	280.0000	24.2230	330.0000	151.3742
21.	पंजाब	100.0000	0.0000	84.3700	26.3166
22.	राजस्थान	400.0000	352.9040	400.0000	90.2952
23.	सिक्किम	1.5000	0.7500	1.5000	0.9113
24.	तमिलनाडु	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000
25.	त्रिपुरा	20.0000	11.0000	35.5500	31.9950
26.	उत्तर प्रदेश	400.0000	175.9200	429.0000	133.1280
27.	उत्तरांचल	30.5000	38.9917	123.0000	80.4387
28.	पश्चिम बंगाल	40.0000	13.4610	40.0000	0.0287
	कुल	5087.0000	2867.3372	6675.8900	1900.3142

विवरण II

एआईबीपी के तहत सृजित क्षमता और पूर्ण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	सृजित क्षमता		पूर्ण परियोजनाएं	
		वृहद/मध्यम मार्च, 2005	लघु 2005-06	वृहद/मध्यम मार्च, 2006	लघु 2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	293.632	—	4	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	26.28	—	1165

1	2	3	4	5	6
3.	असम	64.919	16.48	2	52
4.	बिहार	226.166	—	1	—
5.	झारखंड	11.620	—	2	—
6.	गोवा	9.494	—	शून्य	—
7.	गुजरात	493.626	—	9	—
8.	हरियाणा	98.237	—	1	—
9.	हिमाचल प्रदेश	2.178	5.48	शून्य	43
10.	जम्मू एवं कश्मीर	13.723	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	353.804	—	1	—
12.	केरल	34.290	—	1	—
13.	मध्य प्रदेश	97.289	—	3	—
14.	छत्तीसगढ़	127.172	—	1	—
15.	महाराष्ट्र	182.465	—	9	—
16.	मणिपुर	0.000	5.36	शून्य	182
17.	मेघालय	0.000	2.90	शून्य	34
18.	उड़ीसा	144.491	शून्य	4	8 (केबीके)
19.	पंजाब	100.990	—	1	—
20.	राजस्थान	337.238	—	4	—
21.	तमिलनाडु	0.000	—	शून्य	—
22.	त्रिपुरा	5.359	31.4	शून्य	859
23.	उत्तर प्रदेश	809.418	—	6	—
24.	उत्तरांचल	—	7.68	—	418
25.	पश्चिम बंगाल	73.027	—	1	—
26.	मिजोरम	—	3.33	—	34
27.	नागालैंड	—	19.30	—	6.20
28.	सिक्किम	—	2.98	—	291
	कुल	3479.138	142.838	50	3706

दलहन का आयात

90. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहन का उत्पादन इसकी खपत की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में इसके उत्पादन और खपत के तुलनात्मक आंकड़े वर्ष-वार क्या हैं;

(ग) क्या इस कमी को पूरा करने हेतु दलहनों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 में क्रमश: कुल 149.1 लाख टन और 131.3 लाख टन दलहनों का उत्पादन हुआ था। 15 जुलाई, 2006 को रिलीज किये गये चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2005-06 में कुल 131.1 लाख टन दलहनों का उत्पादन होने का अनुमान है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा की गई सिफारिश और भारत के महापंजीयक द्वारा किये गये आबादी के अनुमानों के अनुसार अनाजों सहित खाद्यान्नों की मानकीय अपेक्षा के आधार पर वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में क्रमश: कुल 167.4 लाख टन, 170.6 लाख टन और 173.8 लाख टन दालों की खपत की अपेक्षा थी।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 17.23 लाख टन, 13.39 लाख टन और 16.08 लाख टन दलहनों का आयात किया गया।

स्वैम्प (दलदली) हिरनों में रेडियो कालर लगाना

91. श्री सुग्रीव सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वैम्प (दलदली) हिरनों में रेडियो कालर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में स्वैम्प (दलदली) हिरनों की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो पूर्ववर्ती गणना की तुलना में आज की तिथि के अनुसार देश में उक्त हिरनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में स्वैम्प (दलदली) हिरनों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तरांचल को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 12(ख) के तहत झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व में आठ स्वैम्प (दलदली) हिरनों (सर्वस डुवायुसेली) के प्रवास का पता लगाने हेतु रेडियो कालर लगाने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) स्वैम्प (दलदली) हिरन उत्तरांचल (झिलमिल झील), उत्तर प्रदेश में गंगा से लगा दलदली क्षेत्र (दुधवा, काटेरनिया घाट और हस्तिनापुर सुरक्षित क्षेत्र), असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययनों से स्वैम्प (दलदली) हिरनों की संख्या के बढ़ते रुझान का पता चलता है और इनका 2000 से 2400 के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि स्वैम्प (दलदली) हिरनों की संख्या घट गई है।

(ङ) सरकार द्वारा स्वैम्प हिरन की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

राष्ट्रीय स्तर पर किये गये उपाय:

(1) स्वैम्प (दलदली) हिरन को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इस प्रकार इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी

उपस्कर, गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की है।

(5) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं।

राज्य स्तर पर किये गये उपाय:

(1) क्षेत्रीय कर्मचारियों को सतर्क किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध शिकार के किसी भी गतिविधि पर नजर रखें।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के संबंध में अवैध शिकार के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

(3) फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित गश्त लगाई जाती है।

(4) प्रभावशाली संचार साधनों के माध्यम से कड़ी चौकसी रखी जाती है।

विशाखा इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

92. डा. बाबू राव मिडियम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में विशाखा इस्पात संयंत्र में तरल इस्पात के भूमि पर गिरने के कारण कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे हुए जान-माल और पूंजी के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां। दिनांक 8 जून, 2006 को स्टील लैडल से टंडिश तक द्रव इस्पात की ढुलाई करते समय स्लाइड गेट मैकेनिज्म फेल हो गया था जिसके चलते लैडल स्लाइड गेट बंद नहीं किया जा सका। शेष द्रव इस्पात को कास्टिंग प्लेटफार्म और जमीन पर रखे गये आपातकालीन कंटेनरों में भरा गया था।

(ख) किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और पूंजी का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) स्लाइडिंग प्लेट के फेल हो जाने से स्लाइड गेट प्लेट फेल हो गई थी। उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में मरम्मत की गई प्लेट का उपयोग बंद कर दिया गया है।

खान मजदूरों को आवास उपलब्ध कराना

93. श्री राजेश पाठक: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खान मजदूरों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ग) उक्त स्थानों पर निर्मित की जाने वाली आवास इकाइयों की संख्या और इस हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रस्तावित धनराशि कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) सरकार, खान प्रबंधन के माध्यम से लौह/मैंगनीज/क्रोम/लाइमस्टोन/डोलोमाइट अयस्क खान एवं माइका अयस्क खान में कार्यरत कामगारों को नाममात्र किराया 10 रु. प्रतिमाह पर आवास उपलब्ध कराने के लिए टाइप-I एवं टाइप-II भवन निर्माण हेतु प्रति मकान क्रमश: 40,000 रुपये एवं 50,000 रुपये अथवा निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता के माध्यम से आवासीय योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसका लाभ ऐसे खान कामगारों को भी उपलब्ध है जो बीड़ी कामगारों से संबंधित संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2005 के अंतर्गत अपना स्वयं का मकान बनवाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें एक समान 40,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के विभिन्न जिलों में भवन संस्वीकृत किये गये हैं। इन राज्यों में खान कामगारों को विगत तीन वर्षों में संस्वीकृत कुल भवनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विगत तीन वर्षों में संस्वीकृत भवनों की संख्या

राज्य का नाम	2003-04 संस्वीकृत भवनों की संख्या	2004-05 संस्वीकृत भवनों की संख्या	2005-06 संस्वीकृत भवनों की संख्या
उड़ीसा	शून्य	237	शून्य
कर्नाटक	06	24	शून्य
मध्य प्रदेश	शून्य	132	शून्य
राजस्थान	06	शून्य	शून्य
आंध्र प्रदेश	27	24	68

कोयला खनन हेतु अनुमति

94. **श्री हंसराज जी. अहीर:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला सहित खनिजों के खनन की अनुमति प्राप्त करने वाली कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उन्हें कितने हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र की अनुमति दी गई है;

(ख) यह अनुमति कितनी अवधि के लिए प्रदान की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ने भूमिगत कोयला खनन के संबंध में कोई अनुकूल प्रतिवेदन दिया है; और

(च) यदि हां, तो लंबित प्रयासों के मद्देनजर सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिन खनन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है उनका विवरण संलग्न है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदान की गई मंजूरी खनन पट्टों के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

(ग) खनन से संबंधित इस प्रस्ताव वानिकी मंजूरी के लिए लंबित हैं।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त पूर्व प्रस्तावों पर निर्णय के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(ङ) राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए खनन के अनुमोदित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला	अनमोदन की तारीख	वनेतर क्षेत्र (है.)
1	2	3	4	5	6
1.	एससीसीएल के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	10/09/2003	140.3
2.	एसएससीएल की मैसर्स सिंगरीनी कोलारी कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	12/02/2005	253
3.	शांति खानी एक्सटेंशन ब्लाक के लिए एससीसीएल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	20/12/2005	285.89

1	2	3	4	5	6
4.	एससीसीएल, बैलाप्लायम के पक्ष में रीबीना (ए) में 1ए इनक्लाइन भूमिगत खनन एन्ट्रिक्स-गोलीटी के लिए आरक्षित वन तान्दुर की वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	10/06/2004	4.56
5.	मैसर्स एसीसीएल के पक्ष में इन्दरम एक्सटेंशन खनन के लिए भूमिगत कोयला खनन	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	13/04/2005	437
6.	नहर डांचे और एडीए (वी) सफाबाद मंडल के निकट प्रस्तावित पीडावागु परियोजना की पहुंच सड़क के लिए पत्थर खानों के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	21/06/2006	5
7.	मैसर्स एससीसीएल लि. के पक्ष में गोलीरी नं. 1 के भूमिगत खनन और प्रस्तावित 1ए इनक्लाइन भूमिगत खनन।	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	24/03/2005	83.77
8.	मैसर्स एसआर मिनरल्स के पक्ष में अनंतपुर डिवीजन के मालापन गुड्डी (बी) बैलारी आरक्षित वन के सर्वेक्षण सं. 1 (पी) में आवरन और उत्खनन के लिए 18.00 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	21/10/2005	18
9.	ओबुलापुरम खनन, अनंतपुर जिला के पक्ष में लौह अयस्क के खनन के लिए कल्याणदुर्ग रेंज के बैलारी आरक्षित वन में वन भूमि का वनेतर 39.50 हैक्टेयर	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	15/06/2006	39.5
10.	मैसर्स महबूब मिनरल्स के पक्ष में बैटीरीज उत्खनन के लिए खनन पट्टे के लिए 4.00 हैक्टेयर का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	17/08/2004	4
11.	मैसर्स नागलिंगेश्वर माइंस एंड मिनरल्स का आवेदन	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	31/08/2005	4
12.	मैसर्स ओबुलापुरम खनन के पक्ष में अनंतपुर डिवीजन में कल्याण दुर्ग रेंज के बैलारी आरक्षित वन में लौह अयस्क का खनन	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	16/06/2006	68.5

1	2	3	4	5	6
13.	मैसर्स शिवशक्ति ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	5/6/2006	2.5
14.	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एंड एक्सपोर्ट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए चित्तूर जिले के बासवापल्ली आरक्षित वन में वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	21/04/2005	3.187
15.	मैसर्स प्रशांती ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के खनन पट्टे के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	6/10/2005	3.8
16.	मैसर्स नागमनि ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट उत्खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	18/11/2004	5.4
17.	श्री एन. शिवाराम प्रसाद, परीछीरला (वी) गुंटूर जिला के पक्ष में रोड़ मटल के उत्खनन के लिए कोन्डावीडु आ.व. के अमीनाबाद बीट, गुंटुर में 1.387 है. वन भूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	13/06/2006	1.387
18.	डा. कंडेपाला रावेन्द्र हैदराबाद क्रे पक्ष में वीनूकोडा रेंज के नायडुपलोम में स्टेट स्टोन मंजूरी के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	28/11/2005	2
19.	श्रीती इन्दु यादव, मारकपुर के पक्ष में वीनूकोंडा रेंज के बोलापल्ली आरक्षित वन में स्टेट स्टोन मैटीरियल के उत्खनन के लिए वनभूमि का वनेतर—एम एण्ड एम	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	12/12/2005	2
20.	श्री चि. तिरुपाल के पक्ष में क्वेरी लघु मिनरल्स के लिए मंगलागिरी आरक्षित वन में वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	8/12/2004	2
21.	क्वेरी लीज मंजूरी के लिए श्री टी.एस. मल्लिकार्जुन राव का आवेदन-माइन्स एंड मिनरल्स	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	1/12/2003	3.61
22.	मैसर्स जुरैसिक स्टोन्स के पक्ष में वीनूकोंडा रिजर्व वन में क्वेरी पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	25/11/2005	3.625
23.	मैसर्स स्वामी काशी रत्नम के पक्ष में मिदनापुर के बत्तरापल्लम में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	23/08/2004	4.85

1	2	3	4	5	6
24.	मैसर्स के सीपी लि., गुंटुर जिले में स्टेकर उद्देश्य के लिए मनदादी ब्लाक आ.व. II में 1.41 है. वनभूमि पर खनन पट्टे का नवीकरण और कान्डला गुंटूर एक्सटेंशन 1 आ.व. में 6.77 है. वन भूमि	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	15/12/2005	8.18
25.	मैसर्स जैरेसिक स्टोन प्रा.लि. के पक्ष में बौलापल्ली आ.व. में क्वेरी पट्टे के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	17/10/2005	8.215
26.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में वाकिलपल्ली ब्लाक ए 10 और 20ए इन्कलाइन रायागुन्डम-II और पीसी परि-I विस्तार के लिए जीटी के 9 के सतह प्रयोग के 247 है. भूमिगत खनन	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	13/04/2006	412.4
27.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में वेंकटेश खानी 7 इन्कलाइन पर नालीर का एलाइनमेंट	आंध्र प्रदेश	खम्माम	31/8/2005	11.96
28.	असवापुर रेंज का कोंडापुर एक्सटेंशन I में ओसीपी-II फेज-III मानुगुरु के लिए एससीसीएल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	खम्माम	10/01/2005	125.9
29.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में गोथमी खानी ओपन कास्ट परियोजना के चरण III के लिए कोथागुडुम डिव. में रामवरम रिजर्व वन के कम्पार्टमेंट 11, 12 और 13 में खनन	आंध्र प्रदेश	खम्माम	13/04/2006	154.96
30.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में टीडब्ल्यूपी के लिए मनुगुरु खनन पट्टे में 1312 है शामिल 2186 का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	खम्माम	12/06/2006	2186
31.	सातुपल्ली-I ओपनकास्ट परियोजना के लिए एसीसीसीएल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	खम्माम	02/02/2005	244.02
32.	मैसर्स सिंगरीनी कैलारी कं.लि. के पक्ष में गोथमी खानी ओसीपी खनन पट्टा (चरण-I)	आंध्र प्रदेश	खम्माम	9/2/2004	261.31
33.	ककारिया सीमेंट शुगर इंडस्ट्रीयल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	31/3/2005	121.46

1	2	3	4	5	6
34.	कुरनूल जिले में स्टीटाइट और डोलोमाइट के पट्टे के लिए डा. बी. संजीव रेड्डी, नान्देयाल की वनभूमि के वनेतर का आवेदन	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	17/10/2005	4.96
35.	मैसर्स चाणक्य सीमेंट के पक्ष में नालगौन्डा वन डिव. के पासुबुलबोटू ब्लाक का कम्पार्टमेंट नं. 29	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	23/02/2005	162.56
36.	रामवरम और निडगुल रिजर्व वन ब्लाक में निदे. एटामिक मिनरल, डायरेक्टोरेट फार एक्सप्लोटेशन एंड रिसर्च, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम और अन्य सम्बद्ध परमाणु मिनरल के सर्वेक्षण और जांच के लिए प्रयोग	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	12/09/2005	0
37.	परमाणु ऊर्जा विभाग, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा लम्बपुर पीडागट्टु में यूरेनियम उत्पादन	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	23/8/2005	447.22
38.	श्रीमती एस.के. बीबीजान के पक्ष में सर्वे सं. 553, छंगम गांव, सैदपुरम मंडल में 2.00 हैक्टे. तक पर क्वार्ट, वर्मीकुलेट, अबरक, फैंसलर के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	निल्लौर	23/12/2004	2
39.	तुरीमेला रेंज, गिट्टालुर डव. प्रकासम जि. में 1.97 है. तक कम्पार्टमेंट नं. 755 पर बैरीटीज के लिए खनन पट्टा-एम एण्ड एम	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	30/5/2006	2.69
40.	मैसर्स लक्ष्मी नरसिम्ह मैटल इंडस्ट्रीज के पक्ष में सर्वे नं. 1265 के शहमीटटोर वन ब्लाक में खनन पट्टे के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंद्र प्रदेश	रंगारेड्डी	8/3/2005	4
41.	श्रीमती टी. सत्यवती, मुगदा (वी) के पक्ष में ग्रेनाइट मैटल के उत्खनन के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विजय नगर	23/03/2004	1.25
42.	मैसर्स सिंगरीनी कौलारी कं.लि. का टाडीचेरला आरक्षित वन में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	वारंगल	14/09/2004	250
43.	मैसर्स एक्सोटिक ग्रेनाइट एंड एक्सपोर्ट, वारंगल डिव. के पक्ष में ब्लैक, ग्रेनाइट वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंद्र प्रदेश	वारंगल	27/06/2006	4.916

1	2	3	4	5	6
44.	मैसर्स एससीसीएल का ककारिया खानी 9 और 9ए इनक्लाइन भूमिगत खान के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	वारंगल	17/05/2005	431.85
45.	आयल इंडिया लि., मानाबम, नोआदीहिंग नामसीसा, कोरियापानी, कोठा और मियी के पक्ष में पेट्रोलियम अंवेषण के लिए सिसमिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	अमोरतोला	24/11/2005	0
46.	नमचिक-नामपुरम कोल फील्ड में कोयला खनन के लिए एपीएमडी टीसीएल का खनन पट्टा	अरुणाचल प्रदेश	छंगलांग	10/04/2006	39.02
47.	तेल और गैस अन्वेषण के लिए चंगलांग जिला के नामपोंग वन डिव. के जनरल क्षेत्र में दूसरा और तीसरा सेसमिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	छंगलांग	3/4/2006	0
48.	आयल इंडिया लि. द्वारा पेट्रोलियम की खोज के लिए पासीघाट और पोबा आरक्षित वन क्षेत्रों के पास 2डी सैसमिक सर्वे आपरेशन का अनुमति	अरुणाचल प्रदेश	पूर्व सियांग	3/4/2006	0
49.	एई वैली डिव. के अंतर्गत नक्कारी हिल स्टोन क्वैरी 2 के अंतर्गत नवीकरण अनुमोदन	असम	बोंगईगांव	18/11/2005	0.5
50.	धीमाजी डिवीजन के अंतर्गत सैण्ड महल खनन	असम	धुबरी	18/11/2005	2
51.	धुबरी वन डिव. के दुधनाथ हिल स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन	असम	धुबरी	2/3/2004	4
52.	धुबरी वन डिव. में दूधनाथ हिल स्टोन महल नं. 1 के अंतर्गत नवीकरण अनुमोदन	असम	धुबरी	02/12/2005	0.5
53.	धुबरी वन डिव. में दूधनाथ स्टोन महल नं. 4 और दूधनाथ स्टीन महल नं. 5 पर 2 न्यू महल की ओपनिंग	असम	धुबरी	02/12/2005	2
54.	धुबरी वन डिव. के अंतर्गत मकरी-जोहरा सैण्ड और ग्रेवल महल	असम	धुबरी	10/02/2004	3

1	2	3	4	5	6
55.	डिब्रूगढ़ प्रभाग के अंतर्गत नदी तल से पत्थर सामग्री का संग्रह	असम	डिब्रूगढ़	13/03/2006	2.5
56.	गोलाघाट प्रभाग के अन्तर्गत ड्रिलिंग लोकेशन केपीएए के लिए 1.135 है. वन भूमि का वनेतर उपयोग	असम	गोलाघाट	21/12/2005	1.735
57.	गोलाघाट प्रभाग के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन एलबी के लिए 1.99 है. वन भूमि का वनेतर उपयोग	असम	गोलाघाट	21/12/2005	1.99
58.	गोलापाड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत 10 वर्षों की अवधि के लिए पत्थर उत्खनन का पुन: नवीकरण अनुमोदन	असम	गोलपाड़ा	26/09/2005	5
59.	फैरासिल 1, 2 एवं 3 देवचुरल सी एवं बी चमर ए एवं बी (नया)-नतुन रानी, हिलागोंग (पुन: नवीकरण) कामरूप जिला महापत्थर महल का अनुमोदन	असम	कामरूप	13/04/2006	0.5
60.	कामरूप पश्चिम प्रभाग के अंतर्गत बालू महल खनन	असम	कामरूप	10/05/2004	2.8
61.	कोकराझाड़ जिला में कचुगांव के अंतर्गत 4 बालु एवं ग्रैवल महलों का पुन: नवीकरण अनुमोदन हेल खिर सैंड एवं ग्रैवल महल, गरुफेला नदी बालु एवं ग्रैवल महल, मालभोग नदी बालु एवं ग्रैवल महल और बारघोपा बोल्डर ग्रैवल महल	असम	कोकराझाड़	13/04/2006	3.5
62.	खिरबेड महलों का पुन: नवीकरण	असम	कोकराझाड़	10/5/2004	4
63.	बालू महलों का पुन:नवीकरण	असम	लखीमपुर	10/05/2004	9
64.	सोनाईकुची आर एफ के अंतर्गत जारी सड़क पत्थर उत्खनन महल को शुरू करने का प्रस्ताव	असम	नगांव	19/12/2005	1
65.	नगांव प्रभाग के अंतर्गत कटहलगुड़ी पत्थर उत्खनन महल सं. 1 में नए महलों को शुरू करने का प्रस्ताव	असम	नगांव	18/11/2005	0.25
66.	नगांव प्रभाग के अंतर्गत कटहलुगुड़ी पत्थर उत्खनन महल सं. 1 (बी) में नए महलों को शुरू करने का प्रस्ताव	असम	नगांव	18/11/2005	0.25

1	2	3	4	5	6
67.	कटहलगुड़ी पत्थर उत्खनन महल सं. 2 को शुरू करना	असम	नगांव	16/12/2005	0.25
68.	घोलापहाड़ आर एफ के अंतर्गत घोला पहाड़ पत्थर उत्खनन सं. 3 में पत्थर महल का पुन:नवीकरण प्रस्ताव	असम	नगांव	27/04/2006	0.25
69.	नगांव वन प्रभाग के अंतर्गत पत्थर महल आई.ई. धोलापुर पत्थर उत्खनन सं. 2 का नवीकरण अनुमोदन	असम	नगांव	27/04/2006	0.25
70.	नगांव वन प्रभाग के अंतर्गत धोलापुर पत्थर उत्खनन सं. 3 एवं बोरजोंग पत्थर उत्खनन सं. 1 का नवीकरण अनुमोदन	असम	नगांव	19/12/2005	0.5
71.	सोनाईकुची आरएफ के अंतर्गत यात्री सड़क पत्थर उत्खनन महल सं. एफ (1) को शुरू करना	असम	नगांव	9/01/2006	1
72.	नगांव प्रभाग में नए महलों को शुरू करना	असम	नगांव	6/04/2005	1.5
73.	10 पत्थर महलों एवं 9 बालू महलों का नवीकरण	असम	नगांव	10/05/2004	12.8
74.	पत्थर एवं बालु महल जैसे बड़ी गंगा बालू महल, मोदरतोली पत्थर महल एवं मोगीराम बस्ती पत्थर महल के नवीकरण अनुमोदन का प्रसव	असम	नगांव	01/05/2006	2.3
75.	नगांव दक्षिण प्रभाग के अंतर्गत पत्थर/बालू महल खनन	असम	नगांव	2/10/2003	3.1
76.	6 बालू एवं ग्रैवल महलों का नवीकरण	असम	सोनीतपुर	10/05/2004	5.985
77.	बालू महलों का नवीकरण	असम	सोनीतपुर	10/02/2004	6
78.	डिगबोई प्रभाग के अन्तर्गत आयल इंडिया लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन डीईपी के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	असम	तिनसुखिया	19/12/2005	2.038
79.	डूम डूमा प्रभाग के अंतर्गत आयल इंडिया लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन डीईपी के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	असम	तिनसुकिया	14/03/2006	2.944
80.	एनएचईआई द्वारा एनएच 2 का 4 लेनिंग के लिए पत्थर का खनन	बिहार	गया	31/12/2003	2.47

1	2	3	4	5	6
81.	चिपावन्द गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुरुम खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	29/09/2005	0.4
82.	डिलीमिली गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पत्थर का खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	29/09/2005	0.4
83.	पिपरा गांव में कार्यकारी इंजीनियर, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पक्ष में पत्थर का खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	19/8/2005	0.5
84.	उदयपाल गांव में प्र.मं. ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पत्थर का खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	29/09/2005	0.6
85.	डिहिपाड़ा गांव में सदस्य सचिव, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पक्ष में पत्थर का उत्खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	29/08/2005	0.92
86.	करायी लल्वड़ गांव में प्र.मं. ग्राम सड़क योजना के तहत पत्थर का खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर	29/9/2005	1
87.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पक्ष में गिट्टी खनन पट्टा का निर्माण	छत्तीसगढ़	बस्तर	22/03/2006	1.4
88.	मैसर्स प्रकाश उद्योग लि. बिलासपुर के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 321 में लौह अयस्क खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	13/05/2005	137
89.	गांव रसुली, तहसील भानु प्रतापपुर में मै. विजा उद्योग लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 334, 337 में लौह अयस्क खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	23/06/2005	0
90.	एमपी खनन निगम द्वारा कोरंडम खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	बस्तर	04/02/2004	3.7
91.	मै. नवभारत फ्यूज कम्पनी लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 338, 339 में लौह अयस्क खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	23/06/2005	0
92.	मैसर्स पुष्प स्टील एवं खनन प्रा.लि. द्वारा हहालद्दी क्षेत्र, मिचगांव-लोहतर आर.एफ. में लौह अयस्क का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	05/04/2006	0
93.	मै. मिनरल्स एंड लाजिस्टिक के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 334(पी) में लौह अयस्क खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	23/06/2005	0

1	2	3	4	5	6
94.	मै. बजरंग मेटलिक प्रा.लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 364 एवं 365 में लौह अयस्क का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	बस्तर	16/05/2005	75
95.	एनएमडीसी के पक्ष में लौह अयस्क का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा	27/07/2004	83
96.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) के मधुरपानी खानों के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	16/03/2004	100
97.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के पक्ष में भिलाई स्टील प्लांट के पांडरी उल्ली-राझरा हिल माइन्स के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	15/03/2004	100.76
98.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के पक्ष में भिलाई स्टील प्लाट के ठल्ली राझड़ा माइन्स के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	15/03/2004	283.6
99.	भिलाई स्टील प्लांट के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	03/07/2003	84
100.	जायसवाल निको लि. (नागपुर अलाय कास्टिंग लि.) के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	11/08/2004	91
101.	प्रकाश उद्योग लि. की कैप्टिव कोयला खान परियोजना	छत्तीसगढ़	जंजगीर	29/03/2006	188.32
102.	बरबसपुर गांव में लौह अयस्क खनन के लिए श्री जीवन लाल जैन के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	कांके	18/01/2005	14.714
103.	मै. अक्षय इनवेस्टमेंट के पक्ष में हहालड्डी वन विभाग में कम्पार्टमेंट सं. 355 एवं 356 में लौह अयस्क खानों का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	कांके	26/05/2006	0
104.	एसईसीएल (चिरिमिरि क्षेत्र, बैकुंठपुर) के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 501-पी से 503पी, 513-पी से 516पी में कोरिया वन प्रभाग में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	1253.9
105.	एसीसीएल के पक्ष में चिरिमिरि क्षेत्र के अंतर्गत प. चिरिमिरि कोलियरी के कम्पार्टेंट सं. 500-पी से 502-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	170.35

1	2	3	4	5	6
106.	एसईसीएल के पक्ष में चिरमिरि क्षेत्र के अंतर्गत दोमनहिल कोलियरी के कम्पार्टमेंट सं. 517-पी, 522-पी, 523-पी एवं 530-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	205.88
107.	एसईसीएल, पश्चिम चिरमिरि के पक्ष में ओपनकास्ट खनन	छत्तीसगढ़	कोएरा	25/02/2004	30.55
108.	एसईसीएल के पक्ष में चिरिमिरि क्षेत्र के अंतर्गत कोरिया कोलियरी के कम्पार्टमेंट सं. 493-पी से 499-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	केएरा	24/04/2006	232.33
109.	साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि. (एसईसीएल) की कुरेसिया कोलियरी के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	469.49
110.	मै. एसईसीएल के पक्ष में कतकोना कोलियरी की खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	14/06/2006	549.94
111.	एसईसीएल के पक्ष में चिरिमिरि क्षेत्र के तहत उत्तर चिरिमिरि कोलियरी के कम्पार्टमेंट सं. 469, 517, 518, 519, 497, 501 में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	550
112.	एसईसीएल के पक्ष में चिरिमिरि कोलियरी के अंतर्गत कम्पार्टमेंट सं. 531-पी से 538-पी 540-पी से 541-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोएरा	24/04/2006	989.4
113.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के पक्ष में माणिकपुर ओपनकास्ट खनन का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोरबा	14/06/2006	181.17
114.	मै. एसईसीएल के पक्ष में स्वराजगार भूमिगत खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरबा	14/03/2006	461.8
115.	एसईसीएल के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	रायगढ़	25/02/2004	19

1	2	3	4	5	6
116.	मै. ओसीएल इंडिया लि. द्वारा खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	रायगढ़	01/08/2003	9.8
117.	जायसवाल एनईसीओ लि. के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	रायगढ़	06/09/2003	419.88
118.	मै. जिन्दल पावर लि. के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	रायगढ़	09/06/2004	48.208
119.	एसईसीएल के पक्ष में कोरबा क्षेत्र की सरायपाली ओ/सी परियोजना में खनन प्रयोजन	छत्तीसगढ़	रायपुर	16/03/2006	40.534
120.	गेवरा क्षेत्र, एसईसीएल की दिपका विस्तार ओसी परियोजना की 33.84 है. वनभूमि के लिए अस्थायी कार्य अनुमति	छत्तीसगढ़	रायपुर	24/01/2006	0
121.	श्री बजरंग मेटलिक प्रा.लि. के पक्ष में छोटे डोंगर रिजर्व वन के कम्पार्टमेंट सं. 252, 267, 268 एवं 269 में पूर्वेक्षण खनन	छत्तीसगढ़	रायपुर	16/05/2005	57
122.	मैसर्स लफार्ज इंडिया लि. के पक्ष में खनन पट्टा का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	रायपुर	06/09/2003	0
123.	श्री राधा इंडस्ट्रीज लि. के पक्ष में खनन का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	राजनन्दगांव	11/05/2004	200
124.	मैं इस्पात गोदावरी लि. के लिए खनन पट्टा का पूर्वेक्षण	छत्तीसगढ़	राजनन्दगांव	22/08/2003	200
125.	बोरिया टिब्बु आयरन ओर डिपाजिट के लिए जायसवाल नीको के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	12/11/2003	326
126.	बोरिया टिब्बु आयरन ओर डिपाजिट के लिए जायसवाल नीको के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	01/07/2004	41
127.	मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में गांव धमीरा, काटकौना, परसोदीकलां और पुहपुटरा गांव में अमीरा ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	सरगुजा	02/08/2005	51.989
128.	अशोक कुडचडकार के पक्ष में 100/53 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	28/11/2005	3.32

1	2	3	4	5	6
129.	अशोक कुडचडकार के पक्ष में 53/52 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	24/11/2005	6.34
130.	नूर मो. अब्दुल करीम के पक्ष में 43/53 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	13/10/2003	9.39
131.	श्री चन्द्रकांत एफ. नायक के पक्ष में आयरन और मैग्नीस ओर खनन टीसी नं. 63/51 के लिए खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	29/11/2005	16.351
132.	अच्युत वी.एस. वेलिंगकर के पक्ष में 29/55 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	01/12/2005	17.37
133.	वी.एन. सालगोयाकर ब्रदर्स लि. के पक्ष में 50/53 खनन पट्टे	गोवा	दक्षिण गोवा	05/10/2005	28.780
134.	डा. प्रफुल्ल आर हीडी के पक्ष में 30/50 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	24/02/2006	30.568
135.	मैसर्स सोसियाडेडी टिम्बी इमरोस लि. के पक्ष में माने गए आयरन ओर खनन पट्टे के अंतर्गत टीसी नं. 143/53 का नवीकरण	गोवा	दक्षिण गोवा	26/05/2006	26.858
136.	बी.एम. सालगोकर ब्रदर्स लि. के पक्ष में 13/55 खनन पट्टा	गोवा	दक्षिण गोवा	03/10/2005	35.152
137.	बदरूदीन मवानी को खनन पट्टा सं. 14/52	गोवा	दक्षिण गोवा	18/01/2006	31.459
138.	हैदर कासिम खान के पक्ष में खनन पट्टा 10/51	गोवा	दक्षिण गोवा	16/11/2005	14.998
139.	जी.एन. अग्रवाल के पक्ष में खनन पट्टा 8/41	गोवा	दक्षिण गोवा	27/02/2006	67.859
140.	श्री मिंगुएल मस्कारहंस का खनन पट्टा सं. 60/51	गोवा	दक्षिणी गोवा	8/12/2005	16.7
141.	सोवा के पक्ष में खनन पट्टा 45/54	गोवा	दक्षिण गोवा	25/11/2005	44.923
142.	वी.डी. चोंगले के पक्ष में खनन पट्टा 14/51	गोवा	दक्षिण गोवा	13/10/2003	13.635

1	2	3	4	5	6
143.	मैसर्स गुजरात मिनरल डिव. कारपोरेशन के पक्ष में गांव अम्बादुनगर में फ्लुरोसिपार खनन पट्टे का नवीकरण	गुजरात	वड़ोदरा	10/04/2006	31.2
144.	गुजरात मिनरल्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन का खनन पट्टा	गुजरात	वड़ोदरा	09/12/2004	32
145.	मैसर्स सगागल सीमेंट वकर्स के पक्ष में सीमेंट निर्माण के लिए क्वार्टइन का उत्खनन	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	08/10/2005	4.88
146.	श्रीमती चान्दल नागर, निवासी चम्बा के पक्ष में खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	06/07/2004	0.4842
147.	स्टोन क्रेशर पालमपुर एफडी को स्थापित करने के लिए मैसर्स ओरविट मिनरल उद्योग एसोसिएशन के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	10/04/2006	0.4852
148.	मैसर्स आशा पीर स्टोन क्रेशर, चोगला, कोटडान्डी-III हुरला पारबती वन डिव. के पक्ष में स्टोन क्रेशर	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	29/06/2004	0.4
149.	मैसर्स आशापुरी स्टोन क्रेशर, चोगला कोटडान्डी 3, हुरला वन रेंज कुल्लु में फीडिंग स्टोन के लिए 90 वर्ष का स्टोन क्रेरी पट्टा	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	09/06/2004	0.4
150.	मैसर्स भुवनेश्वरी स्टोन क्रेशर लोगला पारबती वन डिब. वुड सन्डोल में स्टोन क्रेशर स्थापित करना	हिमाचल प्रदेश	मंडी	29/06/2004	1.2
151.	बातुर जोली, मंडी वन डिब. में स्टोन क्वेरी स्थापित करना	हिमाचल प्रदेश	मंडी	14/06/2006	0.081
152.	मैसर्स रजन स्टोन इंडस्ट्रीज बाकरु खुड सन्डोल में राजहर ठाकुर के पक्ष में स्टोन क्रेशर स्थापित करना	हिमाचल प्रदेश	मंडी	11/02/2005	0.095
153.	मैसर्स जय दुर्गा स्टोन क्वेरी, बागी क्वेल, जिला मंडी द्वारा स्टोन क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी	24/09/2004	0.265
154.	मैसर्स हर्ष सीमेंट लि. के पक्ष में चूना पत्थर खनन का खनन/सीमेंट संयंत्र	हिमाचल प्रदेश	मंडी	18/11/2005	173

1	2	3	4	5	6
155.	श्री संत राम, गांव मरवाना के पक्ष में चूना पत्थर का खनन	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	03/05/2004	1.5
156.	पूर्व में ब्रोकन क्षेत्र के लिए पांच वर्षों केलिए खनन उद्देश्य	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	07/12/2005	2
157.	जेपी हिमाचल सीमेंट परियोजना, कुन्नीहार वन डिब. के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	सोलन	02/06/2006	239.50
158.	सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	08/12/2003	148.16
159.	सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. को धोरी खास भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	12/01/2005	172.2
160.	सीसीएल की खास महल ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	27/04/2004	174.48
161.	सीसीएल की अमलो ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	08/06/2004	222.32
162.	करमपाडा आयरन एंड मैग्नीशिस ओर के लिए शाह ब्रदर्श को खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	19/05/2005	24.856
163.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. के पक्ष में चुनी गई धोरी खानों के लिए अस्थायी कार्य अनुमति	झारखंड	बोकारो	28/06/2006	143.05
164.	सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. के पक्ष में नई चुनी गई धोरी भूमिगत परियोजना	झारखंड	बोकारो	19/05/2005	70.568
165.	सीपीएल की कावेरी ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो	31/03/2004	77.43
166.	राजमहल ओपन कास्ट खनन के लिए ईसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	दुमका	25/08/2004	69.75
167.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के पक्ष में बंधु हुरंग यूरेनियम परियोजना	झारखंड	पूर्व सिंहभूम	07/04/2005	130.82
168.	सीसीएल की धोरी ओपन कास्ट परियोजना	झारखंड	गिरडीह	09/10/2004	69.183

1	2	3	4	5	6
169.	सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	13/01/2004	101.87
170.	सीसीएल को झारखंड ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	28/05/2004	96.28
171.	कुजु परियोजना के लिए सीसीएल का खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	09/10/2004	115
172.	सीसीएल रीलीगारा ओसी पी खान परियोजना खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	05/07/2004	135.66
173.	करमा ओपनकास्ट खनन परियोजना के लिए मैसर्स सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	11/01/2005	132.28
174.	सीसीएल आरा ओसीपी खानों का खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	29/04/2004	166.9
175.	कीडल ओसीपी के लिए मैसर्स सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	23/08/2004	168.5
176.	मैससी सीसीएल के पक्ष में सयाल 'डी' परियोजना	झारखंड	हजारीबाग	14/01/2005	192.32
177.	सारुबीरा ओपनकास्ट खनन के लिए सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	16/11/2004	196.55
178.	सीसीएल का गिडी ए खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	6/8/2004	232.42
179.	सीसीएल को गिडी सी ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	6/8/2004	237.3
180.	सीसीएल को राजरप्पा ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	20/04/2004	50.8
181.	सीसीएल को सिरका ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	12/05/2004	510.82
182.	सीसीएल की पुन्डी ओपन कास्ट परियोजना	झारखंड	हजारी बाग	6/8/2004	52.97
183.	पिन्डरा भूमिगत खनन परियोजना के लिए सीसीएल को खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	2/11/2004	54.79

1	2	3	4	5	6
184.	सीसीएल के पक्ष में तपित नार्थ ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	हजारी बाग	21/06/2005	55.69
185.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसरदा एंड कुमारडीह कुनहरकाला स्टोन क्वेरी	झारखंड	हजारी बाग	20/1/2004	7.878
186.	सीसीएल को न्यू गिडी सी ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	1/6/2004	73.55
187.	मैसर्स सीसीएल को टोपा ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	हजारी बाग	27/4/2004	77.3
188.	सीसीएल कीलेओ भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	20/4/2004	78.59
189.	सीसीएल का अरगदा भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	हजारी बाग	20/4/2004	90.1
190.	मैसर्स सीसीएल की डरीमारी ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	हजारी बाग	9/10/2004	91.04
191.	मैसर्स जय श्री राम स्टोन इंडस्ट्रीज के पक्ष में स्टोन क्वेरी	झारखंड	कोडरमा	10/9/2004	4.994
192.	पनीम कोल माइन्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	झारखंड	पाकुर	6/1/2005	400
193.	बेन्ती बागदा लाइम स्टोन प्रोजैक्ट बीएसएमडीसी के पक्ष में नवीकरण	झारखंड	रांची	12/5/2005	9.07
194.	सेल की मेघहातुबारू आयरन ओर माइन्स पट्टा II बिरीबुक के संबंध में खनन पट्टे के नवीकरण के वनभूमि का वनेतर प्रयोग	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	11/4/2005	24.23
195.	मैसर्स उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, घाटकुटी वन के पक्ष में आयरन ओर खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	11/7/2005	29.464
196.	मैसर्स सेल को खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	12/8/2003	8.7
197.	मैसर्स सेल के पक्ष में किरीबुरु मेघाहातुबारू आयरन ओर खनन पट्टे के 3 पट्टों का नवीकरण	झारखंड	-वही-	8/4/2005	24.23

1	2	3	4	5	6
198.	मेघाहातुबारु आयरन ओर माइन के लिए मैसर्स सेल के पक्ष में 2 खनन पट्टा	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	8/4/2005	55.9
199.	गुड्डी कोटी आ.व., कुडलिगी तालुक बलेरी जिला के सर्वे सं. 887 में मैसर्स वेंकटेश्वर ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट क्वेटिंग के लिए 0.8094 है. का वनेतर	कर्नाटक	बैलेरी	18/2/2005	0.8094
200.	मैसर्स एसकेजेएस ग्रेनाइट में कुडलीगी (टी) आ.व. गुडीकारी के स.सं. 887 में ग्रेनाइट क्वेटिंग के लिए 2.2 एकड़ का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	18/2/2005	0.8903
201.	श्रीमती वी. नागम्मा का खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	10/5/2006	50.47
202.	जीनथ ट्रांसपोर्ट कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	बैलेरी	1/5/2004	50
203.	तुम्टी गांव सान्दुर तालुक में श्री टी. नारायण रेड्डी के पक्ष में आयरन ओर माइन्स के लिए खनन पट्टा 887 का नवीकरण	कर्नाटक	-वही	15/4/2006	11
204.	मैसर्स चांगले एंड कं. लि. के पक्ष में खनन पट्टे नं. 130/1198 का नवीकरण	कर्नाटक	-वही-	14/1/2005	100
205.	पी. वेंगना शेट्टी एंड ब्रदर्स को खनन पट्टा सं. 1046	कर्नाटक	-वही-	15/3/2005	50
206.	गांव सिदिपुर में श्री एन. शेरवासब के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	13/1/2005	15
207.	बैलेरी माइनिंग कारपोरेशन के पक्ष में आयरन ओर का उत्खनन	कर्नाटक	-वही-	19/10/2004	15.8
208.	श्री एम. हनुमंत राव का खनन पट्टा आवेदन	कर्नाटक	-वही-	17/2/2006	17.4
209.	श्री सत्यनारायण, बैलेरी का आयरन ओर खनन पट्टा आवेदन	कर्नाटक	-वही-	13/1/2005	15
210.	रामगद मिनरल्स प्रा.लि. के पक्ष में खनन पट्टा सं. 622	कर्नाटक	-वही-	15/3/2005	20.23

1	2	3	4	5	6
211.	वीएनके मेनन का खनन पट्टा	कर्नाटक	बैलेरी	25/7/2003	22.45
212.	मैसर्स बालाजी माइंस एंड मिनरल (प्रा.) लि. को खनन पट्टा सं. 432/63	कर्नाटक	-वही-	9/5/2006	22.66
213.	मैसर्स गोगा गुरु शांति एंड ब्रदर्स के पक्ष में जोगा आ.व., होसपेट तालुक में 28.6 है. वनभूमि का वनेतर प्रयोग	कर्नाटक	-वही-	21/4/2005	15.1
214.	मैसर्स मैसूर मिनरल लि. का खनन पट्टा सं. 2002	कर्नाटक	-वही-	5/11/2004	176.72
215.	मैसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट, बैलरी जिला के पक्ष में यशवंतनगर गांव में आरएम ब्लाक में आयरन ओर के लिए 30.00 है. अतिरिक्त वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	21/02/2005	30
216.	मैसर्स होथरु ट्रेडर्स का खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	13/11/2003	32.38
217.	मैसर्स मैसूर मिनरल लि. बंगलौर के लिए आयरन ओर माइंस, सन्दुर के पक्ष में खनन पट्टा सं. 995 के लिए वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	15/05/2006	33.6
218.	एचआर गवीअप्पा एंड कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	12/2/2004	34
219.	मैसर्स एनएमडीसी डोनमलय, संदुर के लिए आयरन ओर खान के पक्ष में वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	7/9/2005	341.2
220.	श्री एचजी रंगन गोवडा, होस्पेट के पक्ष में आयरन ओर उत्खनन के लिए 36.50 है. के खनन पट्टा का नवीकरण	कर्नाटक	-वही-	12/6/2006	36.5
221.	मैसूर मिनरल लि. का खनन पट्टा सं. 1659	कर्नाटक	-वही-	16/1/2004	38.45
222.	गोगा गुरु शांति एंड ब्रदर्स का खनन पट्टा सं. 2093	कर्नाटक	-वही-	8/7/2003	42.9
223.	मैसर्स पी. बाला शुब्बा शैट्टी एंड संस के पक्ष में खनन पट्टा 1898	कर्नाटक	-वही-	2/12/2004	44.11

1	2	3	4	5	6
224.	एचजी रंगनगाडू का खनन पट्टा	कर्नाटक	बैलेरी	7/8/2003	44.46
225.	मैसर्स श्री निधि आयरन ओर के पक्ष में कल्लाहाली गांव होस्पेट तालुक में खनन पट्टा सं. 2102 का नवीकरण	कर्नाटक	-वही-	6/6/2006	45
226.	मैसर्स गावी सिद्देश्वरा एन्टरप्राइज, बेलागोल आ.व. बलैरी तालुक बलेरी जिला के पक्ष में आयरन ओर खनन के लिए 5.67 है. व.भू. का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	8/5/2006	5.67
227.	मैसर्स नदीम मिनरल्स के लिए डोनो मलय ब्लाक में आयरन ओर खनन के पक्ष में वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	27/5/2005	53.2
228.	श्री अबुबाकर, एसई ब्लाक का खनन पट्टा सं. 2183	कर्नाटक	-वही-	8/2/2004	44
229.	मैसर्स एसवी श्रीनिवासुली का खनन पट्टा सं. 1634	कर्नाटक	-वही-	2/2/2005	60
230.	मैसर्स बी. कुमार गोवड़ा के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	15/10/2004	83.62
231.	मैसूर मिनरल्स लि. का खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	25/7/2003	98.224
232.	मैसर्स बालाजी प्रड्यूस के पक्ष में आयरन ओर उत्खनन के लिए होंसादुर्ग तालुक में लक्खीहाली खनन पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	27/6/2006	10
233.	मैसूर मिनरल्स लि. के पक्ष में कुमसी खनन पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	शिमोगा	25/1/2005	24.55
234.	मैसूर सीमेंट लि. के पक्ष में खनन पट्टा (लाइम स्टोन)	कर्नाटक	तुमकुर	1/9/2004	19.38
235.	मैग्नीशिश ओर इंडिया लि. के तिरोडी खान का नवीकरण	मध्य प्रदेश	बालाघाट	7/9/2005	115.47
236.	मैसर्स एपी त्रिवेदी के पक्ष में मैग्नीशिश का नवीकरण	मध्य प्रदेश	बालाघाट	10/4/2006	2.452
237.	मैसर्स पैसीफिक मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	27/7/2005	20

1	2	3	4	5	6
238.	मैग्नीशिश ओर इंडिया लि. मारवेली माइन्स के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	बालाघाट	19/9/2005	29
239.	मैसर्स मैग्नीशिश ओर इंडिया लि. (सीतापेटहोट माइन्स) द्वारा मैग्नीश ओर खनन	मध्य प्रदेश	-वही-	22/3/2006	4.734
240.	मैग्नीशिश ओर इंडिया लि. के पक्ष में मेग्नीशिश पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	22/3/2006	4.374
241.	प्रफुल चन्द जे. त्रिवेदी द्वारा मैग्नीशिश ओर खनन	मध्य प्रदेश	-वही-	23/12/2004	4.959
242.	मैसर्स मैग्नीशिश ओर (इंडिया) लि. तहसील कटनी के पक्ष में मैग्नीश खनन के लिए सीतापटोरी खनन पट्टे के संबंध में अस्थायी कार्य अनुमति	मध्य प्रदेश	-वही-	22/3/2006	49.723
243.	डा. पुनराम मिश्रा के पक्ष में सोप स्टोन खनन	मध्य प्रदेश	-वही-	6/11/2003	5
244.	कोयला केएसईसीएल एंड यूजी खनन का सरफेस अधिकार	मध्य प्रदेश	-वही-	13/11/2003	747.92
245.	मैसर्स खजुराहो मिनरल्स के पक्ष में डायसफोर/पायरोफिलाइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	10/10/2003	0.873
246.	श्री निहाल अहमद सिद्दकी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	26/10/2005	3.75
247.	डब्ल्युसीएल, दमुआ क्षेत्र के पक्ष में ओपनकास्ट खनन	मध्य प्रदेश	छिन्दवाड़ा	14/5/2004	8.5
248.	श्री रवीन्द्र कुमार दुबे, गांव सिवडाह द्वारा बालू खनन	मध्य प्रदेश	दतिया	23/8/2005	0.975
249.	एमपी राज्य खनन निगम के पक्ष में गांव कच्छलहाला में खनन	मध्य प्रदेश	झबुआ	27/6/2006	37.7
250.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा बालू खनन	मध्य प्रदेश	खन्डवा	7/3/2005	0.95
251.	श्री केवीएस गोपाल द्वारा फरसी पन्थर खनन	मध्य प्रदेश	सागर	13/1/2006	2

1	2	3	4	5	6
252.	एसईसीएल जगर खंड द्वारा सरफेस राइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	शहडोल	30/3/2005	9.158
253.	फरशी स्टोन के लिए क्वेरी पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	19/7/2005	217.06
254.	मैसर्स एनसीएल (दूधीखुआ परियोजना) का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	सिद्दि	17/11/2005	194.78
255.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि. द्वारा कोयले के टोपोग्राफी कल सर्वेक्षण की भावी योजना	मध्य प्रदेश	-वही-	12/6/2006	0
256.	मैसर्स नार्थ कोलफील्ड लि. के पक्ष में ब्लाक बी गोरबी परियोजना	मध्य प्रदेश	-वही-	8/2/2006	447
257.	मैसर्स सिंह के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	विदिशा	16/4/2004	0.99
258.	मैग्नीशिश ओर (इंडिया) लि. का खनन पट्टा	महाराष्ट्र	भंडारा	1/8/2003	59.21
259.	मैसर्स मैग्नीशिश ओर इंडिया लि. द्वारा मैग्नीशिश उत्खनन खनन पट्टा	महाराष्ट्र	-वही-	26/4/2004	6.81
260.	मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में दुर्गापुर ओपन कास्ट माइनिंग का नवीकरण	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	24/10/2005	462.43
261.	मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में दुर्गापुर ओपनकास्ट खनन का नवीकरण	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	19/5/2005	0
262.	खनन पट्टे के नवीकरण के लिए बलारपुर कोलारी प्रस्ताव के लिए-टीडब्ल्यूपी आवेदन	महाराष्ट्र	-वही-	29/12/2005	0
263.	डब्ल्युसीएल के पक्ष में महाकाली कोलारी के लिए अस्थायी कार्य अनुमति	महाराष्ट्र	-वही-	23/11/2005	47.07
264.	डब्ल्यूसीएल के पक्ष में हिन्दुस्तान लालपेट कोलारी भूमिगत के लिए एक वर्ष को अस्थायी कार्य अनुमति की मंजूरी	महाराष्ट्र	-वही-	23/11/2005	44.3

1	2	3	4	5	6
265.	मैसर्स गहरा मिनरल्स का खनन पट्टा	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	9/11/2005	4.63
266.	डब्ल्यूसीएल द्वारा दुर्गापुर ओपन कास्ट खनन	महाराष्ट्र	-वही-	8/11/2005	80.77
267.	मैसर्स गडचिरौली मेटल एंड मिनरल्स लि. का आयरन ओर खनन/ट्रांसमिशन लाइन और पहंच सड़क के लिए जुडपी वन भूमि का वनेतर प्रयोग	महाराष्ट्र	गडचिरौली	13/6/2005	374.9
268.	मैसर्स साबिर स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर	27/1/2005	1.99
269.	मैसर्स बीआर अकरी का खनन पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर	19/1/2005	2.832
270.	मैसर्स मैग्नीशियम ओर इंडिया लि. द्वारा मैग्नीशियम के उत्खनन का पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर	27/12/2004	5.72
271.	मैसर्स सिकन्दर इब्राहिम शेख द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाना	12/5/2005	1.03
272.	मैसर्स डीआर महोत्री द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाना	9/9/2005	1.06
273.	मैसर्स राम स्टोन कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाना	13/4/2006	1.08
274.	मैसर्स वीएन कुरदुकार द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वही-	28/9/2004	1.11
275.	मैसर्स पटेल क्वेरी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	वही-	18/4/2006	1.165
276.	मैसर्स एम ए पाटिल द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वही-	12/5/2005	1.26
277.	मैसर्स बाम्बे क्वेरी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वह-	18/4/2006	1.29
278.	श्री जी.एच. अजवानी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वही-	22/3/2006	1.42
279.	श्री एनजी अजवानी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	22/3/2006	1.42
280.	स्टोन क्वेरी के लिए एनजी अजवानी के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वही-	8/12/2004	1.42

1	2	3	4	5	6
281.	मैसर्स मंगल सिंह एंड कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाना	13/4/2006	1.47
282.	मैसर्स एचएम शाह द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	-वही-	-वही-	9/9/2005	1.72
283.	भुवनेश्वरी ओसीपी के लिए महानदी कोलफील्ड लि. को खनन पट्टा	उड़ीसा	अंगुली	6/12/2004	112.52
284.	एमसीएल के लिंगराज में कन्ही ओसीपी	-वही-	-वही-	13/9/2005	2.307
285.	महानदी कोलफील्ड लि. के पक्ष में नटराज में भूमिगत कोयला खनन	-वही-	-वही-	11/1/2005	289.85
286.	तालचेर क्षेत्र की महानदी कोल फील्ड लि. का नान्दिरा भूमिगत कोल खान	उड़ीसा	अंगुली	12/1/2005	325.38
287.	महानदी कोलफील्ड लि. की जगन्नाथ विस्तार ओपनकास्ट परियोजना	-वही-	-वही-	9/11/2005	58.096
288.	महानदी कोलफील्ड के पक्ष में अनंत विस्तार ओपनकास्ट परियोजना	-वही-	-वही-	16/11/2004	62.67
289.	गिरधारी लाल अग्रवाल का खनन पट्टा	-वही-	बोलनगिरी	9/12/2003	23.24
290.	टाटा रीफ्रेक्ट्री का खनन पट्टा	-वही-	कटक	27/5/2005	58.5
291.	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन का सुकरंगी क्रोमाइट खान में क्रोमाइट खनन के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	जाजपुर	29/3/2006	104.79
292.	श्री पी.एन. साहू द्वारा क्वार्ट्ज और क्वार्टाइट खनन	-वही-	-वही-	5/4/2005	3.089
293.	क्रोमाइट खनन के लिए मैसर्स ओकथ का खनन पट्टा	-वही-	-वही-	16/5/2006	14.836
294.	सुकिन्डा तहसील में गांव कालीपानी में इंडियन चार्ज क्रोम लि. का महागिरी क्रोमाइट खानों के लिए खनन पट्टा	-वही-	-वही-	18/5/2005	63.91

1	2	3	4	5	6
295.	मैसर्स फैरो अलाय कारपोरेशन लि. का ओस्टापाल क्रोमाइट खान के खनन पट्टे का नवीकरण	उड़ीसा	जाजपुर	7/2/2006	64.354
296.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड लि. द्वारा समालेश्वरी ओसीपी के लिए खनन पट्टा	-वही-	झारसुंगरा	24/5/2006	145.82
297.	खनन पट्टे के दूसरे नवीकरण के लिए 75.228 है. के खनन पट्टे क्षेत्र के भीतर मैसर्स कलिंग माइनिंग का के पक्ष में जोरूरी, जालाडुरी और खण्ड बंधा गांव में आयरन ओर खनन	-वही-	क्योंझर	20/2/2006	47.214
298.	मैसर्स टिस्को लि. द्वारा बामी-बारी आयरन एंड मैग्नीशिश ओर खनन	-वही-	-वही-	26/5/2005	145.32
299.	ठकुरानी आयरन ओर माइन्स के लिए मैसर्स केपी एन्टरप्राइज के पक्ष में खनन पट्टा	-वही-	-वही-	21/7/2005	146.72
300.	एस. प्रधान का इनरानीकरण लौह एवं खनिज खान	उड़ीसा	-वही-	1/11/2004	15.316
301.	एस. प्रधान का बलिटा लौह खान	उड़ीसा	-वही-	3/1/2006	18.347
302.	गुआली लौह अयस्क खान के लिए आर.पी. साव को खनन पट्टा	उड़ीसा	-वही-	14/1/2005	42.417
303.	ऊंचाबली गांव में श्रीमती इंद्राणी पयात्रक द्वारा लौह अयस्क खनन	-वही-	-वही-	8/4/2005	35.275
304.	केजेएस अहलुवालिया के लिए खनन पट्टा	-वही-	-वही-	22/4/2004	371.19
305.	मैसर्स टिस्को लि. के पक्ष में गांव कमरजोड़ा, जोड़ा, बांसपानी बिच्चाकुंडी एवं बैतरणी आरएफ में खनन पट्टा का नवीकरण	उड़ीसा	-वही-	18/7/2005	463.67
306.	कलापरबत लौह अयस्क खान के लिए एस. प्रधानजी को खनन पट्टा	उड़ीसा	-वही-	3/11/2004	52.002

1	2	3	4	5	6
307.	मै. टिस्को लि. की तिरिंग पहर मैंगनीज खान में खनन पट्टा का नवीकरण	उड़ीसा	क्योंझर	26/5/2005	52.348
308.	उड़ीसा खान निगम लि. द्वारा गंधमर-दन ब्लाक 'बी' में वनभूमि का वनेतर उपयोग	-वही-	-वही-	24/4/2006	232.43
309.	दूसरा नवीकरण के लिए क्योंझर वन प्रभाग में मैसर्स टिस्को लि. की जोड़ा पूर्व लौह खान एवं मनोरा मैंगनीज खान में लौह एवं मैंगनीज अयस्क खनन	-वही-	-वही-	02/06/2006	45.465
310.	कलिंगा खनन निगम की जोरुरी लौह एवं खनिज खान	-वही-	-वही-	2/5/2005	6.008
311.	मैसर्स टिस्को लि. की खंदबंध लौह एवं मैंगनीज के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	-वही-	-वही-	13/7/2005	453.15
312.	उड़ीसा खनन निगम लि. के पक्ष में खनन पट्टा	-वही-	-वही-	25/1/2005	95.6
313.	टोंटो गांव के निकट सिधामय आरक्षित वन में मैसर्स मिडइस्ट इंटीगरेटिड स्टील लि. के पक्ष में रोयडा लौह अयस्क खान	-वही-	-वही-	4/1/2006	51.99
314.	डीसी जैन को खनन पट्टा	-वही-	-वही-	14/11/2005	16.464
315.	नाल्को के लिए खनन पट्टा	-वही-	-वही-	14/2/2006	300
316.	एसेल खनन उद्योग के लिए खनन पट्टा	-वही-	-वही-	27/5/2004	152.22
317.	केएमसी की जोरुरी खान	-वही-	-वही-	2/5/2005	6.008
318.	मैसर्स लाल ट्रेडर्स एवं एजेंसीज प्रा.लि. के लिए खनन पट्टा	-वही-	-वही-	5/4/2006	70.57
319.	मैसर्स घनश्याम मिश्रा एंड सन्स के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	मयूरभंज	10/10/2005	81
320.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड लि. के पक्ष में लिलारी ओपन कास्ट खनन परियोजना के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	संबलपुर	1/6/2006	174.9
321.	आण्विक ऊर्जा विभाग द्वारा बोनाई वन प्रभाग के टोडा आरएफ में यूरेनियम अयस्क के लिए पूर्वेक्षण	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	28/2/2006	0.0000

1	2	3	4	5	6
322.	मैसर्स रूंगटा एंड सन्स, औरघट द्वारा लौह अयस्क खनन	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	4/5/2006	10.8
323.	मैसर्स एम.जी. मोहंती द्वारा बोनाई सबडिवीजन के पाटाबेरा गांव में लौह अयस्क खनन	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	29/12/2005	12.058
324.	मैसर्स एएमटीसी लि. के पक्ष में महुलसुखा मैंगनीज अयस्क खान के लिए पट्टा का नवीकरण	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	16/2/2005	227
325.	भुवनेश्वर के मैसर्स एमजी मोहंती के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	6/5/2004	23.581
326.	एएमटीसी (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	11/03/2005	244.32
327.	महानदी कोलफील्ड्स लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	21/4/2004	227.89
328.	भंजापल्ली और कोइरा गांव में श्री जे.एन. पटनायक द्वारा लौह अयस्क खनन	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	9/3/2005	3.921
329.	बोनई प्रभाग में मैसर्स नेशनल इन्टरप्राइजेज द्वारा लौह अयस्क का खनन	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	8/9/2005	31.749
330.	नेशनल इन्टरप्राइजेज के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	10/11/2005	37.317
331.	बोनई वन प्रभाग में मैसर्स फीग्रेड एंड कंपनी द्वारा लौह अयस्क का खनन	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	8/8/2004	39.309
332.	श्री रुद्रसेन सिंघू मैसर्स रोहतक इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	22/11/2004	41.839
333.	कुर्मीतर लौह अयस्क खान में उड़ीसा खनन निगम लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	3/12/2003	28.802
334.	मसर्स रुंगटा माइन्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	16/3/2006	53.55

1	2	3	4	5	6
335.	मैसर्स रुंगटा सन्स (प्रा.) लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	19/6/2006	52.742
336.	जिंदल स्ट्राइप्स लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	8/9/2005	90.505
337.	आईओसी लि. की एपीपीआरडी रिटेल आउटलेट	पंजाब	मनसा	31/10/2005	0.0016
338.	लक्ष्मी नारायन मीना के पक्ष में 3एल/एच के लिए मैसोनरी पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	अलवर	22/4/2004	2.742
339.	सतीश मोहन गुप्ता के पक्ष में पायरक्ले का खनन पट्टा	राजस्थान	अलवर	2/4/2004	3.746
340.	11 एल/एच के पक्ष में मैसनरी पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	अलवर	2/4/2004	7.5999
341.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में चूना पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	अलवर	19/2/2004	9.08
342.	ओरिएन्टल टाल्क प्रोडक्ट्स प्रा.लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	बांसवाड़ा	18/5/2004	36.610
343.	मैसर्स मदन लाल पुरोहित के पक्ष में सिलिका बालु का खनन पट्टा	राजस्थान	भरतपुर	8/12/2004	2.3638
344.	चमावली माइन्स से एसीसी लि. तक में चूना पत्थर के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	बूंदी	14/2/2006	100
345.	35 पट्टा धारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	बूंदी	7/5/2004	38.04
346.	मैसर्स नलवाया मिनरल्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि. की सोपस्टोन एवं डोलोमाइट खानों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	डुंगरपुर	18/1/2006	49.374
347.	7 पट्टा धारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	जयपुर	30/8/2004	118.75
348.	विनोद के अग्रवाल के पक्ष में मैसनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	जल्लोर	14/1/2004	1.4945
349.	आरएसएमडीसी के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	जल्लोर	6/2/2004	5.788

1	2	3	4	5	6
350.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	राजस्थान	जल्लोर	11/1/2005	60.503
351.	श्री खेम राम के पक्ष में मैसनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	जल्लोर	30/4/2004	0.5
352.	सलीम के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	करोली	10/02/2004	1.5372
353.	श्री पी.सी. मोरारी के पक्ष में सिलिका बालू का खनन पट्टा	राजस्थान	करोली	10/12/2003	5
354.	मंगलम सीमेंट लि. के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	कोटा	25/05/2005	139
355.	श्रीमती अमना बाई के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	कोटा	1/4/2005	2.17
356.	श्री राम किशोर मीना के पक्ष में मैसनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	सवाई माधोपुर	3/11/2004	0.424
357.	श्री शाह कस्तूर मल के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	सवाई माधोपुर	26/5/2004	25.78
358.	बंद गांव के निकट सोप स्टोन खनन के लिए मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा सं. 6184 का नवीकरण	राजस्थान	उदयपुर	29/6/2005	30.24
359.	खंदेल की पल गांव के निकट खनन के लिए महावीर ट्रेडिंग कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा सं. 7184 का नवीकरण	राजस्थान	उदयपुर	29/6/2005	34.22
360.	लचुंग-कटाव रोड (शर्गुफूक) में बालू/पत्थर/बोल्डर का अस्थायी उत्खनन	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	22/9/2005	0.0464
361.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लि. (एसीसी) और पहुंच सड़क का निर्माण के पक्ष में खनन पट्टा	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	2/8/2005	1.479
362.	विलावन कोठ तालुक मनकोड गांव में ग्रेनाइट प्राइमेंसनल स्टोन के उत्खनन के लिए प्रस्ताव	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	7/6/2005	3.6828

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र का वैश्वीकरण

95. डा. बाबू राव मिडियम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्वीकरण से हमारे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कृषक समुदाय को संरक्षण देने वाले उपचारात्मक उपाय क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में कमी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत में कृषि आयात, कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से भी कम है। भारत के पास कृषि व्यापार में आयात की तुलना में निर्यात का अधिशेष है जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:

वर्ष	आयात (करोड़ रुपये में)	निर्यात (करोड़ रुपये में)	अधिशेष (करोड़ रुपये में)
2000-01	12086	28657	16571
2001-02	16256	29728	13472
2002-03	17608	34653	17045
2003-04	21792	37266	15294
2004-05	22057	39863	17806

अत: यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उदारीकरण से सामान्य रूप में कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाला है।

कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण की सरकार की अनुक्रिया दोहरी है। एक ओर आयात वृद्धि से किसानों की रक्षा करने के लिए टैरिफ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है। दूसरी ओर भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपाय किये गये है ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके और किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कृषि उत्पादों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई पहले और हस्तक्षेप शुरू किये है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं। परिवहन सहायता स्कीम और विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमें यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जाती है कि किसान अपने निर्यात के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंडी तक उनकी पहुंच में वृद्धि हो।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र हेतु राजसहायता में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ईएसआई अस्पतालों का उन्नयन

96. श्री राजेश पाठक: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा उपकरणों, औषधियों और महिला चिकित्सकों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ईएसआई नेटवर्क के पुनर्गठन, उन्नयन और आधुनिकीकरण करने तथा वहां बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों/औषधालयों पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु राज्य-वार कितने कर्मचारी अंशदान कर रहे हैं और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि का अंशदान दिया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन वाले क्षेत्रों में क.रा.बी. अस्पताल और औषधालय चलाती और प्रबंधन करती हैं, 31.3.2005 को स्थिति के अनुसार चिकित्सकों की रिक्ति की स्थिति संलग्न विवरण-I दी गई है। तथापि राज्य सरकारों ने

महिला चिकित्सकों की किसी प्रकार की कमी को सूचित नहीं किया है। राज्य सरकारों की आवश्यकता के अनुसार क.रा.बी. निगम मानकों के अंतर्गत चिकित्सकीय उपकरण प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा क.रा.बी. अस्पताल और औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की कोई कमी न हो, राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकतम सीमा संबंधी मानकों के अंतर्गत बजट आबंटित करने की शक्ति दी गई है।

(ग) क.रा.बी. मानकों के अनुसार अस्पतालों/औषधालयों में सुविधाओं का पुनर्गठन और उन्नयन करने हेतु क.रा.बी. निगम द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। (1) राज्य सरकारों से सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए औषधालयों/अस्पतालों का पुनर्गठन करने और अस्पतालों और औषधालयों में आवश्यकता और कार्य की मात्रा के अनुसार स्टाफ को पुनः तैनात करने हेतु कहा गया है। (2) उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और बीमारी का पता लगाने व चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु समय-समय पर कार्य योजनाएं तैयार की जाती रही हैं। (3) बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेषज्ञता वाले अस्पतालों के साथ अनुबंध की व्यवस्था की गई है। (4) माडल अस्पताल के रूप में क.रा.बी. निगम द्वारा अस्पताल सीधे चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति से एक राज्य में एक अस्पताल को ले लिया गया है/लिया जा रहा है। ये अस्पताल बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं और व्यापक सेकेंडरी केयर मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए इनकी सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। (5) राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा देख-रेख के प्रावधान संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीमा 1.4.2005 से 750 रु. से बढ़ाकर 900 रुपये प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई कर दी गई है। (6) उपकरणों की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/ राज्य चिकित्सा आयुक्तों को राज्य स्तर पर ही 15.00 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत तक के उपकरण की मंजूरी देने की शक्तियां सौंप दी गई हैं। (7) क.रा.बी. निगम ने राज्य स्तर पर ही बीमित व्यक्तियों को गुणवत्ता वाली चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने के लिए हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में अति-विशेषज्ञता वाले अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(घ) क.रा.बी. अस्पताल और औषधालय केवल क्रियान्वयन वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। पिछले तीन् वर्षों के दौरान अस्पतालों और औषधालयों पर किया गया कुल व्यय में दिया गया है।

(ङ) राज्य-वार और वर्ष-वार अंशदान की गई राशि सहित वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक (तीन वर्ष) चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण III में दर्शायी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	रिक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	285
2.	असम	17
3.	बिहार	59
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	7
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	दिल्ली	413
7.	गोवा	03
8.	गुजरात	216
9.	हरियाणा	32
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	कर्नाटक	144
12.	केरल	190
13.	मध्य प्रदेश	49
14.	महाराष्ट्र	
	(क) मुंबई	85
	(ख) पुणे	22
	(ग) नागपुर	20
15.	मेघालय	–
16.	उड़ीसा	53
17.	पांडिचेरी	10
18.	पंजाब	–
19.	राजस्थान	58
20.	तमिलनाडु	116
21.	उत्तर प्रदेश	107
22.	उत्तरांचल	6
23.	पश्चिम बंगाल	215
24.	जम्मू और कश्मीर	3
25.	झारखंड	100
	योग	2208

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सा देखरेख पर व्यय		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	5064.47	7241.39	7391.30
2.	असम	407.44	311.53	373.54
3.	बिहार	430.73	407.70	409.78
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	207.41	214.75	249.40
5.	गुजरात	6772.23	6886.75	6980.71
6.	गोवा	435.76	768.04	546.38
7.	हरियाणा	2599.24	2832.74	3025.91
8.	हिमाचल प्रदेश	228.75	220.55	223.65
9.	जम्मू और कश्मीर	83.02	86.28	84.96
10.	केरल	3514.76	4060.98	4459.03
11.	कर्नाटक	4984.24	4815.64	5565.16
12.	मध्य प्रदेश	2369.93	2379.99	3171.40
13.	महाराष्ट्र	10551.58	11010.05	11474.56
14.	उड़ीसा	1315.45	1256.23	1242.56
15.	मेघालय	23.28	24.60	24.68
16.	पंजाब	3583.67	3120.03	3194.16
17.	पांडिचेरी	485.27	517.65	558.95
18.	राजस्थान	2144.56	2055.15	2185.29
19.	तमिलनाडु	7673.43	7695.91	7965.75
20.	उत्तर प्रदेश	4692.91	5053.40	5355.63
21.	पश्चिम बंगाल	6867.32	6639.57	6730.49
22.	दिल्ली	7432.11	8189.04	8535.87
23.	चंडीगढ़	277.94	308.45	319.58
24.	झारखंड	507.46	509.10	421.34
25.	उत्तरांचल	99.24	91.92	102.57

विवरण III

2002-2003 से 2004-2005 के दौरान बीमित व्यक्तियों की संख्या और अंशदान व्यय

क्र.सं.	राज्य	2002-03		2003-2004		2004-2005	
		बीमित व्यक्तियों की संख्या	अंशदान आय (लाखों में)	बीमित व्यक्तियों की संख्या	अंशदान आय (लाखों में)	बीमित व्यक्तियों की संख्या	अंशदान आय (लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	570550	8025.26	567550	8283.34	617500	10648.61
2.	असम	34800	441.34	35050	459.18	39450	536.12
3.	बिहार	32900	1554.05	31300	755.64	41350	780.64
4.	दिल्ली	561100	9952.17	573450	10556.13	627450	13112.02
5.	गुजरात	511700	7670.06	485300	7892.03	507350	8799.36
6.	हरियाणा	399700	7104.15	431550	7849.75	475850	9433.62
7.	कर्नाटक	724700	11962.18	756150	12964.11	807100	16289.85
8.	केरल	357300	4555.24	353700	4681.97	368150	5379.62
9.	मध्य प्रदेश	185950	3497.45	187200	2932.08	190050	3366.24
10.	महाराष्ट्र	1122250	22907.96	1139600	25737.28	1252900	31416.98
11.	गोवा	78150	1261.18	81700	1304.15	102250	1757.30
12.	उड़ीसा	128450	1703.98	124650	1561.69	131450	1869.85
13.	पंजाब	402300	7060.98	404400	6403.99	478150	7353.62
14.	राजस्थान	267450	4072.17	275050	4326.30	303950	5151.20
15.	तमिलनाडु	1104900	17261.63	1107000	18486.95	1133950	22666.94
16.	उत्तर प्रदेश	460950	7821.12	464950	8299.09	482050	10736.03
17.	पश्चिम बंगाल	652000	12617.95	652000	12325.87	652650	14931.53
18.	पांडिचेरी	53800	769.74	54550	833.27	69300	1200.14
19.	झारखंड**	72100		76550	665.34	91400	1220.76
20.	छत्तीसगढ़**	24100		24300	525.08	33250	631.81
21.	हिमाचल प्रदेश**	43900		44600	681.03	46000	798.79
22.	जम्मू और कश्मीर**	17400		18100	256.57	20650	356.64
23.	उत्तरांचल**	21700		24000	291.13	26050	470.81
	कुल	7828150	130238.61	7912700	138071.97	8498250	168908.48

**टिप्पणी: 2003-2004 के दौरान नए बनाए गए क्षेत्र/उप-क्षेत्र

इस्पात उत्पादन की लागत

97. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में इस्पात उत्पादन की लागत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात उत्पादन की अधिक लागत ने भारत से होने वाले इस्पात के निर्यात को प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में इस्पात उत्पादन की लागत में कमी लाने हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) इस्पात कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत वाणिज्यिक सूचना और मंत्रालय द्वारा इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस्पात का कितना निर्यात किया जाए यह बाजार शक्तियों द्वारा तय किया जाता है और किया जाने वाला निर्यात अलग-अलग कंपनियों/निर्यातकों के वाणिज्यिक निर्णय के अनुरूप होता है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में भारत से इस्पात के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है और यह बढ़ोत्तरी विश्व बाजार में भारी इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा स्वीकार्यता दर्शा रही है।

(घ) और (ङ) घरेलू इस्पात कंपनियां उत्पादन की लागत में कमी सहित अपने निष्पादन पैरामीटरों में सुधार करने के लिए सतत रूप से अनुसंधान और विकास कार्य कर रही हैं। सरकार भी अनुसंधान और विकास कार्य को समर्थन प्रदान कर रही है।

सूखा प्रभावित राज्य

98. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी दर्ज की गई है और किये जाने की संभावना है;

(ख) इस वर्ष सूखे से प्रभावित राज्य कौन से हैं;

(ग) सूखे के कारण इन राज्यों में किसानों को राज्य-वार कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सूखे की स्थिति से निपटने हेतु प्रत्येक प्रभावित राज्य को सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैसाकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सूचित किया गया है, दक्षिण-पश्चिम मानसून 2006 के दौरान (1.6.2006 से 12.7.2006), देश में समग्ररूप में -10% विचलन के साथ 272.7 मिमी की सामान्य वर्षावृष्टि की तुलना में 245.0 मिमी वर्षा हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि (1.6.2005 से 13.7.2005) के लिए, जैसाकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सूचित किया गया है देश में वर्षा समग्र रूप से +1% के विचलन के साथ, 282.0 मिमी. की सामान्य औसत वर्षावृष्टि की तुलना में 284.1 मिमी. थी। वर्ष 2006 दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून-सितम्बर) के लिए भारतीय मौसम विज्ञान का नवीनतम लांग रेंज पूर्वानुमान है कि पूरे देश में ±4% की माडल त्रुटि के साथ मौसमी वर्षावृष्टि, दीर्घावधिक औसत का लगभग 92% होने की संभावना है।

(ख) से (घ) किसी भी राज्य सरकार ने अब तक वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कम वर्षावृष्टि के कारण सूखा अथवा सूखे जैसी स्थिति की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी

99. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की 94 बड़ी अथवा छोटी परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबे समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) अभी तक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार या इसकी एजेंसियों से प्राप्त केवल 9 परियोजनाएं मूल्यांकन के लिए इस मंत्रालय के पास पड़ी है। इन प्रस्तावों में मूल्यांकन करने के लिए सभी सम्बद्ध सूचना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख 120 दिन की निर्धारित वैधानिक अवधि के बाद कोई भी प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे और मूल्यांकन समाप्त करने में हुए विलम्ब के कारण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) महाराष्ट्र सरकार या इससे संबंधित एजेंसियों से संबंधित सूचना प्राप्त होते ही 08 परियोजनाओं का मूल्यांकन पूरा हो जायेगा और इस पर मंत्रालय का उपयुक्त निर्णय निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर दे दिया जाएगा। पिछले मामले में पर्यावरणीय मंजूरी आदेश जारी किया जा रहा है।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार और इसकी एजेंसियों से प्राप्त उन परियोजनाओं जिनका मंत्रालय में मूल्यांकन शेष है, के ब्यौरे और मूल्यांकन के पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण सहित नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	मूल्यांकन के पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण
1	2	3	4
1.	बांद्रा में भूमि जिसकी क्रम संख्या 7 और 8 है, पर म्हाडा के लिए प्रस्तावित काम्पलैक्स	16.8.2005	30.1.2006 को मांगी गई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2.	बैकबे रिक्लामेशन स्कीम, कोलाबा डिवीजन के प्लाट संख्या 139 से 142 और 143 (पीटी) पर झुग्गी पुनर्वास स्कीम का प्रस्ताव	5.12.2005	1.1.2006 को मांगी गई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
3.	चैम्बूर में आवासी एवं वाणिज्यिक परियोजना	12.1.2006	संबंधित ब्यौरों के अभाव में विशेषज्ञ समिति को 7.4.2006 और 22.6.2006 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार करना पड़ा। विशेषज्ञ समिति ने अब पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की है और आदेश जारी किये जा रहे हैं।
4.	चैम्बूर में सर्वे संख्या 48 में ट्रांसिट टेनीमेंटस एवं हाउसिंग का पुनर्विकास	5.5.2006	विशेषज्ञ समिति के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है
5.	धारासी बेस्ट बस डिपो के निकट क्रम संख्या 501 में ट्रांसिट कैम्प का पुनर्विकास	5.5.2006	विशेषज्ञ समिति के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है
6.	बांद्रा (पश्चिम) में वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक भवन	6.6.2006	विशेषज्ञ समिति के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है
7.	कफ परेड, कोलाबा के प्लाट संख्या 27-सी, ब्लाक 6 पर ट्रांसिट टेनीमेन्टस के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित पुनर्वास स्कीम	27.6.2006	विशेषज्ञ समिति के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है

1	2	3	4
8.	मालवाणी, मलाड (प.) सीटीएस संख्या 6 एपीटी में गजदार बंध हटमैप्टस वासियों के लिए पुनर्वास स्कीम	27.6.2006	विशेषज्ञ समिति के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है
9.	संशोधित वाघर नदी परियोजना, जलगांव	16.11.2004	संबंधित ब्यौरों के अभाव में विशेषज्ञ समिति ने 9.12.2004, 16.3.2005, 21.9.2005 और 17.3.2006 को आयोजित अपनी चार बैठकों में प्रस्ताव पर विचार किया। मृदा विश्लेषण रिपोर्टें अभी तक प्राप्त होनी शेष हैं।

अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता

100. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज उत्पादन हेतु विशाल संस्थानिक रूपरेखा के विकास के बावजूद किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता की समस्या अभी भी बरकरार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को राजसहायता प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) खरीफ 2006 हेतु क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों में जैसाकि अनुमान लगाया गया है, 60.22 लाख क्विंटल की आवश्यकता के मुकाबले विभिन्न फसलों के 67.65 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध थे।

(ग) से (ङ) "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण" की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के बीज ग्राम घटक के अधीन अभिज्ञात किसानों को आधारी/प्रमाणिक बीजों की लागत के 50 प्रतिशत पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रति कृषक समूह 15,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है। इस राजसहायता के अलावा विभिन्न फसल विकास स्कीमों के अधीन बीजों पर राजसहायता भी दी जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को वन भूमि

101. **श्री अजीत जोगी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने और वन भूमि और वन उत्पादों के अधिकार जनजातियों को दिये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने योजना आयोग की उक्त सिफारिश पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने जनजातियों की जनसंख्या का मोटे तौर पर आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ङ) योजना आयोग ने पर्यावरण एवं मंत्रालय को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। यद्यपि मंत्रालय ने वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने, वन भूमि पर पात्र अवैध कब्जों को विनियमित करने और विवादित दावों के निपटान के लिए 1990 में मार्गनिर्देश जारी किये हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय ने वन में रहने वाली अनुसूचित जातियों के वन और वन उत्पादों पर निहित अधिकारों के लिए 13.12.2005 को लोक सभा में अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की पहचान) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अब तक 511 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की अनुमति प्रदान की है। इसमें मध्य प्रदेश के 315 वन गांव, महाराष्ट्र के 73, गुजरात के 112 और उत्तरांचल के 11 वन गांव शामिल हैं। आठ राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में 3.67 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर 1980 से पूर्व के पात्र कब्जों को भी विनियमित किया गया है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण अवैध कब्जों को विनियमित और वन गांवों को बदला नहीं जा सका है।

(च) और (छ) वर्ष 2001 की सरकारी जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या 8.4 करोड़ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा कल, 25 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 जुलाई, 2006/3 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री सुग्रीव सिंह श्री बालेश्वर यादव	1
2.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री एस.के. खारवेनथन	2
3.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	3
4.	डा. बाबू राव मिडियम डा. के.एस. मनोज	4
5.	श्री हन्नान मोल्लाह	5
6.	श्री पी.सी. थामस	6
7.	श्री नवीन जिन्दल	7
8.	श्री ब्रजेश पाठक श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	8
9.	श्री निखिल कुमार	9
10.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	10
11.	श्री के.सी. पलनिसामी	11
12.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	12
13.	श्री राम कृपाल यादव	13
14.	श्री गुरुदास दासगुप्त	14
15.	श्री उदय सिंह श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	15
16.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री रवि प्रकाश वर्मा	16
17.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	17
18.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती श्री हंसराज जी. अहीर	18
19.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	19
20.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री एम. राजामोहन रेड्डी	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	34, 57
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	100
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	67, 87, 94, 97
4.	आठवले, श्री रामदास	29, 101
5.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	8, 35
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	23, 70
7.	बर्मन, श्री हितेन	65
8.	बर्मन, श्री रनेन	65
9.	बखला, श्री जोवाकिम	36
10.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	7
11.	बोस, श्री सुब्रत	98
12.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	47
13.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	59, 64
14.	चटर्जी, श्री सांताश्री	37
15.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	41, 42
16.	चिन्ता मोहन, डा.	59
17.	चौधरी, श्री अधीर	58
18.	देवरा, श्री मिलिन्द	11
19.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	12
20.	गांधी, श्रीमती मेनका	14, 61
21.	गंगवार, श्री संतोष	31, 59
22.	हर्ष कमार, श्री जी.वी.	16, 64
23.	जगन्नाथ, डा. एम.	25, 71
24.	जयाप्रदा, श्रीमती	30
25.	झा, श्री रघुनाथ	15, 40
26.	जिन्दल, श्री नवीन	54
27.	जोगी, श्री अजीत	94, 101
28.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1

1	2	3
29.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3
30.	खारवेनथन, श्री एस.के.	52, 59
31.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5
32.	कृष्ण, श्री विजय	39, 74
33.	महतो, श्री सुनिल कुमार	40
34.	महताब, श्री भर्तृहरि	98
35.	मसूद, श्री रशीद	38
36.	मिडियम, डा. बाबू राव	57, 82, 92, 95
37.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	13
38.	मो. ताहिर, श्री	56
39.	मोहिते, श्री सुबोध	30, 99
40.	मुर्मू, श्री हेमलाल	43
41.	मुर्मू, श्री रूपचंद	32
42.	नायक, श्री अनन्त	6, 76
43.	निखिल कुमार, श्री	58
44.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	59, 84
45.	पलनिसामी, श्री के.सी.	53, 80
46.	पाण्डा, श्री प्रबोध	21, 78
47.	पासवान, श्री रामचन्द्र	19
48.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	41, 75
49.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	55, 81, 86
50.	पाठक, श्री ब्रजेश	49, 83, 93, 96
51.	पाठक, श्री हरिन	13, 60
52.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	66
53.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	33
54.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	44
55.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	64
56.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	63
57.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	46
58.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	64
59.	रावत, श्री अशोक कुमार	56
60.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2, 73, 90
61.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	27, 59
62.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	66
63.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	59
64.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4,4 75
65.	साई प्रताप, श्री ए.	35
66.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	50, 79
67.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	9
68.	सत्पथी, श्री तथागत	59
69.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	63, 85, 98
70.	सेन, श्रीमती मिनाती	17
71.	सेठी, श्री अर्जुन	57, 72, 89, 98
72.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	20
73.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	100
74.	शिवन्ना, श्री एम.	17, 24
75.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	56
76.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	48
77.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	46, 77
78.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	28, 100
79.	सिंह, श्री दुष्यंत	59, 98
80.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	23
81.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	10
82.	सिंह, श्री सुग्रीव	55, 81, 91
83.	सुब्बा, श्री मणि कुमार	4
84.	सुमन, श्री रामजीलाल	59
85.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	51
86.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	45, 86
87.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	17
88.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	22, 69
89.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	100
90.	विनोद कुमार, श्री बी.	26
91.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	40, 77
92.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	56
93.	यादव, श्री राम कृपाल	62
94.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	18, 68, 82, 88

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	4, 6, 10, 12, 16, 17
रसायन और उर्वरक	:	2, 9
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3, 8, 18
पर्यावरण और वन	:	7, 13, 15
सूचना और प्रसारण	:	5, 19
श्रम और रोजगार	:	11, 14, 20
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	1

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3, 5, 8, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 44, 46, 47, 50, 55, 58, 63, 69, 71, 78, 79, 84, 85, 95, 98, 100
रसायन और उर्वरक		77
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	10, 12, 15, 17, 20, 21, 30, 31, 39, 48, 59, 60, 64, 66, 86, 90
पर्यावरण और वन	:	11, 14, 16, 19, 23, 25, 29, 33, 38, 42, 57, 61, 74, 75, 76, 81, 83, 87, 88, 91, 94, 99, 101
सूचना और प्रसारण	:	18, 43, 51, 53, 62, 67, 68, 70, 73, 80
श्रम और रोजगार	:	2, 6, 7, 13, 37, 40, 65, 82, 93, 96
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	1, 49, 56, 92, 97
जल संसाधन	:	4, 9, 34, 36, 41, 45, 52, 54, 72, 89.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।